सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

वर्ष 2015–16 में सकल संबर्धित मूल्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं 15.0%

कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन 17.0%

खनन एवं उत्खनन 2.4%

विनिर्माण 16.1%

विजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं 2.5%

निर्माण 7.9%

व्यापार, होटल, परिवहन व संचार संबंधी सेवाएं 18.2%

वित्त, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाएं 20.9%

सबका साथ सबका विकास

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

www.mospi.gov.in

MOS&PI MOS&PI MOS&P

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
http://www.mospi.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
I	प्रस्तावना	1-5
II	घटनाक्रम और विशिष्टताएं	6-11
III	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग	12
IV	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय	13-58
V	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	59-70
VI	सांख्यिकीय सेवाएं	71-75
VII	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	76-84
VIII	बीस सूत्री कार्यक्रम	85-98
IX	आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी	99-121
X	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	122-127
XI	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	128-131
XII	अन्य कार्यकलाप	132-138
	अनुबंध	
Iक	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का संगठन चार्ट	139
Iख	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का संगठन चार्ट	140
Iग	प्रयुक्त संक्षिप्त रूप	141
II	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य	142-144
III	वर्ष 2015-16 के दौरान संस्वीकृत परियोजना, संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला तथा यात्रा अनुदान सहायता	145
IVक	वार्षिक योजना 2016-17-- बजट अनुमान विवरण (एसबीई)	146
IVख	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2015-16 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	147
IVग	उत्त्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2016-17 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	148
V	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अधीन मासिक प्रबोधित मदों का निष्पादन	149-151

VI	अप्रैल 2016 से जून, 2016 की अवधि के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अधीन मासिक प्रबोधित मदों का निष्पादन	152-153
VII	आधारी संरचना क्षेत्र का निष्पादन (अप्रैल -सितंबर 2016)	154
VIII	2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची	155-163
IX	सीएसओ/एनएसएसओ तथा पीआई स्कंध के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी प्रकाशनों की सूची	164-165
X	वर्ष 2015-16 के लिए की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति	166-167

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 15 अक्तूबर, 1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रुप में अस्तित्व में आया । मंत्रालय में दो स्कंध है, इनमें से एक सांख्यिकी से संबंधित है तथा दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से । सांख्यिकी स्कंध, जिसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कर दिया गया है, में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) हैं । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीएसओ एक संबद्ध तथा एनएसएसओ एक अधीनस्थ कार्यालय है । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध में तीन प्रभाग अर्थात (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) आधारी संरचना प्रबोधन और परियोजना प्रबोधन तथा (iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है । इन दोनों स्कन्धों के अतिरिक्त भारत सरकार (सां. और कार्य. कार्या.) के एक संकल्प के माध्यम से सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तथा संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रुप में घोषित एक स्वायत्त संस्थान अर्थात् भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है । मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-I क से I ख** में दिया गया है । रिपोर्ट में प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप **अनुबंध-I ग** में दिए गए हैं ।

1.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है । जारी की गई सांख्यिकी, प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षण और केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा आयोजित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है । मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूना पद्धति पर आधारित हैं और इसका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया जाता है । समर्पित क्षेत्रीय स्टाफ के जरिए आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, स्टाफ को मदों की संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं और सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में नियमित रुप से प्रशिक्षित किया जाता है । मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता पर बल देते हुए राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति विधानात्मक मुद्दों की जांच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी की जांच, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मूल्य सूचकांकों की जांच की जाती है । मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद, मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटासेटों को संकलित करता है ।

1.3 भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) का अभिदाता है और वर्तमान में मानकों को पूरा कर रहा है । मंत्रालय एसडीडीएस के अंतर्गत आने वाली आंकड़ा श्रेणियों के लिए अग्रिम रिलीज कैलेंडर का रख रखाव करता है, जिसका प्रचार-प्रसार मंत्रालय की वेबसाइट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) पर भी किया जाता है । मंत्रालय एसडीडीएस के वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल डाटासेटों को प्रेस नोट और अपनी वेबसाइट के माध्यम से साथ-साथ जारी करता है । मंत्रालय को भारत में सार्क सामाजिक चार्टर के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रुप में नामित किया गया है । मंत्रालय को भारत में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की सांख्यिकीय ट्रैकिंग का कार्य सौंपा गया है । मंत्रालय, प्रणाली में आंकड़ा-अंतरालों (डाटा गैप्स) का मूल्यांकन करने के लिए और वर्तमान में जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता के विभिन्न विषयों पर नियमित आधार पर तकनीकी बैठकें आयोजित करता है । केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का स्टाफ एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा सांख्यिकीय समेकन और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर आयोजित बैठकों और सेमिनारों में भाग लेता है । भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली विश्व की बेहतरीन प्रणालियों में से एक है । मंत्रालय के अधिकारी पद्धतियों के विकास, विशेष तौर पर राष्ट्रीय लेखा, अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी, बृहद-पैमाने के नमूना सर्वेक्षण, जनगणना का आयोजन, सेवा क्षेत्र सांख्यिकी, परोक्ष अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकी, पर्यावरण सांख्यिकी और वर्गीकरण के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ संबद्ध रहे हैं । अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में इन विषयों पर मंत्रालय के अधिकारियों के योगदान की अत्यधिक सराहना की गई है ।

1.4 **सांख्यिकी दिवस:** आर्थिक नियोजन और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में (स्व.) **प्रो.प्रशांत चन्द्र महालनोबिस** के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में**,** भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस**,** 29 जून को विशेष-दिवस का दर्जा देते हुए**,** हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है । सांख्यिकी-दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों**,** खासकर युवाओं को**,** (स्व.) प्रो. महालनोबिस से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है**,** ताकि वे समाजार्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व को समझ सकें ।

1.5 पूरे देश में 10वां सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकारों, पूरे देश में फैले हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयों, भारतीय सांख्यिकीय संगठन, विश्वविद्यालयों/विभागों, आदि द्वारा संगोष्ठियां, सम्मेलन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, व्याख्यानमाला, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि करवाकर मनाया । राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह की अध्यक्षता जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय तथा राज्य मंत्री प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई । माननीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय मुख्य अतिथि थे । इस अवसर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रो.सी.आर. राव के सम्मान में गठित राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉ. टी.जे. राव, पूर्व प्रो. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को प्रदान किया गया ।

1.6 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में सांख्यिकी के क्षेत्र संबंधी गतिविधियों के समन्वयन हेतु सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के भाग के रूप में मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (कॉक्सो) का सम्मेलन आयोजित करता है । यह केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक प्रमुख मंच है जिसका उद्देश्य सही निर्णय और सुशासन के उद्देश्य से योजनाकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को विश्वसनीय और समयबद्ध सांख्यिकी उपलब्ध करवाने के लिए समन्वित प्रयत्न करना है । **24वां कॉक्सो** 19-20 जनवरी, 2017 के दौरान नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया । 10वें सांख्यिकी दिवस और 24वें कॉक्सो का विषय **'कृषि एवं कृषक कल्याण'** था तथा उद्देश्यपरक योजना, नीति निर्माण और सुशासन के क्षेत्र में आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष भर के दौरान प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

1.7 मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) देश में सांख्यिकीय प्रणाली के योजनाबद्ध विकास के लिए एक नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य करना, सांख्यिकीय के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना जिसमें अवधारणाओं और परिभाषाओं, आंकड़ा संग्रहण के रीति-विधान, समंक विधायन एवं परिणामों का प्रसार-प्रचार शामिल है;

(ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वय करना, सांख्यिकीय रीति-विधान और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना;

(iii) राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी तथा निजी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा स्थाई पूंजी के उपभोग के अनुमानों तथा अधि-क्षेत्रीय क्षेत्रों (सुप्रा-रीजनल सैक्टर्स) के राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण प्रकाशित करना तथा वर्तमान मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) के तुलनीय अनुमान तैयार करना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (यूएनएसडी), एशिया तथा प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्केप), एशिया तथा प्रशान्त के लिए सांख्यिकीय संस्थान (सियाप), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ),

एशियाई विकास बैंक (एडीबी), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) आदि से सम्पर्क बनाए रखना;

(v) "त्वरित अनुमानों" के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलित तथा जारी करना, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का आयोजन तथा संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, गठन तथा संरचना में परिवर्तनों का आकलन तथा मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना;

(vi) अखिल भारतीय आर्थिक गणनाओं का संगठन करना व आवधिक आयोजन तथा अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों पर कार्रवाई करना । विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षणों तथा आर्थिक गणनाओं के अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का संसाधन करने के लिए इन-हाउस सुविधा प्रदान करना;

(vii) रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति तथा पर्यावरण, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य पोषाहार, परिवार कल्याण आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक क्षेत्रों में विभिन्न जनसंख्या समूहों के लाभ के लिए विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आवश्यक आंकड़ा आधार तैयार करने हेतु बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन करना;

(viii) तकनीकी दृष्टिकोण से सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच करना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण सम्भाव्यता अध्ययनों सहित प्रतिदर्श अभिकल्प का मूल्यांकन करना;

(ix) सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/ एजेंसियों को वितरित किए जाने वाले अनेक प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना और अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे यूएनएसडी, एस्केप, आईएलओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आंकड़ा प्रसार करना; तथा

(x) पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों तथा प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण आरम्भ करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान जारी करना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्त-पोषण करना ।

1.8 मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध पर निम्नलिखित जिम्मेदारियां है:-

(i) बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) पर निगरानी;

(ii) देश के ग्यारह प्रमुख आधारी संरचना क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़कें तथा नागरिक उड्डयन संबंधी कार्य निष्पादन की निगरानी;

(iii) ₹150 करोड़ तथा इससे अधिक की लागत की सभी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी; और

(iv) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) का कार्यान्वयन ।

1.9 मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग प्रशिक्षण, कैरिअर तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा का प्रबन्धन करने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है ।

1.10 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) के प्रावधानों के अनुसार इसकी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना ।

1.11 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यों का आबंटन ***अनुबंध-II*** पर दिया गया है । मंत्रालय की वेबसाइट **(http://www.mospi.gov.in)** बना ली गई है और इसे मंत्रालय के संगणक केंद्र द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है । मंत्रालय की अधिकतर रिपोर्टें प्रयोक्ताओं तक पहुंच बनाने/विभिन्न पणधारियों द्वारा उपयोग करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं । रिपोर्ट डाउनलोड करने/देखने के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण प्रणाली भी शुरू कर दी गई है ।

1.12 वर्ष 2016-17 के लिए मंत्रालय को कुल **₹4752.83 करोड़** (योजना और गैर-योजना) का बजट आबंटित किया गया था, जिसमें से **₹3950.00 करोड़** एमपीलैडस, **₹4200.00 करोड़** योजना (एमपीलैड्स सहित) और **₹552.83 करोड़** गैर-योजना के लिए थे । मंत्रालय द्वारा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का बजटीय आबंटन करते समय उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है ।

अध्याय II

घटनाक्रम एवं विशिष्टताएं

मंत्रालय की वर्ष 2016-17 के दौरान (31 दिसंबर 2016 तक) उपलब्धियां निम्नानसुार हैं:

2.1 <u>केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)</u>

- माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संघ मंत्रिमंडल ने 4 मई 2016 को सरकारी सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी जिसे दिनांक 15 जून 2016 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दिया गया ।
- वर्ष 2016 के दौरान, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पूर्व निर्धारित समय सूची के अनुसार मेक्रो इकॉनॉमिक्स सूचकांक जारी किए:

  - मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जिसका उपयोग अनेक उपयोगकर्ताओं और आरबीआई द्वारा आर्थिक नीति बनाने/विनियमन के लिए मुद्रास्फिति के एक उपाय के रूप में किया जाता है ।
  - औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक (आईआईपी), ऐसी फैक्ट्रियाँ जो उत्पादन क्षेत्र में लघु अवधि परिवर्तनों को परिलक्षित करती हैं, के एक निर्धारित पैनल से निर्धारित मदों के आंकड़ों पर आधारित इकाई मुक्त संख्या है ।
  - आधार वर्ष 2011-12 के साथ वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों और 2015-16 की चौथी तिमाही (क्यू 4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का तिमाही अनुमान ।
  - आधार वर्ष 2011-12 के साथ 2016-17 की प्रथम और द्वितीय तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान ।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और तिमाही अनुमानों और सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक एवं तिमाही अनुमानों में संशोधन की नीति तथा संबंधित मेक्रो इकॉनॉमिक सकल के अग्रिम जारी केलेंडर में

संशोधन किया है । संशोधित केलेंडर के अनुसार, मार्च 2017 तक निम्नलिखित अनुमान जारी किए जाने हैं ।

(i) **6 जनवरी 2017** को वर्ष 2016-17 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का प्रथम अग्रिम अनुमान ।

(ii) **31 जनवरी 2017** को वर्ष 2015-16 के लिए सकल घरेलू उत्पाद और संबंधित कुल मैक्रो इकॉनॉमी के प्रथम संशोधित अनुमान ।

(iii) 28 फरवरी 2017 को वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान और वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) के लिए तिमाही अनुमान ।

- इस मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में छठी आर्थिक गणना (ईसी) के परिणाम जारी किए गए । ये परिणाम, भौगोलिक स्थिति, स्वामित्व के प्रकार, वित्त स्रोत आदि द्वारा संगठित व असंगठित क्षेत्रों के कई प्रतिष्ठानों और उनमें कार्यरत कई कार्मिकों के लिए आंकड़ों के स्रोत हैं ।
- 29 जून 2016 को संपूर्ण राष्ट्र में 10वां सांख्यिकी दिवस मंत्रालय, राज्य सरकारों, संपूर्ण देश में फैले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के कार्यालयों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, विश्वविद्यालयों/विभागों इत्यादि द्वारा सम्मेलनों, कांफ्रेंसों आदि के आयोजन द्वारा मनाया गया । इस अवसर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में अपने आजीवन योगदान के लिए प्रो.टी.जे.राव को प्रो.पी.वी.सुखात्मे पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- 15-16 अक्तूबर 2016 के दौरान गोवा में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन 2016 (ब्रिक्स, जेएसपी 2016) जारी किया गया । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय माप पर विचार-विमर्श हेतु जयपुर, राजस्थान में 3 व 4 नवंबर 2016 के दौरान ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के अध्यक्षों की 8वीं बैठक आयोजित की ।
- नई दिल्ली में 29-31 अगस्त 2016 के दौरान सार्क सांख्यिकीय संगठनों (सार्कस्टेट) के प्रमुखों की 8वीं बैठक का उद्घाटन श्री डी.वी.सदानंद गौड़ा, माननीय सांख्यिकी और कार्य.कार्या. मंत्री द्वारा किया गया । इस वर्ष की बैठक का विषय "व्यापार सांख्यिकी-व्यापार एवं सेवाएं" था । सार्कस्टेट का लक्ष्य सार्क सदस्य राज्यों के मध्य सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और पहलों को सहयोग देना है ।

- 25 अक्तूबर 2016 को माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री द्वारा मंत्रालय की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया गया, जिसे भारत सरकार वेबसाइट्स (जीआईजीडब्लयू) के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजाइन एवं विकसित किया गया था ।

- मंत्रालय में उपलब्ध डाटा सेटों को शामिल करते हुए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का एक वेब आधारित सर्वेक्षण डाटा केटलॉग/यूनिट स्तरीय आंकड़ों का माइक्रो डाटा आर्काइव तैयार किया गया । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं द्वारा इस आर्काइव का उपयोग वेबसाइट पर विभिन्न मेटाडाटा और विभिन्न रिपोर्टें अपलोड करने के लिए किया जा रहा है । प्रति माह एक लाख से अधिक उपयोगकर्ता मेटाडाटा का उपयोग कर रहे हैं ।

- ओद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) ओद्योगिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण लघु अवधि सूचकांक है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नए आधार वर्ष के रूप में 2011-12 के साथ अखिल भारत आईआईपी के आधार संशोधन का प्रयोग आरंभ कर दिया है ।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितंबर 2016 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ एसडीजी के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया ।

- भुखमरी समाप्त करने पर भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मूल्यांकन इत्यादि से संबंधित है, के मध्य हस्ताक्षरित कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान (सीएसपी) 2015-18 के घटक 3 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है । इसी के अनुक्रम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डब्लूएफपी के साथ वार्षिक कार्य योजना 2017 हस्ताक्षरित किया है ।

2.2 <u>राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)</u>

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(एनएसएसओ) शहरी क्षेत्र में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय सूचकांकों के तिमाही परिवर्तनों को मापने के लिए डाटा एकत्र करने के

प्राथमिक उद्देश्य के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बल सूचकांकों के वार्षिक अनुमान तैयार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आरंभ करने जा रहा है । इस सर्वेक्षण के 2016-17 के अंतिम तिमाही में आरंभ होने की संभावना है और तदुपरांत यह तिमाही आधार पर जारी रहेगा । पीएलएफएस आरंभ करने के लिए एनएसएसओ ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से कंप्यूटर एसिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (सीएपीआई) सॉल्यूशन नामक एक साफ्टवेयर विकसित किया है, जो डाटा एकत्र करने और उनके वैद्धीकरण के लिए एनएसएसओ सर्वेक्षणों में कागजी अनुसूची को टेबलेट आधारित अनुसूची में प्रतिस्थापित करेगा । इससे डाटा प्रोसेसिंग को और अधिक तीव्र बनाने में सहायता मिलेगी और इसके अलावा यह सर्वेक्षण पूर्ण करने और परिणामों को जारी करने के मध्य के समय अंतराल को भी कम करेगा ।

- मई-जून 2015 के दौरान एनएसएसओ द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के आधार पर स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट 2016 जारी की गई और अप्रैल 2016 में मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई । सर्वेक्षण का लक्ष्य राज्य और राष्ट्र स्तरों पर संचित सैंपल गांव/वार्ड और घरेलू स्तरों पर शौचालयों की उपलब्धता/पहुंच, ठोस और तरल अवशेष की स्थिति का चित्रण करना है ।

2.3 <u>कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग (पीआई)</u>

- एमपीलैडस के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 30 नवंबर 2016 तक ₹ 2295.00 करोड़ की राशि जारी की गई और ₹ 2585.91 करोड़ की राशि व्यय की गई । स्टेट-आफॅ-द-आर्ट माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफार्म पर विकसित सुरक्षा विशेषताओं के साथ एक नवीन एकीकृत एमपीलैडस वेबसाइट कार्यान्वयनाधीन है । यह नई वेबसाइट संसद सदस्यों और जिला प्राधिकारियों सहित सभी हितधारकों के लिए संदर्भ का एकल बिंदु उपलब्ध कराएगी ।
- ₹ 150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग तंत्र (ओसीएमएस) के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है ।

2.4 डिजिटलीकरण की ओर पहलें

ई-आफिस तंत्र का कार्यान्वयन:

- लक्ष्य : 31 मार्च 2017 तक ई-आफिस लागू करना ।
- एनआईसी ने 17 नवंबर 2016 को स्टाफ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।
- ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए स्कैनर और एक हैल्प डैस्क के सृजन जैसी अपेक्षित आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है । इसके साथ-साथ डिजिटलीकरण और पुरानी फाइलों को ई-आफिस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है ।

2.5 ई-भुगतान

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन तंत्र (पीएफएमएस) अपनाया गया है, जो ई-भुगतान, ट्रेकिंग, मॉनिटरिंग, लेखाकरण, मिलान और रिपोर्टिंग कार्यों के लिए एंड टू एंड हल उपलब्ध कराता है ।
- सभी भुगतान सभी हितधारकों जैसे कर्मचारियों, वेंडरों इत्यादि के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा रहे हैं ।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए पीएफएमएस से यूनिवर्सल रोल अक्तूबर 2016 से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है ।
- सभी एमपीलैडस निधियां ई-भुगतान पोर्टल के माध्यम से जारी की जाती हैं ।
- विभिन्न नॉन-टैक्स प्राप्तियों के लिए नॉन टैक्स राजस्व पोर्टल (एनटीआरपी) में मंत्रालय ऑनबोर्ड है । सांख्यिकीय आंकड़ों के खरीददार जैसे उपयोगकर्ता एनटीआरपी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से उपयोग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं और विश्व की लगभग किसी भी मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं ।
- इस मंत्रालय के निदेशक और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी जिनमें मंत्री और उनके कार्यालय के कर्मचारी नीति आयोग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्मिकों द्वारा डिजीटल भुगतान की विभिन्न प्रणालियों से अवगत थे ।

2.6 <u>डाटा डिजिटलीकरण</u>

- विभिन्न सर्वेक्षण दौरों से संबंधित मान्य यूनिट स्तर के आंकड़े उपयोगकर्ताओं के लिए सीडी में उपलब्ध हैं ।
- एकत्र किए गए डाटा पर आधारित सभी रिपोर्टें मंत्रालय की वेबसाइट पर नि:शुल्क डाउनलोड के लिए अपलोड कर दी गई हैं ।

- **ऑनलाइन डाटा प्रसारण और मान्यीकरण**

  - ✓ मूल्य और घर किराया आंकड़े पासवर्ड संरक्षित वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं ।
  - ✓ ग्रामीण और शहरी आंकड़ों के लिए पृथक वेब पोर्टल हैं ।
  - ✓ वेब पोर्टलों में अपलोडिंग स्थिति को मॉनिटर करने और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एमआईएस सुविधा है ।

- **एसडीपी के लिए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क**

  इस मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग और आर्थिक और सांख्यिकी राज्य निदेशालयों के मध्य बड़ी मात्रा में डाटा को ऑनलाइन शेयरिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईसी के माध्यम से एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

2.7 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

- उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों के परिणामों के संकलन के लिए निर्माता इकाइयों से आंकड़ा एकत्रीकरण के एक वेब आधारित तंत्र के माध्यम से सीधे ही आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं ।

****

अध्याय-III

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)

3.1 भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 2005 के एक संकल्प द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) का गठन करने का निर्णय लिया । राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2001 में रंगराजन आयोग द्वारा भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने तथा मंत्रिमंडल द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार करने के उपरांत की गई थी । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 12 जुलाई, 2006 को किया गया था और यह तबसे कार्य कर रहा है । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो विशिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले तथा अनुभवी व्यक्ति हैं । इसके अलावा, सचिव, नीति आयोग एनएसी के पदेन सदस्य हैं । अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव हैं । वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के भी सचिव हैं ।

3.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं:-

i.	डा. आर.बी.बर्मन,	अध्यक्ष
ii.	प्रो. एस.महेन्द्र देव	सदस्य 4 जुलाई 2016 तक
iii.	प्रो. राहुल मुखर्जी	सदस्य 19 जुलाई 2016 तक
iv.	डॉ. मनोज पांडा	सदस्य
v.	डॉ. राजीव मेहता	सदस्य

3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्यों का ब्यौरा दिनांक 1 जून, 2005 को प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प में दिया गया है । संकल्प में आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने कार्यकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में, जैसा भी मामला हो, रखने का प्रावधान है । तदनुसार आयोग के कार्यकलापों के बारे में अलग से एक रिपोर्ट संसद के सदनों में रखी जाएगी ।

अध्याय-IV

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

4.1 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय देश में सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय तथा सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है । इसके कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लैंगिक सांख्यिकी सहित मानव विकास सांख्यिकी, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन और सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण देना शामिल है । सीएसओ राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास में भी सहायता करता है और ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक तथा पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार करता है तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण तैयार करता है ।

राष्ट्रीय लेखा

4.2 केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा को तैयार करता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्र के लेन-देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं। यह प्रभाग इन आंकड़ों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है ।

एनएडी समय-समय पर आपूर्ति उपयोग तालिकाएं तथा इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिकाएं तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है ।

एनएडी सांख्यिकी मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क में रहता है ।

4.3 एनएडी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों सहित राज्य लेखाओं के संकलन और इन्हें जारी करने के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है । इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग बड़े क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, बैंकिंग एवं बीमा और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्य वर्धन और सकल नियत पूंजी निरूपण के राज्य स्तरीय अनुमान भेजे जाते हैं ।

4.4 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता हैं ।

4.5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार-प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची

के अनुसार समय-समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। प्रगामी बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में वित्त मंत्रालय की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कैलेण्डर में नवम्बर 2016 में संशोधन किया गया है । ब्योरा नीचे दिया गया है :-

<u>जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1)	वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही:	28.02.2017
(2)	वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही:	31.05.2017
(3)	वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही:	31.08.2017
(4)	वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही:	30.11.2017

प्रथम तिमाही: अप्रैल-जून, दूसरी तिमाही: जुलाई-सितम्बर, तीसरी तिमाही: अक्तूबर-दिसम्बर, चौथी तिमाही: जनवरी-मार्च

<u>जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1)	वर्ष 2016-17 के प्रथम अग्रिम अनुमान:	06.01.2017
(2)	वर्ष 2015-16 के प्रथम संशोधित अनुमान:	31.01.2017
(3)	वर्ष 2016-17 के दूसरे अग्रिम अनुमान:	28.02.2017
(4)	वर्ष 2016-17 के अनंतिम अनुमान :	31.05.2017

4.6 वर्ष 2016-17 (30 नवम्बर, 2016 तक) के दौरान जारी एनएडी प्रकाशनों, आंकड़ा रिलीज और रिपोर्टें, जो सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	प्रकाशन/डेटा रिलीज/रिपोर्ट का विवरण	जारी करने की तिथि	जारी करने का तरीका
1	राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के प्रथम संशोधित अनुमान	29-01-2016	प्रेस नोट
2	तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर), 2015-16 के लिए राष्ट्रीय आय, 2015-16 के अग्रिम अनुमान और सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान	08-02-2016	प्रेस नोट
3	वार्षिक राष्ट्रीय आय 2015-16 के अनंतिम अनुमान और चौथी तिमाही 2015-16 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान	31-05-2016	प्रेस नोट
4	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी - 2016	जुलाई 2016	ई-प्रकाशन, हार्ड कॉपी

5	नए आधार वर्ष 2011-2012 (2011-12 से 2013-14) 2016 के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य के राज्यवार और मदवार अनुमान	जुलाई 2016	ई-प्रकाशन
6	आपूर्ति और उपयोग तालिका 2011-12	सितम्बर 2016	ई-प्रकाशन
7	आपूर्ति और उपयोग तालिका 2012-13	सितम्बर 2016	ई-प्रकाशन
8	वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	31-08-2016	प्रेस नोट
9	वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	30-11-2016	प्रेस नोट

4.7 एनएडी में राष्ट्रीय लेखाओं के संकलनार्थ सभी कार्यप्रणालीगत पहलुओं की देख-रेख करने तथा राष्ट्रीय लेखाओं के प्रस्तुतीकरण पर सलाह देने के लिए विभागीय प्रतिनिधियों सहित प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों तथा अन्य विशेषज्ञों वाली राष्ट्रीय लेखाओं पर सलाहकार समिति के रूप में एक नियमित सलाहकार तन्त्र है । वर्ष 2016-17 के दौरान 30 नवम्बर 2016 तक, समिति ने 11 बैठकें की । समिति का 11 गैर-सरकारी सदस्यों सहित 26 सदस्यों के रूप में पुनर्गठन किया गया । पुनर्गठन 23 जून 2016 को अधिसूचित किया गया ।

4.8 वर्ष 2016-17 (नवम्बर, 2016 तक) के दौरान आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है:

- आधार वर्ष 2011-12 के साथ वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों पर डीईएस के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक विचार-विमर्श 18 अप्रैल से 20 मई 2016 के दौरान किए गए ।
- राज्य घरेलू उत्पाद तथा अन्य संबंधित समाहारों के संकलन संबंधी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सांख्यिकी कार्मिकों के प्रक्षिशणार्थ दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं गुवाहाटी (11 पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करते हुए 27 जून से 1 जुलाई 2016 के दौरान) में तथा नैनीताल में (उत्तरी और मध्य क्षेत्र से 10 राज्यों को कवर करते हुए 17-21 अक्तूबर 2016 के दौरान) आयोजित की गई ।
- परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से बचत और निवेश का अनुमान लगाने की देख-रेख करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने 6 बैठकें कीं । इस समूह ने एक राष्ट्रव्यापी समेकित आय-उपभोग-बचत सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराने हेतु परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से प्रायोगिक अध्ययन आयोजित करने हेतु कार्यप्रणालीगत ब्योरा तैयार किया । इस

कार्यप्रणाली का संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन अध्ययन प्रारंभ करने के लिए एनएसएसओ हेतु उपयोग किया जाएगा ।

- 29 अगस्त 2016 को भारत के वन सर्वेक्षण (एफसीआई), देहरादून में आयोजित भारत में सूची के सुदृढ़ीकरण तथा निगरानी और क्षमता के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि कार्यालय के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में श्री एस. साहू, निदेशक, एनएडी द्वारा भाग लिया गया ।
- 9-11 नवम्बर 2016 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित निजी खाद्यान स्टॉक मापदण्ड हेतु दृष्टिकोण और कार्यप्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्री सुनील जैन, उप महानिदेशक, एनएडी तथा श्री एस.साहू, निदेशक, एनएडी ने भाग लिया ।
- सचिव (सां. और कार्य. कार्या.) ने जीडीपी के संबंध में कार्यप्रणालीगत मुद्दों और रिलीजों पर 1 जून, 2016 को नई दिल्ली में विदेशी मीडिया को संबोधित किया ।

4.9 एनएडी ने वर्ष 2015 में आईएसओ 9001:2008 का आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया, जिसमें आलोच्य कार्य की रिपोर्ट में बाह्य और आन्तरिक लेखा परीक्षाओं के माध्यम से निगरानी की गई । करार के आईएमएफ अनुच्छेदों के अनुच्छेद IV के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार, जीडीपी संकलन मुद्दों पर आईएमएफ के स्टॉफ के साथ नवम्बर 2016 से परिचर्चा आयोजित की गई ।

मूल्य सांख्यिकी

4.10 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अखिल भारत तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या हेतु पृथक रूप से (2010=100) आधार पर जनवरी 2011 के आगे से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन करना आरंभ किया । सीएसओ ने अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के सामंजस्य से अधिकांश कार्य प्रणाली संबंधी सुधारों को समाहित करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2010=100 से 2012=100 में संशोधित किया है । संशोधित श्रृंखला के लिए मद समूह तथा भार चित्र राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 68वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) के मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया है । इसके अलावा, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) दस उप समूहों नामत: 'अनाज तथा उत्पाद; 'मास तथा मछली'; 'अंडा'; 'दूध तथा उत्पाद'; 'तेल एवं वसा'; 'फल'; 'वनस्पति'; 'दलहन तथा उत्पाद'; 'चीनी एवं मिष्ठान'; तथा 'मसाले' के औसत भार सूचियों के रूप में भी जारी किए जा रहे हैं । इसमें 'गैर-एल्कोहलिक पेय' तथा 'तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाइयां आदि' शामिल नहीं हैं ।

सीपीआई में निगमित नई पहल/सुधार

4.11 तालिका 1 में दिए गए सामान्य सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (अर्थात् पिछले वर्ष के तद्नुरूपी माह की तुलना में वर्तमान माह) (प्रतिशत में) जुलाई 2016 को छोड़कर जब ये 6.07% थी नवम्बर 2015 से अक्तूबर 2016 की अवधि के दौरान लगभग 5.00% (4.20% से 5.77% की रेंज में) के आस-पास थी ।

सामान्य सीपीआई (संयुक्त) के आधार पर अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें %

तालिका 1

माह और वर्ष	नव. 15	दिस. 15	जन. 16	फर. 16	मार्च 16	अप्रै. 16	मई 16	जून 16	जुला 16	अग. 16	सित. 16	अक्तू. 16
मुद्रास्फीति दर	5.41	5.61	5.69	5.26	4.83	5.47	5.76	5.77	6.07	5.05	4.39	4.20

रेखा चित्र I: सामान्य सीपीआई (संयुक्त) के आधार पर अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (% में):

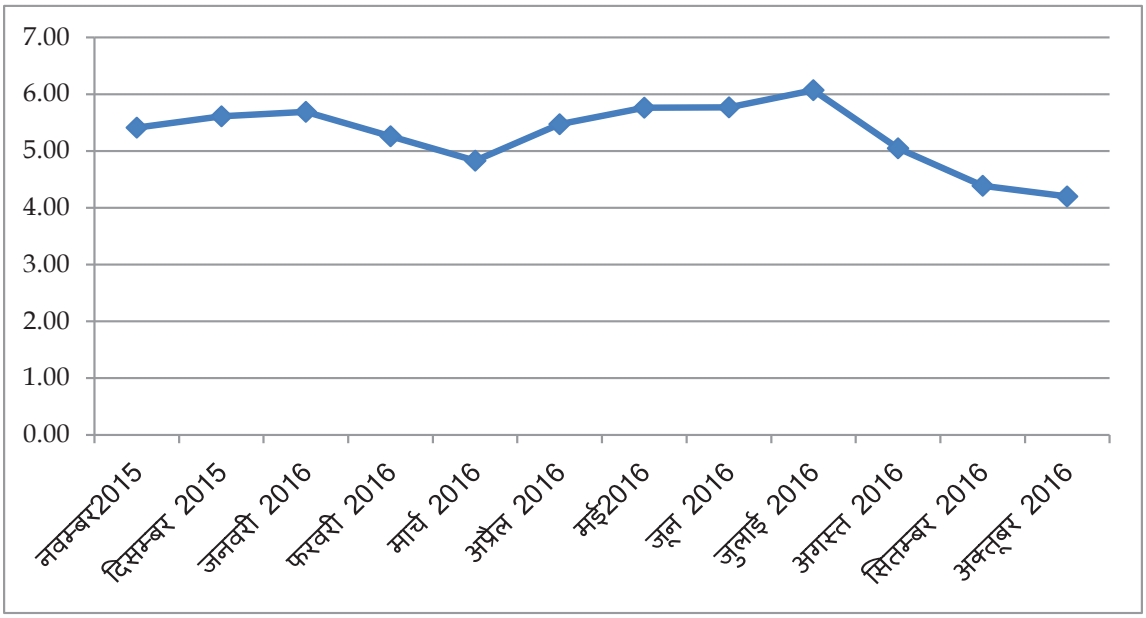

4.12 तालिका 2 में दिए गए सीएफपीआई (संयुक्त) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरों (**%** में) को देखते हुए हम पाते हैं कि नवम्बर 2015 से अक्तूबर 2016 तक के दौरान खाद्य मदों की औसत मुद्रास्फीति दर 6.09**%** थी । सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने जुलाई 2016 में 8.35**%** के उच्चस्थ स्तर को छुआ**,** इसके उपरांत इस दर में निरंतर गिरावट हुई ।

सीएफपीआई (संयुक्त) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (% में)

तालिका 2

माह और वर्ष	नव. 15	दिस. 15	जन. 16	फर. 16	मार्च 16	अप्रै. 16	मई 16	जून 16	जुला 16	अग. 16	सित. 16	अक्तू. 16
मुद्रास्फीति दर	6.07	6.40	6.85	5.30	5.21	6.40	7.47	7.79	8.35	5.91	3.96	3.32

(पी): अनंतिम;**-** :अंतिम 12 दिसम्बर 2016 को जारी किया जाना है ।

रेखा चित्र 2: सामान्य सीएफपीआई (संयुक्त) के आधार पर अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (% में):

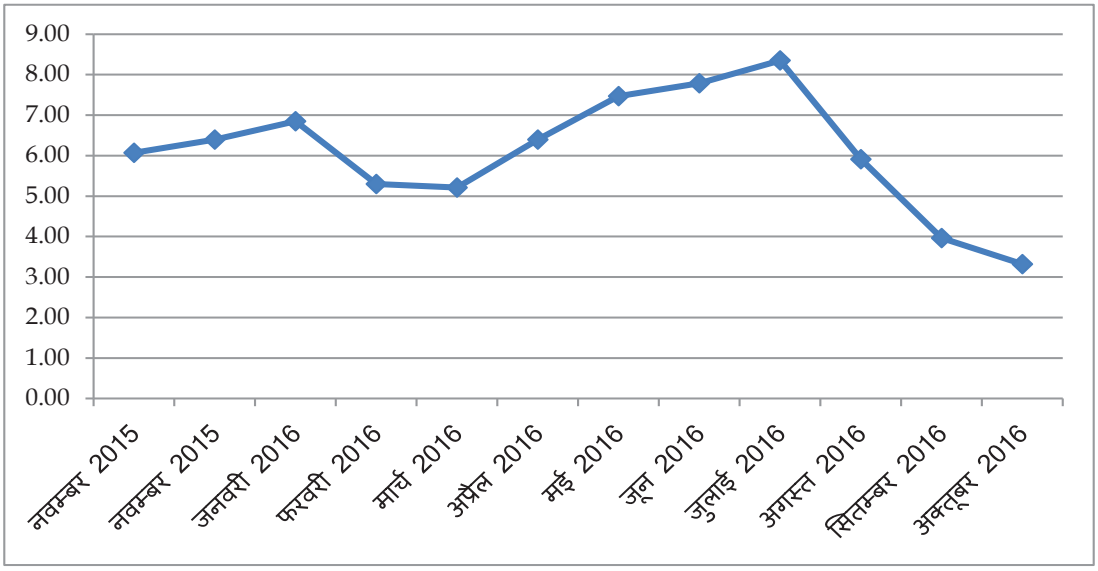

4.13 सीएसओ समूह और उप-समूह स्तरों पर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है । यह उल्लेखनीय है कि परिपूर्ण रूप में 'खाद्य और पेय पदार्थ' का 45.86**%** शेयर है जिसमें सीपीआई (संयुक्त) बॉस्केट में सीएफपीआई का 39.05% शेयर शामिल है, अत:, खाद्य मदें आमतौर पर सीपीआई आधारित समग्र मुद्रास्फीति दर की प्रमुख संचालक होती हैं । पिछले दो वर्षों के दौरान समग्र मुद्रास्फीति दर के ऐसे उतार-चढ़ाव के कारणों को जानने के लिए, उप-समूह स्तरीय मुद्रास्फीति का विश्लेषण अपेक्षित है । उप-समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दर और उनके संबंधित शेयर (अधिभार के संबंध में) को नवम्बर 2015 से अक्तूबर 2016 के दौरान प्रत्येक माह समग्र मुद्रास्फीति दर में उनका योगदान जानने के लिए एक साथ जोड़ा गया है । ये योगदान तालिका 3 में दिए गए हैं ।

सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित समूह/उप-समूह-वार मुद्रास्फीति दरों में समग्र मुद्रास्फीति का ब्योरा

तालिका 3

समूह कोड	उप-समूह कोड	विवरण	भार	नव. 15	दिस. 15	जन. 16	फर. 16	मार्च 16	अप्रै. 16	मई 16	जून 16	जुला 16	अग. 16	सित.16	अक्तू. 16
	1.1.01	मोटा अनाज और उत्पाद	9.67	0.17	0.23	0.22	0.22	0.24	0.25	0.25	0.30	0.37	0.39	0.41	0.42
	1.1.02	मांस व मछली	3.61	0.20	0.25	0.31	0.28	0.29	0.31	0.33	0.25	0.25	0.23	0.22	0.23
	1.1.03	अंडा	0.43	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04
	1.1.04	दूध और उत्पाद	6.61	0.28	0.27	0.27	0.26	0.23	0.24	0.24	0.24	0.28	0.29	0.29	0.30
	1.1.05	तेल और वसा	3.56	0.21	0.23	0.21	0.17	0.15	0.17	0.15	0.13	0.16	0.16	0.15	0.12
	1.1.06	फल	2.89	0.06	0.02	-0.01	-0.02	-0.03	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.18	0.13
	1.1.07	सब्जियां	6.04	0.30	0.32	0.43	0.05	0.03	0.32	0.71	1.01	0.99	0.07	-0.55	-0.44

	1.1.08	दालें और उत्पाद	2.38	1.08	1.08	1.02	0.93	0.82	0.85	0.81	0.71	0.74	0.60	0.41	0.13
	1.1.09	चीनी और मिष्ठान	1.36	-0.10	-0.07	-0.02	0.01	0.04	0.12	0.15	0.17	0.22	0.24	0.25	0.23
	1.1.10	मसाले	2.5	0.26	0.27	0.26	0.25	0.24	0.25	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.19
	1.2.11	गैर- अल्कोहलिक पेय पदार्थ	1.26	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	1.1.12	तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाईयां आदि	5.55	0.39	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.35	0.32	0.33	0.33	0.34	0.36
1		खाद्य और पेय पदार्थ	45.86	2.91	3.06	3.15	2.61	2.44	2.99	3.40	3.50	3.77	2.76	2.00	1.76
2		पान, तंबाकू, और मादक पदार्थ	2.38	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18
	3.1.01	कपड़े	5.58	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.31	0.29	0.31	0.31	0.30	0.31
	3.1.02	जूते-चप्पल	0.95	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
3		कपड़े और जूते-चप्पल	6.53	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.37	0.36	0.33	0.35	0.35	0.34	0.35
4		हाउसिंग	10.07	0.49	0.50	0.51	0.54	0.52	0.54	0.53	0.53	0.53	0.51	0.51	0.50
5		ईंधन और प्रकाश	6.84	0.35	0.36	0.35	0.31	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.20	0.18
	6.1.01	घरेलू वस्तुएं और सेवाएं	3.8	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16
	6.1.02	स्वास्थ्य	5.89	0.30	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27
	6.1.03	परिवहन और संचार	8.59	0.05	0.10	0.12	0.20	0.07	0.14	0.06	0.09	0.08	0.10	0.21	0.26
	6.1.04	मनोरंजन और मनोविनोद	1.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
	6.1.05	शिक्षा	4.46	0.27	0.25	0.24	0.26	0.25	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23
	6.1.06	व्यक्तिगत देखभाल और सामान	3.89	0.15	0.13	0.12	0.18	0.20	0.21	0.22	0.21	0.26	0.28	0.27	0.25
6		विविध	28.32	1.05	1.07	1.08	1.21	1.07	1.16	1.08	1.03	1.07	1.10	1.18	1.23
		सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	100.00	5.41	5.61	5.69	5.26	4.83	5.47	5.76	5.77	6.07	5.05	4.39	4.20

4.14 रेखा चित्र 3 से (जहां महत्वपूर्ण उप-समूहों का योगदान पृथक रूप से दर्शाया गया है, तथा 'अन्य उप-समूहों' के रूप में अन्य योगदान को एक साथ जोड़ा गया है), यह स्पष्ट है कि नवम्बर 2015 से अक्तूबर 2016 तक उच्च मुद्रास्फीति दर 'दालों और उत्पादों के कारण मुख्य रूप से तथा सतत रूप से रही । यद्यपि, मई 2016, जून 2016 तथा जुलाई 2016 माहों में 'सब्जियों का मुद्रास्फीति बढ़ाने में काफी योगदान रहा, सितम्बर 2016 से 'सब्जियों' में निरन्तर अपस्फीति दिखाई दी । 'तैयार भोजन' स्नैक्स, मिष्ठान आदि' ने जनवरी 2016 के सिवाय नवम्बर 2015 से अप्रैल 2016 तथा अक्तूबर 2016 में मुद्रास्फीति बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया । 'चीनी और मिष्ठान' में नवम्बर 2015 से जनवरी 2016 माहों में अपस्फीति दिखाई दी । 'हाउसिंग' का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अधिमान होने

की वजह से, पूरी अवधि में समग्र मुद्रास्फीति दर में सतत रूप से उच्च योगदान दर्ज किया गया । हाल ही के माहों अगस्त 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान 'मोटा अनाज और उत्पाद' समग्र मुद्रास्फीति दरों में महत्वपूर्ण योगदाता के रूप में दिखाई दिया ।

रेखा चित्र 3: समग्र मुद्रास्फीति दर में विभिन्न उप-समूहों/समूहों का योगदान

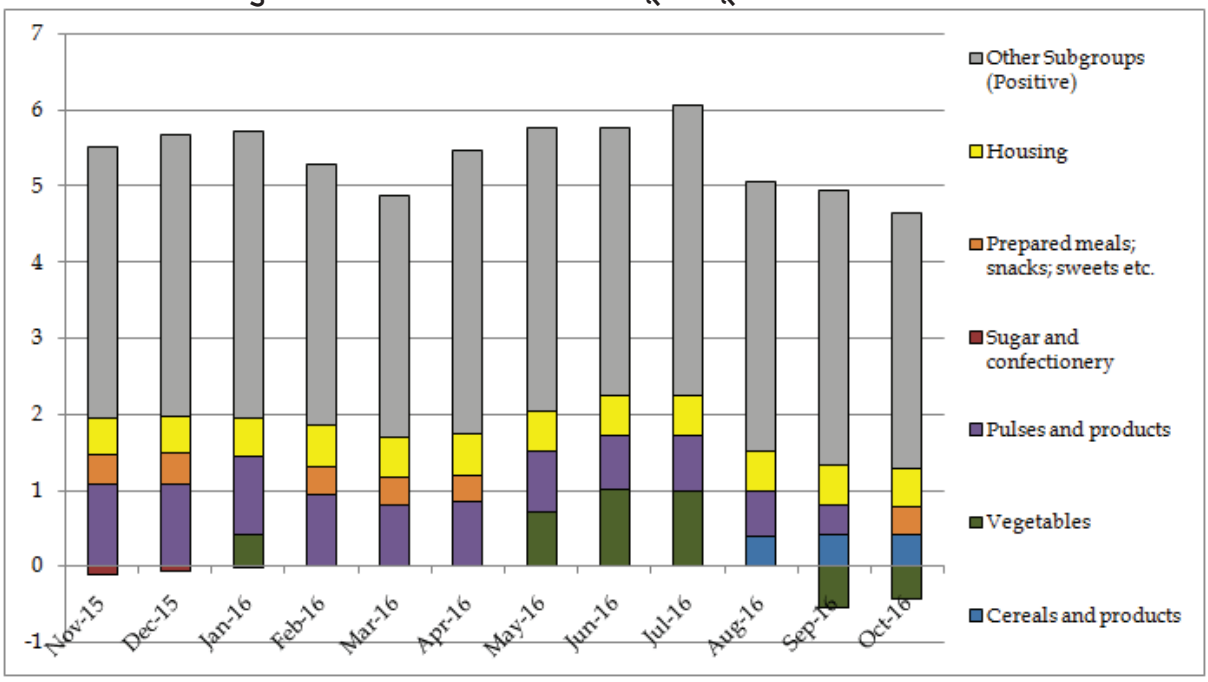

अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम

4.15 भारत वर्ष 1970 से अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम में भागीदारी करता रहा है । आईसीपी विश्व के विभिन्न देशों/अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली क्रयशक्ति समानता (पीपीपी) की गणना करने के लिए आयोजित की जाती है । विश्व बैंक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रतिभागी देशों का समन्वयकर्ता है । इसके लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एनएसएसओ सहित विभिन्न संगठनों से एकत्र उपभोक्ता और गैर-उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आंकड़े प्राप्त किए तथा एशियन विकास बैंक जो एशिया प्रशान्त क्षेत्र के कार्यक्रम का क्षेत्रीय समन्वयकर्ता है, को इन्हें प्रस्तुत किया ।

4.16 भारत ने आरडीटीए (अनुसंधान विकास तकनीकी सहायता)-7507, आईसीपी-2011 के अंतर्गत अपडेट करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में पीपीपी (क्रय शक्ति समानता) में भाग लेने पर सहमति दी है। यह आईसीपी-2011 के अनुवर्ती कार्यकलापों के अंतर्गत एशिया विकास बैंक (एडीबी) द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्यकलापों में से एक है । अन्य दो कार्यकलाप-उप राष्ट्रीय पीपीपी तथा निर्धनता विशिष्ट पीपीपी हैं । अद्यतन प्रयोग के अंतर्गत, महत्वपूर्ण मदों की कीमतें (जो आईसीपी-2011 सम्पूर्ण मद

सूची का सबसेट है) छह शहरों- दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बैंगलुरू, शहरी क्षेत्रों से तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीकी गांवों, से एकत्रित की जा रही है । प्रतिदर्श के रूप में 61 शहरी बाजार तथा 21 ग्रामीण बाजार हैं । इन बाजारों से एकत्रित किए गए मूल्यों को पीपीपी के अद्यतन बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित किया जाएगा ।

4.17 जैसाकि विगत में किया गया है**,** भारत ने आवर्ती मानक वर्षों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम 2017 (आईसीपी 2017) में प्रतिभागिता की सहमति जताई**,** जो वर्ष 2017 में प्रारंभ किया जाएगा ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई)

4.18 भारत में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है । यह संगठित विनिर्माणकारी क्षेत्र के गठन और संरचना, वृद्धि संबंधी परिवर्तन का उद्देश्यपरक और यथार्थ रूप से निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध करता है जिसमें विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, बिजली का पारेषण आदि, गैस एवं जल आपूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से जुड़े कार्यकलाप शामिल हैं । यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953/2008 के तहत सांविधिक है ।

4.19 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पूरे भारत में किया जाता है । सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) तथा 2 एम (ii) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त कारखाने शामिल हैं । सर्वेक्षण में बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत सभी बीड़ी एवं सिगार निर्माणकारी प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया जाता है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में पंजीकृत बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे सभी बिजली उपक्रम, उनके रोजगार का आकार चाहे कुछ भी हो, वर्ष 1997-98 तक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे । कोल्ड स्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहनों तथा घड़ी आदि जैसी उपभोग की अन्य टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत जैसी कुछ सेवाओं और कार्यकलापों को सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है । रक्षा प्रतिष्ठानों, तेल भंडारण तथा वितरण डिपो, जलपान-गृहों, होटलों, कैफे और संगणक सेवाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को भी सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। वर्ष 1998-99 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत बिजली उपक्रमों को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा रहा है तथापि, वे कैपटिव इकाइयां जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल की जा रही हैं ।

4.20 उक्त के अलावा**,** अब एएसआई की कवरेज का एएसआई के प्रतिचयन डिजाइन संबंधी उप-समूह द्वारा संस्तुति के अनुसार कारखाना अधिनियम**,** 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के अनुसार बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम**,** 1966 के दायरे से परे विस्तार किया गया है।

इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्यों के लिए तैयार किए गए प्रतिष्ठान कार्य रजिस्टर (बीआरई) तथा छठी आर्थिक गणना आधारित प्रतिष्ठान निर्देशिका का सीएसओ (आईएस विंग) द्वारा उपयोग किया जाएगा।

4.21 संवर्धित ढांचे का कार्यान्वयन से, 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के तहत पंजीकृत नहीं किया गया परंतु संबंधित राज्यों के बीआरई में शामिल इकाईयों को एएसआई फ्रेम में शामिल किया जाएगा । इसके लिए, आन्ध्र प्रदेश के बीआरई को एएसआई 2014-15 के लिए आन्ध्र प्रदेश के फ्रेम में शामिल किया गया तथा मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान का बीआरई एफओडी द्वारा ऐसी इकाइयों के सत्यापन के उपरांत एएसआई 2015-16 के लिए संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया । यह पिछली पद्धति से महत्वपूर्ण प्रस्थान है तथा पंजीकृत विनिर्माणकारी सेक्टर की कवरेज में सुधार है ।

4.22 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़े पूंजी, रोजगार तथा परिलब्धियों, ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स की खपत, कच्चा माल एवं अन्य लागत/उत्पादन, मूल्य वर्धन, श्रम टर्नओवर और कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अन्य विशेषताओं से सम्बद्ध है । फील्ड-कार्य रा.प्र.सर्वे.सं. के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है। सी.एस.ओ. (आईएस विंग) आंकड़ों का संसाधन करता है और परिणाम प्रकाशित करता है ।

एएसआई में राज्य भागीदारी

4.23 राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को एएसआई में भागीदारी के प्रयोजनों से आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है । अन्य इच्छुक राज्यों के साथ प्रतिभागी राज्यों को एएसआई सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने के लिए रेजिड्यूल फ्रेम मुहैय्या कराया गया है । सीएसओ (आईएस विंग), समग्र आंकड़ा आधार और राज्य सरकारों की जरूरत की तालिकाएं उपलब्ध कराता है और राज्य सरकारें, यदि आवश्यक हुआ तो प्रतिदर्शों का संवर्धन करके, जिला/लघु स्तरीय अनुमान तैयार करेंगी ।

एएसआई से संबंधित वर्तमान प्लान योजना नामत: समता विकास के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के समंक विधायन की गुणवत्ता में सुधार लाना ।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण समंक विधायन के लिए सीएसओ (आईएस विंग) के कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उन्नयन एवं संपूर्ण ऑनलाइन आंकड़ा संसाधन के विस्तार के रूप में चरणबद्ध तरीके से ई-प्रशासन का कार्यान्वयन ।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में भागीदारी के लिए राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को सहायता ।

- परिवर्तित आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर राज्य आईआईपी के निर्माण हेतु राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को सहायता ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन तथा प्रसार में सुधार लाने के लिए हाल के दिनों में काफी बदलाव किए गए हैं ।

4.24 पिछले कुछ दशकों में, पंजीकृत कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और परिणामत: ऐसी इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जिनसे आंकड़े वार्षिक रूप से संग्रहित और विश्लेषित किए जाने होते हैं । एनएसएसओ (क्षे.सं.प्र.) की प्रचालनात्मक बाधाओं को देखते हुए, एएसआई 2010-11, एएसआई एएसआई 2011-12, एएसआई 2012-13, एएसआई 2013-14 और एएसआई 2014-15 के दौरान प्रतिदर्श आकार क्रमश: 61573, 61866, 65972, 66283 और 70,943 इकाइयां थीं । एएसआई 2015-16 में 73,481 इकाइयां सर्वेक्षण के लिए चयनित की गई हैं । एएसआई 2012-13, एएसआई 2013-14 और एएसआई 2014-15 की सभी अनुसूचियों को एएसआई की वेब पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया गया है ।

4.25 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण परिणामों को जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है । एएसआई 1998-99 से विस्तृत परिणाम (दो खंडों में) संतोषजनक रूप से जारी किए जा रहे हैं । एएसआई 2013-14 के अंतिम निष्कर्ष दो खंडों में जारी किए गए, (खंड-I ई-मीडिया में तथा खंड-II सीडी में है) । एएसआई 2009-10 के खंड-I के परिणाम इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपयोगकर्ताओं को आसानी से उपलब्ध हैं और मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं तथा खंड-II, सीडी भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है । खंड I और खंड II के लिए एएसआई 2014-15 के अंतिम परिणाम मार्च, 2017 में जारी किए जाने की संभावना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणामों की झलक

4.26 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013-14 के अंतिम परिणाम मार्च 2016 में जारी किए गए। एएसआई 2013-14 में पूरे देश को शामिल किया गया । वित्त वर्ष 2013-14 के साथ संदर्भ अवधि के लिए एएसआई 2013-14 का क्षेत्रीय कार्य 2014-15 में किया गया । कुल मिलाकर 66,283 फैक्ट्रियों (संयुक्त रिर्टन सहित) से आंकडे एकत्रित किए गए । एएसआई 2013-14 में सभी अनुसूचियां एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से प्रसारित की गई हैं । वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013-14 के सर्वेक्षण की कुछ मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

- 2013-14 के दौरान चल रहे कारखानों की अनुमानित संख्या 2,24,576 थी ।
- इन कारखानों द्वारा लगभग 134.6 लाख लोगों को काम पर लगाया गया था।
- इन सभी कारखानों की कुल निवेशित पूंजी ₹ 33,84,55,535 लाख थी ।
- कारखानों द्वारा कुल निवल मूल्य संवर्धन ₹ 8,95,342 करोड़ था ।

प्रमुख विशेषताएं

सारणी-4

विशेषताएं	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कारखाने	संख्या	158877	211660	217554	222120	224576
स्थायी पूंजी	₹ लाख	135218367	160700652	194955088	218026022	237371903
उत्पादक पूंजी	₹ लाख	173992820	222736937	254062947	278367129	303640480
निवेशित पूंजी	₹ लाख	193305395	239358002	284114733	314411215	338455535
श्रमिक	₹ लाख	9157802	9901970	10438156	10051626	10444404
कार्मिक	₹ लाख	11722631	12617691	13346243	12873853	13462061
श्रमिकों को मजदूरी	₹ लाख	6894071	8564552	10001913	11089620	12649644
परिलब्धियां	₹ लाख	14700696	18329574	21509846	23805727	27241503
कुल लागत	₹ लाख	303585334	385108361	479846038	501866586	549013952
उत्पादन	₹ लाख	373303593	467621696	570366932	602594536	655525116
अवमूल्यन	₹ लाख	10506872	12055754	14065505	15533081	16976977
निवल मूल्य संवर्धन	₹ लाख	59211387	70457581	76455389	85194869	89534187
निवल स्थायी पूंजी निर्माण	₹ लाख	16323196	16309792	20316875	20219540	18396832
निवल आय	₹ लाख	50679104	60306166	62770228	71928627	75152048
दिया गया किराया	₹ लाख	1200490	1349336	1619529	1642164	1527272
दिया गया ब्याज	₹ लाख	7331793	8802079	12065632	13807327	15485061
लाभ	₹ लाख	33293065	39016161	37911551	44426292	43956552

अक्तूबर 2016 तक की वास्तविक उपलब्धियां

4.27 एएसआई परिणामों को जारी करना:- एएसआई 2013-14 के अंतिम परिणाम ई-मीडिया में मार्च, 2016 में जारी किए जा चुके हैं । एएसआई 2009-10, खंड I के परिणाम मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, जबकि खंड II के परिणाम सीडी में भुगतान पर उपलब्ध हैं ।

एएसआई वेब-पोर्टल

4.28 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का वेबपोर्टल केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (आईएस विंग), कोलकाता द्वारा एएसआई अनुसूचियों के संग्रहण और संकलन हेतु एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है । इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इनबिल्ट विधायन की सुविधा के साथ स्रोत पर ही एएसआई आंकड़े एकत्र करना है जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और समय की बचत होगी । इसका एक अतिरिक्त लाभ

यह है कि यह सुरक्षित वातावरण में 24X7 उपलब्ध रहेगा । अनुमान है कि इससे अनुसूचियों को भौतिक रूप से इधर-उधर ले जाए बगैर सुरक्षित वातावरण में एएसआई आंकड़े समय से, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से प्रदान किए जा सकेंगे । एएसआई 2012-13 से एएसआई अनुसूची के फ्रेम के अपडेशन, प्रतिदर्श चयन और ई-संकलन के लिए एएसआई वेबपोर्टल सफलतापूर्वक शुरू किया गया है ।

औद्योगिक सांख्यिकी पत्रिका

4.29 विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा डाटा उपयोगकर्ताओं को शोध एवं विश्लेषणात्मक लेखों के प्रकाशन के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने के लिए "औद्योगिक सांख्यिकी पत्रिका" नामक छमाही पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है, जो इसके साथ ही औद्योगिक सांख्यिकी पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक प्रकाशित करती है । सीएसओ (आईएस विंग) कोलकाता 2012 से इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है । इस वर्ष के दौरान दो अंक मार्च, 2016 अंक और सितंबर, 2016 अंक भी प्रकाशित हो गए हैं और पत्रिका की साफ्ट प्रतियां मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। पत्रिका प्रकाशन नियंत्रक, आरएनआई तथा आईएसएसएन के साथ पंजीकृत है ।

औद्योगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

4.30 औद्योगिक सांख्यिकी पर सातवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी 26 सितम्बर, 2016 को कोलकाता में आयोजित की गई थी, जहां डॉ. आर.बी.बर्मन, अध्यक्ष, एनएससी, डॉ. टी.सी.ए. अनंत, सीएसआई एवं सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डॉ.जी.सी. मन्ना, अपर महानिदेशक, सीएसओ (ईएसडी) उपस्थित थे । इस संगोष्ठी में अनेक ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों, शोधकर्ताओं तथा शासकीय सांख्यिकीविदों ने भाग लिया और अपने-अपने आलेख प्रस्तुत किए ।

कोलकाता में 26 सितम्बर 2016 को आयोजित औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी सातवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉ. आर.बी.बर्मन, अध्यक्ष, एनएससी, औद्योगिक सांख्यिकी पत्रिका, खण्ड-5, सं. 2 (सितम्बर 2016) को जारी करते हुए

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

4.31 सीएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के स्रोत एजेंसियों से प्राप्त सैकेंडरी आंकडों का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करता है । आईआईपी का वर्तमान आधार वर्ष 2004-05 है । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के एसडीडीएस मानकों के अनुसार 6 सप्ताह से कम समय-अंतराल पर त्वरित अनुमानों के रूप में प्रत्येक माह जारी किया जाता है । खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के सूचकांक के विवरण के अलावा प्रयोग आधारित वर्गीकरण अर्थात् बुनियादी वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ तथा गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार भी अनुमान जारी किए जाते हैं । 15 स्रोत अभिकरणों से अद्यतन उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति पर इन अनुमानों में बाद में संशोधन कर दिया जाता है । तथापि, आंकड़ों का प्रमुख स्रोत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो समग्र आईआईपी में 45.6 प्रतिशत अधिमान का योगदान देते हुए 399 मद समूहों में से 268 मद समूहों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है ।

4.32 दिसम्बर, 2016 तक के, आईआईपी वास्तविक रिलीज कैलेंडर के अनुसार अक्तूबर, 2016 तक जारी किए जा चुके हैं । 2005-06 से 2016-17 (अक्तूबर, 2016 तक) के दौरान औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रवार वार्षिक सूचकांक, जनवरी, 2016 से अक्तूबर, 2016 तक के मासिक सूचकांक, तथा 2005-06 से 2016-17 (अक्तूबर, 2016) तक की वार्षिक वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं । इन सूचकांकों में बदलाव का पैटर्न आगे चार्ट में भी दिखाया गया है ।

रेखा चित्र 4: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वार्षिक सूचकांक): 2005-06 से 2015-16- क्षेत्र-वार

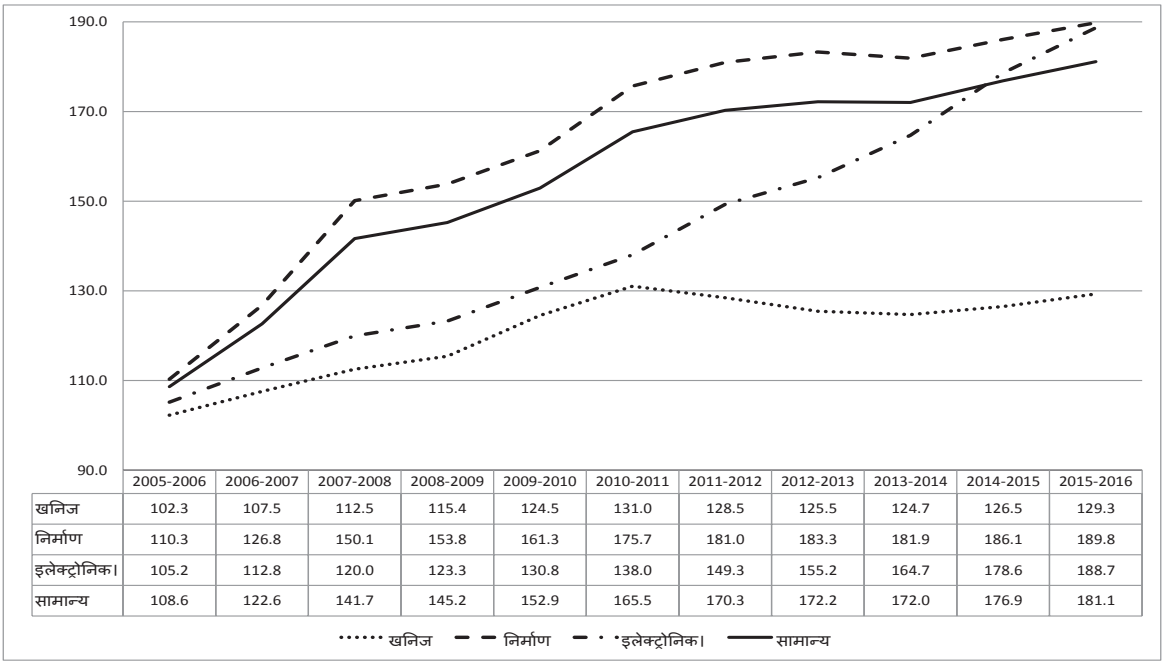

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
खनिज	102.3	107.5	112.5	115.4	124.5	131.0	128.5	125.5	124.7	126.5	129.3
निर्माण	110.3	126.8	150.1	153.8	161.3	175.7	181.0	183.3	181.9	186.1	189.8
इलेक्ट्रोनिक।	105.2	112.8	120.0	123.3	130.8	138.0	149.3	155.2	164.7	178.6	188.7
सामान्य	108.6	122.6	141.7	145.2	152.9	165.5	170.3	172.2	172.0	176.9	181.1

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण; वि. - विद्युत

रेखा चित्र 5: आईआईपी द्वारा दर्शायी गई क्षेत्र-वार वार्षिक वृद्धि दरों (पिछले वर्ष की तुलना में) की तुलना: 2005-06 से 2015-16

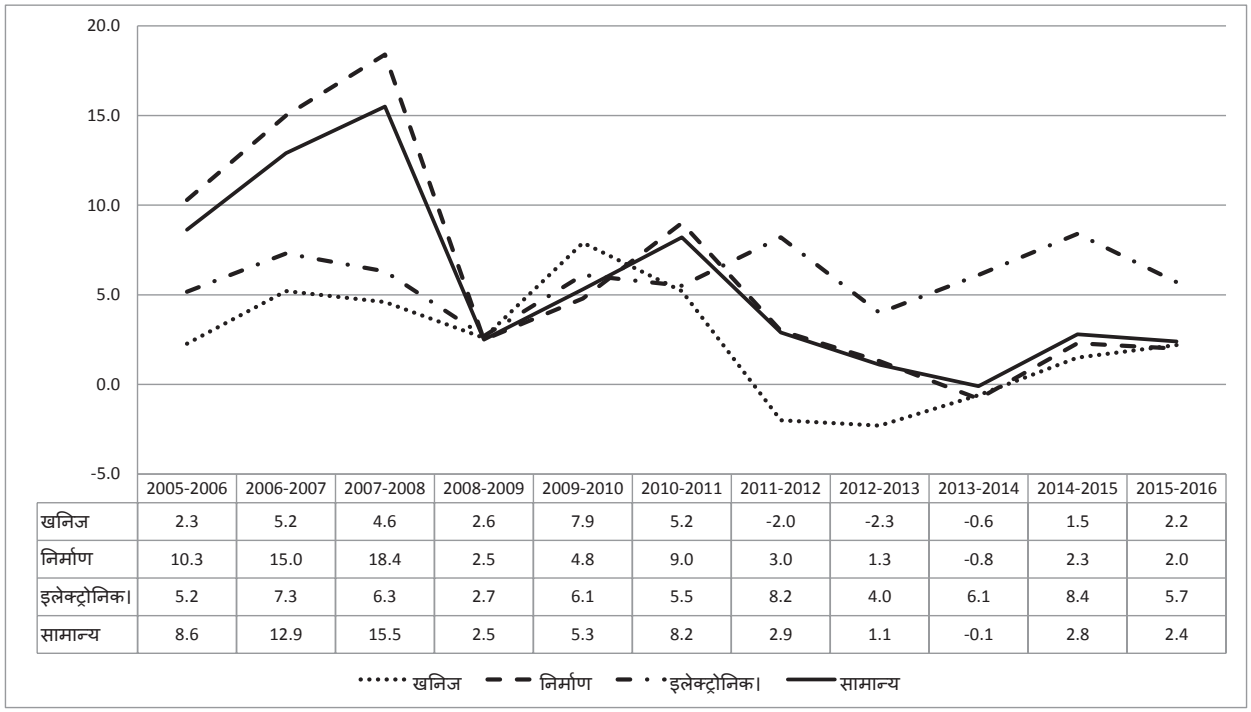

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
खनिज	2.3	5.2	4.6	2.6	7.9	5.2	-2.0	-2.3	-0.6	1.5	2.2
निर्माण	10.3	15.0	18.4	2.5	4.8	9.0	3.0	1.3	-0.8	2.3	2.0
इलेक्ट्रोनिक।	5.2	7.3	6.3	2.7	6.1	5.5	8.2	4.0	6.1	8.4	5.7
सामान्य	8.6	12.9	15.5	2.5	5.3	8.2	2.9	1.1	-0.1	2.8	2.4

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण; वि. - विद्युत

रेखा चित्र 6: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (मासिक): जनवरी 2016 से सितम्बर* 2016 क्षेत्र-वार सूचकांक

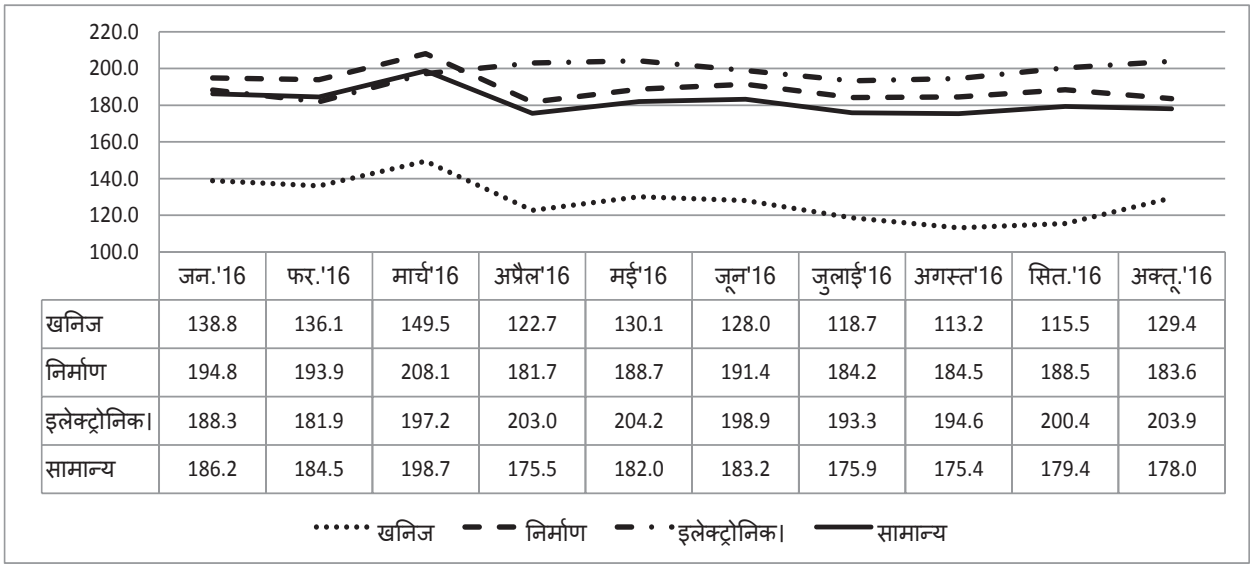

	जन.'16	फर.'16	मार्च'16	अप्रैल'16	मई'16	जून'16	जुलाई'16	अगस्त'16	सित.'16	अक्तू.'16
खनिज	138.8	136.1	149.5	122.7	130.1	128.0	118.7	113.2	115.5	129.4
निर्माण	194.8	193.9	208.1	181.7	188.7	191.4	184.2	184.5	188.5	183.6
इलेक्ट्रोनिक।	188.3	181.9	197.2	203.0	204.2	198.9	193.3	194.6	200.4	203.9
सामान्य	186.2	184.5	198.7	175.5	182.0	183.2	175.9	175.4	179.4	178.0

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण; वि. - विद्युत

रेखा चित्र 7: आईआईपी द्वारा दर्शायी गई क्षेत्र-वार वृद्धि दरें (पिछले वर्ष की तुलना में): जनवरी 2016 से अक्तूबर* 2016 तक

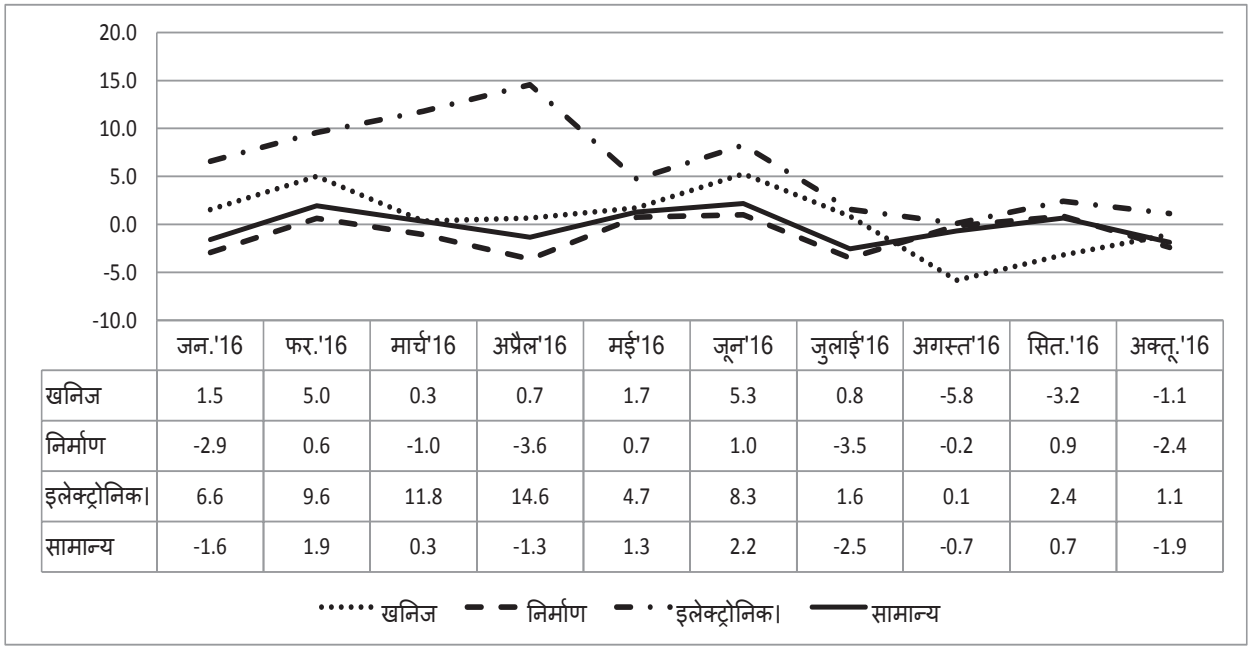

	जन.'16	फर.'16	मार्च'16	अप्रैल'16	मई'16	जून'16	जुलाई'16	अगस्त'16	सित.'16	अक्तू.'16
खनिज	1.5	5.0	0.3	0.7	1.7	5.3	0.8	-5.8	-3.2	-1.1
निर्माण	-2.9	0.6	-1.0	-3.6	0.7	1.0	-3.5	-0.2	0.9	-2.4
इलेक्ट्रोनिक।	6.6	9.6	11.8	14.6	4.7	8.3	1.6	0.1	2.4	1.1
सामान्य	-1.6	1.9	0.3	-1.3	1.3	2.2	-2.5	-0.7	0.7	-1.9

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण; वि. - विद्युत

रेखा चित्र 8: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (संचयी सूचकांक अप्रैल-अक्तूबर*):2005-06 से 2016-17 - क्षेत्र-वार

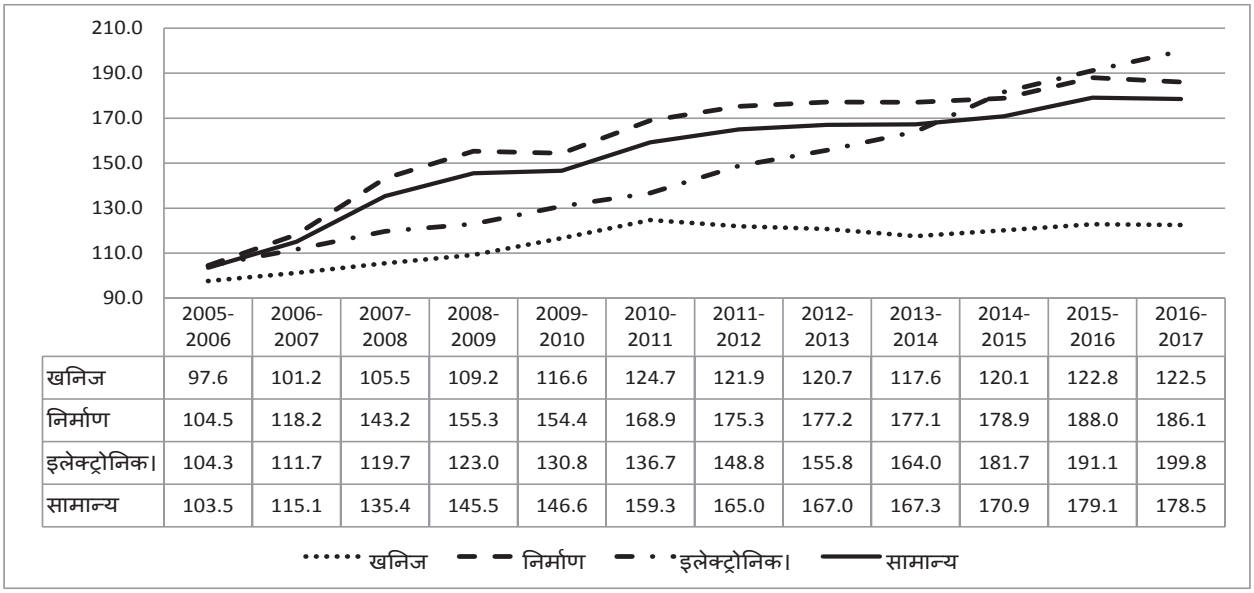

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
खनिज	97.6	101.2	105.5	109.2	116.6	124.7	121.9	120.7	117.6	120.1	122.8	122.5
निर्माण	104.5	118.2	143.2	155.3	154.4	168.9	175.3	177.2	177.1	178.9	188.0	186.1
इलेक्ट्रोनिक।	104.3	111.7	119.7	123.0	130.8	136.7	148.8	155.8	164.0	181.7	191.1	199.8
सामान्य	103.5	115.1	135.4	145.5	146.6	159.3	165.0	167.0	167.3	170.9	179.1	178.5

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण; वि. - विद्युत

रेखा चित्र 9: आईआईपी द्वारा दर्शायी गई अप्रैल से अक्तूबर* तक की अवधि के लिए क्षेत्र-वार वृद्धि दरों (पिछले वर्ष की तुलना में) की तुलना: 2005-06 से 2016-17 तक

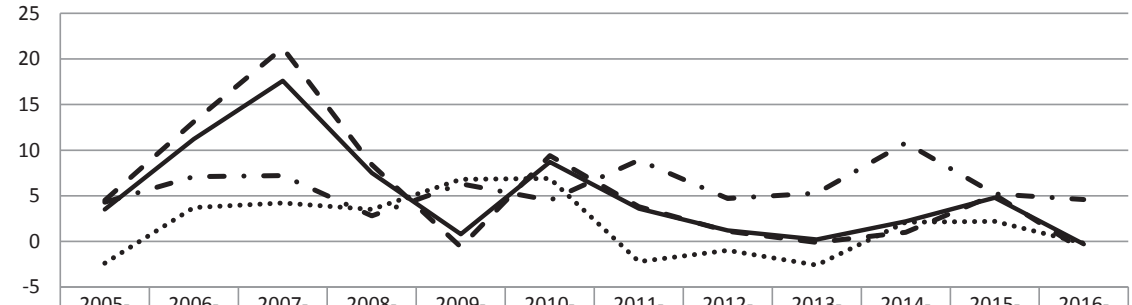

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
खनिज	-2.4	3.7	4.2	3.5	6.8	6.9	-2.2	-1	-2.6	2.1	2.2	-0.2
निर्माण	4.5	13.1	21.2	8.4	-0.6	9.4	3.8	1.1	-0.1	1	5.1	-1
इलेक्ट्रोनिक।	4.3	7.1	7.2	2.8	6.3	4.5	8.9	4.7	5.3	10.8	5.2	4.6
सामान्य	3.5	11.2	17.6	7.5	0.8	8.7	3.6	1.2	0.2	2.2	4.8	-0.3

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण; वि. - विद्युत

4.33 औद्योगिक क्षेत्र के बदलावों को देखते हुए सीएसओ ने अखिल भारत आईआईपी के आधार वर्ष को 2004-05 को बदलकर 2011-12 करने की प्रक्रिया चलाई हुई है । इस प्रयोजनार्थ भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर मदों की नई बास्केट तथा फैक्ट्रियों का पैनल तैयार किया गया है । नई श्रृंखला सूचकांकों के तुरन्त प्रभाव से प्रारंभ की जाएगी तथा कार्यप्रणालीगत पहलुओं को सचिवों की समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई । अप्रैल 2011 की अवधि इस समय चुनी हुई फैक्ट्रियों से मदों की मद संबंधी नए उत्पादन आंकड़े नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ आईआईपी संकलन करने हेतु अपेक्षित हैं ।

ऊर्जा सांख्यिकी

4.34 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) प्रत्येक वर्ष "ऊर्जा सांख्यिकी" नामक प्रकाशन निकालता है तथा अप्रैल, 2016 के अंत में जारी होने वाला ऊर्जा सांख्यिकी-2016 (23वां संस्करण) इस श्रृंखला में जारी किया गया नवीनतम संस्करण है । इस प्रकाशन में विभिन्न एजेंसियों/संगठनों के पास उपलब्ध विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के संबंध में नवीनतम आंकड़े तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा आरक्षित क्षमता, स्थापित क्षमता, उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात तथा ऊर्जा से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्य के बारे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। इस प्रकाशन में एनर्जी कमोडिटी बैलेंस और एनर्जी बैलेंस को भी शामिल किया गया है ।

शैंकी आरेख (ऊर्जा आरेख) को पहली बार संस्करण में शामिल किया गया । इस प्रकार एक ही स्थल पर संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध करा कर यह प्रकाशन नियोजनकर्ताओं, नीति-निर्माताओं तथा शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

4.35 प्रकाशन की उपयोगिता बढाने के लिए विश्लेषणात्मक संकेतक यथा विकास दर, चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) और प्रतिशत वितरण तत्संबंधी तालिकाओं में उपलब्ध कराए गए हैं।

4.36 इस प्रकाशन में 2005-06 से 2014-15 तक के भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों से उत्पादन, उपलब्धता, उपभोग और मूल्य सूचकांक से संबंधित समय श्रृंखला आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं ।

छठी आर्थिक गणना

4.37 छठी आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी उद्यमों (अर्थात् न केवल एकल उपभोग के प्रयोजनार्थ बल्कि सामानों और सेवाओं के उत्पादन तथा/अथवा वितरण में लगी इकाइयों) की सम्पूर्ण गणना है । छठी आर्थिक गणना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान आयोजित की गई थी। आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग की आर्थिक गणना इकाई केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र मार्गदर्शन प्रदान किया गया ।

4.38 छठी आर्थिक गणना का संक्षिप्त उद्देश्य: छठी आर्थिक गणना अर्थव्यवस्था के ढांचे (लघु, वृहत और क्षेत्रीय स्तर) के व्यापक विश्लेषण के लिए अखिल भारत, राज्य, जिला और गांव/वार्ड स्तरों पर वितरण सहित इन सभी कार्यों (फसल उत्पाद, पौध-रोपण, लोक-प्रशासन, रक्षा तथा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर) उद्यमों की संख्या तथा इनमें क्रियाकलाप-वार नियोजित व्यक्तियों की संख्या संबंधी अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है।

4.39 क्षेत्र और कवरेज: छठी आर्थिक गणना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई। स्व-उपभोग के एकमात्र प्रयोजनार्थ के अलावा वस्तुओं तथा/अथवा सेवाओं के उत्पादन तथा/अथवा वितरण से संबंधित फसल उत्पादन, पौध-रोपण, लोक-प्रशासन, रक्षा तथा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा में शामिल को छोड़कर सभी आर्थिक क्रियाकलापों (कृषि तथा गैर-कृषि) को शामिल किया गया । तथापि, जैसा कि पहले की गणनाओं में किया गया था, निम्नलिखित क्रियाकलाप छठी आर्थिक गणना के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए:

- आशय-रहित उद्यमों तथा घूमंतु आबादी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमती रहती है तथा या तो आश्रय रहित कैंप अथवा कामचलाऊ आश्रय में रहती है ।
- तस्करी, जुआ खेलने, भिक्षाटन, वेश्यावृत्ति आदि जैसे कुछ अवैध कार्यों में संलग्न उद्यम।

- घरेलू नौकर, चाहे वे अनेक परिवारों वाले किसी एक परिवार में कार्यरत हों, चालक, आदि जो दिहाड़ी पर अन्य के लिए कार्य करते हैं ।
- नैमत्तिक प्रकृति के समस्त दिहाड़ी पाने वाले कर्मचारी ।
- पारिवारिक कार्यों में संलग्न पारिवारिक सदस्य ।
- सामान उतारने-चढ़ाने, एक राजमिस्त्री अथवा बढ़ई की सहायता करने, किसी ठेकेदार के लिए मिट्टी का कार्य करना जैसे कार्य की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं ।
- अन्य परिवारों के लिए काम करने वाले परिवार के सदस्य तथा कतिपय पैसे कमाना जो दिखाई नहीं देता है ।
- वे परिवार जो किसी लाभप्रद कार्य में नहीं लगे हुए हों अर्थात वे भेजी हुई रकम, किराया, ब्याज, पेंशन आदि जैसे कार्यकलापों पर निर्भर करते हों ।

4.40 महत्वपूर्ण रिलीज इस प्रकार हैं:

- छठी आर्थिक गणना संबंधी अखिल भारत रिपोर्ट 31 मार्च 2016 को जारी की गई ।
- छठी आर्थिक गणना आधारित उद्यमों(10 या अधिक कामगार) की राज्य/संघ राज्य-वार निर्देशिकाएं 12 जुलाई 2016 को जारी की गई ।
- सिंहावलोकन पर अखिल भारत कार्यशाला तथा छठी आर्थिक गणना परिणामों के उपयोग पर 24 जून 2016 को कार्यशाला आयोजित की गई ।
- छठी आर्थिक गणना का इकाई स्तरीय डेटा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को भेजा जा चुका है ।
- छठी आर्थिक गणना संबंधी राज्य स्तरीय रिपोर्टों को 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतिम रूप दिया गया ।

नई दिल्ली में 24 जून 2016 की आयोजित छठी आर्थिक गणना परिणामों संबंधी अखिल भारत कार्यशाला में उपस्थित डॉ. जी.सी.मन्ना, महानिदेशक, सीएसओ, प्रो. एस.पी.मुखर्जी, छठी आर्थिक गणना संबंधी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, डॉ. आर.बी.बर्मन, अध्यक्ष, एनएससी, प्रो. टी.सी.ए. अनंत, सीएसआई तथा श्री सुनील जैन, उप महानिदेशक, आर्थिक गणना

4.41 छठी आर्थिक गणना की प्रमुख विशेषताएं

- छठी आर्थिक गणना (ईसी) में भारतीय संघ के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया ।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान फील्डवर्क किया गया ।
- आर्थिक गणना में फसल उत्पादन, पौध-रोपण, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर विभिन्न कृषि तथा गैर-कृषि कार्यों में संलग्न सभी उद्यमों में गणना की गई।
- हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों के लिए आंकड़ा पहली बार एकत्र किया गया ।
- आंकड़ा संग्रहण हेतु प्राथमिक भौगोलिक इकाइयों के रूप में जनगणना 2011 के परिगणना ब्लाकों का उपयोग किया गया ।
- जनगणना, 2011 के लगभग 2.45 मिलियन परिगणना ब्लॉकों से आंकड़े एकत्र करने के लिए लगभग 1.17 मिलियन परिगणकों और पर्यवेक्षकों को लगाया गया ।

4.42 उद्यम

- छठी आर्थिक गणना (2013) के अनुसार, 58.5 मिलियन उद्यम परिचालन में पाए गए । 34.8 मिलियन उद्यम (59.48%) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 23.7 मिलियन उद्यम (40.52%) शहरी क्षेत्रों में अवस्थित थे ।
- 58.5 मिलियन उद्यमों में से, लगभग 77.6**%** उद्यम (45.36 मिलियन) गैर-कृषि कार्यों (लोक प्रशासन, रक्षा तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलापों को छोड़कर) में लगे हुए थे जबकि शेष 22.4**%** उद्यम (13.13 मिलियन) कृषि कार्यों (फसल उत्पाद और पौध-रोपण को छोड़कर) में लगे हुए पाए गए ।
- पांचवीं आर्थिक गणना और छठी आर्थिक गणना के मध्य लगभग 8 वर्षों से अधिक की अवधि में देश में कुछ उद्यमों की संख्या में वर्ष 2005 (ईसी 2005) में 41.25 मिलियन से लेकर वर्ष 2013 (ईसी 2013) में 58.5 मिलियन तक वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान 41.79% वृद्धि दर्ज की गई । यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 38.37% तथा शहरी क्षेत्रों में 47.13% थी ।
- दो आर्थिक गणनाओं (2005 और 2013) के बीच की अवधि के दौरान, गैर-कृषि उद्यमों में 28.97% की दर से वृद्धि हुई, जबकि कृषि उद्यमों में 115.98% की दर से वृद्धि हुई ।
- कुल उद्यमों में से, 22.6% प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, जिसमें कृषि क्षेत्र 22.45% का कार्य करते हैं, खनन और उत्खनन 0.15%, 19.72% जो मध्यवर्ती क्षेत्र (निर्माण जो 1.66% के योगदान सहित) से संबंधित है तथा 57.68% तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है ।
- 41.97 (71.74**%**) स्व-खाते वाले उद्यम (अर्थात् बिना किसी दिहाड़ी कामगार के उद्यम) थे तथा शेष 16.53 मिलियन (28.26**%**) कम से कम एक दिहाड़ी कामगार वाले उद्यम थे । स्व-खाते वाले उद्यमों में 56.02**%** की दर से वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2005 से दिहाड़ी पर रखे गए कामगारों वाले उद्यमों में वृद्धि 15.11**%** रही ।

- 58.5 मिलियन उद्यमों में से, लगभग 96.4**%** उद्यम निजी स्वामित्व वाले थे तथा शेष 3.6**%** उद्यम निजी स्वामित्व वाले थे तथा शेष 3.6**%** उद्यम सरकारी पीएसयू के रूप में थे । प्रोपैरिएटरी उद्यम 89.39**%** थे ।
- देश में सभी उद्यमों का 1/3 (36.19**%**) से अधिक उद्यम गृह आधारित उद्यम अर्थात् घर के अंदर चलने वाले उद्यम थे । अन्य 18.44**%** उद्यम पक्के मकानों रहित घर से बाहर से संचालित थे तथा शेष 45.37**%** उद्यम पक्की संरचना वाले घर से बाहर से परिचालित थे ।
- अधिकतर उद्यम (93.0**%**)स्थायी प्रकृति के थे । लगभग 5.9**%** उद्यम मौसमी थे तथा शेष 1.1**%** उद्यम नैमित्तक थे ।
- शीर्ष पांच राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश (11.43**%**), महाराष्ट्र (10.49**%**), पश्चिम बंगाल (10.1**%**), तमिलनाडु (8.6**%**) तथा आन्ध्र प्रदेश (7.25**%**) में देश के कुल उद्यम संख्या का लगभग 50**%** की गणना की गई ।
- पशुधन कृषि क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप (86.74**%**) रहा । गैर-कृषि क्षेत्र में खुदरा व्यापार (35.41**%**) तथा इसके बाद विनिर्माण (22.77**%**) प्रबल रहा ।
- राज्यों में, वर्ष 2005-2013 के दौरान उद्यमों की अधिकतम वृद्धि दर मणिपुर में (121.07%) देखी गई और इसके बाद असम (107.99%) तथा सिक्किम (100.07%) थी।

4.43 स्वामित्व (प्रोप्रिएटरी) उद्यम

- उद्यमों का 89.39% उद्यम प्रोप्रिएटरों के स्वामित्व वाले थे ।
- प्रोप्रिएटरी उद्यमों में से, 15.4% महिला स्वामित्व वाले थे ।
- 73.7% उद्यम हिन्दू स्वामित्व वाले थे, 13.8% इस्लाम अनुयायियों के थे, 2.6% ईसाई धर्म मानने वालों के तथा शेष (9.9%) अन्य धर्मों के मानने वाले थे ।

4.44 रोजगार

- लगभग 131.29 मिलियन व्यक्ति 58.5 मिलियन उद्यमों में नियोजित पाए गए । कुल 131.29 मिलियन व्यक्तियों में से, 67.89 मिलियन व्यक्ति (51.71%) ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित तथा 63.4 मिलियन व्यक्ति (48.29%) शहरी क्षेत्रों में नियोजित थे । जबकि स्व खाते वाले उद्यमों में रोजगार 58.15 मिलियन व्यक्ति (44.29%) के पास था, कम से कम एक दिहाड़ी मजदूर वाले उद्यमों में रोजगार लगभग 73.14 मिलियन व्यक्ति (55.71%) था । कृषि उद्यम ने लगभग 22.8 मिलियन व्यक्तियों (17.42%) को रोजगार प्रदान किया तथा गैर-कृषि उद्यमों ने लगभग 108.41 मिलियन व्यक्तियों (82.58%) को रोजगार मुहैय्या कराया।
- वर्ष 2005 से रोजगार की वृद्धि दर 38.13% रही ।
- रोजगार प्राप्त कुल 131.29 मिलियन व्यक्ति में 98.25 मिलियन व्यक्ति (74.83%) पुरूष तथा 33.04 मिलियन व्यक्ति (25.17%) महिलाएं थी ।

- 7.2% कामगार सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित थे । 78.5% कामगार स्वामित्व वाले उद्यमों में नियोजित थे तथा शेष 14.3% निजी कंपनियों/एसएचजी/सहकारी क्षेत्रों आदि में नियोजित थे ।
- करीब 57.14 मिलियन व्यक्ति (43.53%) श्रमिक थे तथा शेष 74.14 मिलियन व्यक्ति (56.47%) श्रमिक नहीं थे । कुल कार्मिकों में, 74.83% पुरूष तथा 25.17% महिलाएं थी ।
- विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा नियोजक था, जिसमें 30.3 मिलियन (23.1%) व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था । इसके बाद के नियोजकों में खुदरा व्यापार तथा पशुधन क्षेत्र का स्थान था, जिसमें क्रमशः 27.19 मिलियन व्यक्ति (20.7%) तथा 19.4 मिलियन व्यक्ति (14.8%) नियोजित थे ।
- रोजगार के आकार के अनुसार उद्यमों के वितरण से पता चलता है कि करीब 55.86 मिलियन उद्यमों (95.50%) में 1 से 5 मजदूर कार्य कर रहे थे, करीब 1.83 मिलियन उद्यमों (3.13%) में 6 से 9 मजदूर कार्य कर थे, जबकि 0.8 मिलियन उद्यमों (1.37%) में 10 या अधिक मजदूर कार्य कर रहे थे ।
- शीर्ष पांच राज्यों यथा महाराष्ट्र (11.05%), उत्तर-प्रदेश (10.75%), पश्चिम बंगाल (9.07%), तमिलनाडु (8.91%) तथा गुजरात (7.32%) देश के कुल रोजगार में लगभग आधा हिस्सा था ।
- तथापि सबसे अधिक रोजगार वृद्धि दर मणिपुर (93.57%) में, इसके बाद असम (89.32%) तथा उत्तर-प्रदेश में (79.94%) देखा गया ।
- छठी आर्थिक गणना में उद्यम अनुसार कुल औसत रोजगार पांचवी आर्थिक गणना के 2.30 की तुलना में 2.24 थी । स्वयं के उद्यमों के छठी आर्थिक गणना में प्रति उद्यम औसत रोजगार 1.39 थी तथा कम से कम एक नियोजित मजदूर वाले उद्यमों में औसत रोजगार 4.42 थी ।

4.45 **महिला उद्यमी**

- महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले कुल उद्यमों की संख्या 8.05 मिलियन (13.76%) थी । इन उद्यमों में 13.45 मिलियन व्यक्तियों (10.24%) को रोजगार मिला हुआ था, जिनमें से 83.19% उद्यमों में नियोजित मजदूर नहीं थे । करीब 88.8% मजदूर ऐसे उद्यमों में कार्य कर रहे थे जिनमें 10 से कम मजदूर नियोजित थे। स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 0.19 मिलियन थी जिनमें सभी महिलाओं वाले स्वयं के उद्यमों की संख्या 89% थी ।
- महिला उद्यमियों के तहत करीब 34.3% उद्यम कृषि संबंधी गतिविधियों से संबंधित थे जिनमें सबसे अधिक शेयर 31.6% पशुधन का था । महिला स्वामित्व वाले विनिर्माण तथा खुदरा व्यापार का तदनुसार प्रतिशत सबसे अधिक क्रमशः 29.8% तथा 17.8% था ।
- महिला उद्यमियों के तहत कुल उद्यमों में, विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक समूहों का प्रतिशत शेयर निम्नलिखित थाः अ.पि.व. 40.6%, अ.जा. 12.18%. अ.ज.जा. 6.97% तथा अन्य 40.25%, हिन्दूः 65.6%, मुस्लिमः 12.84% तथा इसाईः 5.2%

- राज्यों में, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में तमिलनाडु (13.51%), का सबसे बड़ा शेयर था, तत्पश्चात केरल (11.35%), आंध्र प्रदेश (10.56%), पश्चिम बंगाल (10.33%), तथा महाराष्ट्र (8.25%) था ।
- महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में प्रति उद्यम औसत रोजगार 1.67 था ।

4.46 **हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम**

- कुल हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों की संख्या 1.87 मिलियन (1.71%) थी । इन उद्यमों में 4.2 मिलियन व्यक्तियों (3.12%) को रोजगार मिला था । कुल उद्यमों में 78.9% बिना नियोजित मजदूर थे । हस्तशिल्प/हस्तकरघा उदयमों का करीब 67.0% उद्यम परिवार से बाहर स्थित थे जिसकी न तो पक्की संरचना थी और न वे परिवार में स्थित थे ।
- अधिकांश उद्दयम अर्थात् 96.6% मालिकाना स्वामित्व वाले थे । इसके बाद, 21.89% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले थे जबकि 77.74% उद्यम पुरुषों के स्वामित्व वाले थे । हस्तशिल्प/हथकरघा मालिकाना वाले करीब 68.22% उद्यम हिन्दुओं के, 24.78% इस्लाम मानने वालों के तथा 1.88% इसाइयों के थे । इन मालिकाना उद्यमों में 47.6% अ.पि.व. स्वामित्व वाले थे, 13.87% अ.जा. तथा 6.51% अ.ज.जा. स्वामित्व वाले थे ।
- कुल हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों में राज्यों में पश्चिम बंगाल का शेयर सबसे अधिक (17.62%) था, इसके बाद उत्तर प्रदेश (16.55%), ओडिशा (7.8%), आंध्र प्रदेश (7.54%), तथा तमिलनाडु (6.8%) था ।
- हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों में प्रति उद्यम औसत रोजगार 2.24 था ।

4.47 **छठी आर्थिक गणना डाटाबेस का उपयोग**

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के लिए छठी आर्थिक गणना पर आधारित क्षेत्र-फ्रेम का उपयोग किया गया है तथा सेवा क्षेत्र को समर्पित एनएसएस के अगले 74वें दौर के लिए छठी आर्थिक गणना के अनुसार 10 या इससे अधिक मजदूरों वाले उद्यमों के लिए सूची फ्रेम का उपयोग किया जा रहा है ।
- राष्ट्रीय व्यापार रजिस्टर तैयार करने के लिए छठी आर्थिक गणना के आंकड़े प्रयोग किए गए हैं ।
- आंकड़ों का नेशनल कैरियर केंद्रों के विकास हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है; तथा
- छठी आर्थिक गणना, एनएसएसओ द्वारा बाद के अनुवर्ती सर्वेक्षणों तथा एमएसआई के सर्वेक्षण/गणना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम में मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने में भी उपयोगी होगा ।

4.48 **छठी आर्थिक गणना की सीमाएं:-**

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में छठी आर्थिक गणना को दो माह के दौरान तथा संपूर्ण छठी आर्थिक गणना को छह माह के भीतर पूरा करने की योजना बनाई गई । किन्तु समाजार्थिक तथा जाति-गणना (एसईसीसी) का फील्ड कार्य जून 2011 से दिसम्बर 2012 तक बढ़ाए जाने के कारण, छठी आर्थिक गणना का फील्ड-कार्य जनवरी 2013 के पहले शुरू नहीं किया जा

सका। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ वास्तविक प्रशासनिक समस्याओं के कारण देश भर में फील्ड कार्य निर्धारित छह माह की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सका ।

- एकत्रित सूचनाएं सामान्यतः रिकार्ड पर आधारित नहीं है, बल्कि मौखिक सूचनाओं पर आधारित है । सूचना देते समय उत्तरदाताओं द्वारा कुछ भूल जाने अथवा अनौपचारिक दृष्टिकोण की वजह से कुछ प्रतिदर्श त्रुटियां हो सकती हैं ।
- फील्ड-कार्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों, ग्राम सेवकों, पंचायत सचिवों, बेरोजगार नवयुवकों, एनजीओ कर्मचारियों आदि को सौंपा गया था, जो सांख्यिकीय आंकड़ा संग्रहण से अनभिज्ञ थे ।
- 'अन्य' अर्थात् ट्रांसजेंडरों के स्वामित्व वाले मालिकाना उद्यमों के लिए पहली बार एकत्रित की जा रही सूचनाओं को संग्रहित करना मुश्किल था । पूर्व में, इस प्रकार की सूचनाएं पुरुष श्रेणी के अंतर्गत समेकित की गई थी । एतएव, पुरुषों के संबंध में आंकड़ों में कुछ गलतियां हो सकती हैं।
- तथापि, अनुसूची में कुछ सुधार किए गए ताकि उद्यमों को अल्प-सूचीबद्ध करने (विशेषकर, गृह आधारित इकाईयां या बिना पक्की संरचना वाले उद्यम), से बचाया जा सके । अल्प सूचीबद्ध करने के कारण आंकड़ों में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसे बड़े पैमाने के गणना कार्य में पूरी तरह दूर करना मुश्किल है ।

सामाजिक सांख्यिकी

4.49 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग को पर्यावरण सांख्यिकी सहित सामाजिक-सांख्यिकी के विकास को समन्वित करने का दायित्व सौंपा गया है । सामाजिक सांख्यिकी के दायरे में जनसंख्या, गरीबी, मानव विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक सांख्यिकी, विकलांगता, पर्यावरण, सहस्राब्दि विकासात्मक लक्ष्यों की सांख्यिकीय निगरानी, वहनीय विकासात्मक लक्ष्यों, तथा सार्क विकास लक्ष्यों और सार्क सामाजिक चार्टर की सांख्यिकी संबंधी निगरानी को शामिल किया गया है ।

लैंगिक सांख्यिकी

4.50 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग देश में लैंगिक सांख्यिकी के संग्रहण, समेकन से संबंधित मामलों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों को तकनीकी दिशा-निर्देश देता है ।

4.51 लैंगिक सांख्यिकी के लिए संकेतकों के मुख्य सेट का निर्धारण करने हेतु मंत्रालय के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के अधिकारी यूएनईएससीएपी तथा अन्य एजेंसियों द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं तथा विभिन्न परामर्शदाताओं के माध्यम से इनसे सलाह ली जाती है । मंत्रालय लैंगिक सांख्यिकी पर सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेता है ताकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इसके विकास को समझा जा सके तथा भारत के दृष्टिकोण को आगे रखा जा सके । लैंगिक सांख्यिकी पर अंतर-एजेंसी विशषज्ञ समूह की 10वीं बैंठक में तथा 23 अक्तूबर से 26 अक्तूबर, 2016 के दौरान हेलसिनकी, फिनलैंड में लैंगिक सांख्यिकी पर 6ठे वैश्विक फोरम में इस वर्ष मंत्रालय के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग

(एसएसडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिस्सा लिया । मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने लैंगिक समानता तथा लैंगिक समानता के लिए साक्ष्य आधारित पक्ष-पोषण तथा एसडीजी पर आयोजित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र कार्यशालाओं में सक्रियता से भाग लिया ।

4.52 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय को लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) तथा लैंगिक सशक्तिकरण उपाय (जीईएम) तैयार करने में तकनीकी दिशा-निर्देश है, एवं सहायता देता है ।

4.53 विभिन्न पहलुओं पर लैंगिक सांख्यिकी का संकलन प्रस्तुत करने के लिए एसएसडी वर्ष 1995 से ही एक वार्षिक प्रकाशन "भारत में महिला एवं पुरुष" प्रकाशित करता आ रहा है । प्रकाशन सामाजार्थिक संकेतकों से संबंधित लैंगिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है । यह समाज की अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता की स्थिति, को उजागर करता है, महिला-पुरुष दोनों की स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं की जानकारी देता है । प्रकाशन विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न स्रोत एजेंसियों से विभिन्न लिंगों के अलग-अलग आंकड़ों का मिलान करता है तथा दर्शाता है । श्रृंखला का अठाहरवां प्रकाशन जल्द ही जारी होगा ।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की निगरानी

4.54 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की सांख्यिकीय निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है । मंत्रालय का सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कार्यालयी आंकड़ों के आधार पर इंण्डिया कंट्री रिपोर्ट तैयार करता है । 'सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2015' नामक विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें उपलब्धियों की नवीनतम स्थिति और एमडीजी के कार्यक्रमों व नीतियों के ब्योरे दिए गए हैं, मंत्रालय के वेब पृष्ठ पर उपलब्ध है ।

सार्क विकास लक्ष्य और सार्क सामाजिक चार्टर

4.55 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में सार्क सामाजिक चार्टर के लक्ष्यों के समन्वयन एवं कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में नामित है । सार्क विकास लक्ष्य और सार्क सामाजिक चार्टर गरीबी उन्मूलन, आय के स्तर बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने, साक्षरता स्तर बढ़ाने और इस प्रकार नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में सरकारी नीतियों की उपलब्धियों के विस्तार का उपाय करता है । वैकल्पिक वर्षों में प्रकाशित सार्क विकास लक्ष्य और सार्क सामाजिक चार्टर नामक प्रकाशन भारत सार्क के प्रमुख लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता को आंकने के लिए सांख्यिकीय साधन उपलब्ध कराते हैं । "सार्क विकास लक्ष्य-इंडिया कंट्री रिपोर्ट-2016" नवीनतम प्रकाशन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों पर राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक

4.56 समस्त सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के लिए समाजार्थिक पैरामीटरों से संबंधित सभी प्रासंगिक आंकड़ों को रखने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक के लिए एक वेब-पृष्ठ तैयार किया गया है । विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक तालिकाएं इसमें शामिल की गई हैं ।

4.57 **भूखमरी समाप्ति की दिशा में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण, अनुसंधान तथा निष्पादन निगरानी के लिए कार्य प्रणाली तैयार करना**

अगस्त, 2015 में भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के बीच एक देशव्यापी कार्यनीतिक योजना (सीएसपी) 2015-18 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम से डब्ल्यूएफपी निम्नलिखित दो उद्देश्यों के संबंध में महत्वपूर्ण एवं अनुमानित प्रगति के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित दो उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्थन करता है ।

- संपूर्ण वर्ष सभी लोगों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- 5 वर्ष से कम आयु के अविकसित और दुर्बल बच्चों पर ध्यान देते हुए तथा किशोरियों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों की पौष्टिक जरूरतों पर ध्यान देते हुए अंतराष्ट्रीय सहमत लक्ष्यों के अनुसार कुपोषण समाप्ति सुनिश्चित करना ।

इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भुखमरी समाप्ति हेतु खाद्य तथा पोषाहार सुरक्षा विश्लेषण, अनुसंधान तथा निगरानी निष्पादन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है । उपर्युक्त संबंधित तकनीकी मामलों तथा अन्य प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देने हेतु, जिसमें अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के उप-समूह वाली, एक स्थाई उप समिति मंत्रालय में गठित की गई है । अभी तक उप समिति ने एक बैठक बुलाई है ।

समय उपयोग सर्वेक्षण

4.58 समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) समाज में पुरूषों एवं महिलाओं के वैतनिक और अवैतनिक कार्यों को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है । टीयूएस इस बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराता है कि कोई व्यक्ति अपना समय दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर किस प्रकार व्यतीत करता है और साथ ही विस्तार से यह भी बताता है कि किसी व्यक्ति के दैनिक कार्यकलाप किस प्रकार के हैं, यह जानकारी विशिष्ट और व्यापक दोनों तरह की होती है। इस प्रकार की जानकारी अन्य पारम्परिक सामाजिक सर्वेक्षणों के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती ।

4.59 बिहार तथा गुजरात राज्यों में किए गए प्रायोगिक सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों तथा फीडबैक के आधार पर सीएसओ ने एक रिपोर्ट तैयार की तथा समय उपयोग सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रीय गतिविधि वर्गीकरण (एनसीएटीयूएस) को भी अंतिम रूप दिया । देशव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण कराने

के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करने हेतु महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में (सीएपी, एसएसडी, एनएससी, एफओडी, डीपीडी तथा एसडीआरडी द्वारा नामित किए गए सदस्यों का) एक समूह गठित किया गया, ताकि एनसीएटीयूएस की जांच की जा सके, आंकड़ा संग्रहण के लिए उचित कार्यप्रणाली विकसित की जा सके तथा अनुसूचियों को मंगाते समय आई समस्याओं का मूल्यांकन किया जा सके । अधिकारियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) एनएसएसओ द्वारा एक पूर्व-जांच कार्य पूरा किया गया । भरी हुई अनुसूची की जांच तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक, के आधार पर, समय उपयोग सर्वेक्षण की पूर्व जांच कार्य के निष्कर्ष को अधिकारियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

4.60 देशव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सर्वेक्षण साधनों को अंतिम रूप देने के लिए एसडीआरडी, डीपीडी तथा एनएसएसओ के एफओडी एवं एसएसडी, सीएसओ से सदस्यों की एक तकनीकी समूह का गठन दिनांक 16 फरवरी, 2016 को किया गया तकनीकी समूह की चार बार बैठकें आयोजित की गई तथा अखिल भारत सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य-प्रणाली को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई । तकनीकी समूह की रिपोर्ट अधिकारी समूह को सौंपी गई । अधिकारी समूह के निर्देशानुसार, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को आयोजित चौथी बैठक में एसएसडी में सारणीयन योजना को अंतिम रूप देने का काम आरंभ कर दिया है ।

पर्यावरणीय सांख्यिकी

4.61 पर्यावरण सांख्यिकी पर्यावरणीय परिस्थितियों की स्थिति एवं परिवर्तनों, पर्यावरणीय स्रोतों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, पर्यावरण पर मानवीय कार्यकलापों एवं प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव, बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव के साथ-साथ इन प्रभावों को रोकने अथवा उनमें कमी लाने तथा उन्हें पुन: स्थापित करने और जीवन और मानव कल्याण हेतु अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने, पर्यावरण क्षमता बनाए रखने के लिए समितियों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों तथा आर्थिक उपायों का विवरण प्रस्तुत करती है । हालांकि पर्यावरण सांख्यिकी अभी भी सांख्यिकी का एक नया क्षेत्र है, लेकिन निरंतर गिरते पर्यावरणीय स्तर तथा पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के साथ संबंधित चुनौतियों की दिशा में ऐसी सांख्यिकी की मांग बढ़ रही है । इस तथ्य को मान्यता दिए जाने से कि मानव जीवन का कल्याण पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसके फलस्वरूप पर्यावरणीय मुद्दों की सूची में विस्तार हुआ है और ऋतु परिवर्तन, जैव-विविधता को नुकसान तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय अवश्य लिए जाने चाहिए ।

4.62 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग वर्ष 1997 से "पर्यावरण सांख्यिकी का सार-संग्रह" का प्रकाशन कर रहा है । प्रकाशन की विषय-वस्तु मोटे तौर पर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (यूएनएसडी) के "पर्यावरण सांख्यिकी के विकास का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (एफडीईएस)" पर आधारित है जिसमें जैव-विविधता, वातावरण, भूमि और मिट्टी, जल तथा मानव बस्तियों को शामिल किया गया है । यह प्रकाशन पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं तथा सतत विकास पर उसके प्रभाव को समझने में उपयोगी रहा

है । इसके अतिरिक्त, यह प्रकाशन पर्यावरण, पर्यावरणिक ह्रास, पर्यावरण पर विकास एवं विकासात्मक कार्यकलापों का प्रभाव, उत्सर्जन, विसर्जन, उनके स्रोतों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के संबंध में एक अवधारणात्मक दृष्टि प्रदान करता है । फरवरी 2016 में प्रकाशित पर्यावरण सांख्यिकी का सार-संग्रह भारत 2015 इस श्रृंखला में नवीनतम है तथा अगला अंक फरवरी 2017 में वेब प्रसारित किया जाएगा।

पर्यावरणीय - आर्थिक लेखांकन

4.63 भारत की राष्ट्रीय हरित लेखांकन के लिए एक रूप-रेखा विकसित करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन केन्द्रीय रूप-रेखा (SEEA-CF) की प्रणाली के तालमेल से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । राष्ट्रीय हरित लेखांकन को तैयार करने के लिए परिसंपत्ति लेखा, वास्तविक आपूर्ति तथा उपयोग सारणी और मौद्रिक आपूर्ति की जरूरत होती है ।

अभी तक निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

- चयनित केंद्रों के लिए लेखाओं के संकलन हेतु संकेतकों को चिह्नित किया गया है।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य आंकड़ा स्रोत एजेंसियों के साथ संगत सांख्यिकी की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया गया है ।
- अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक में किए गए मूल्यांकन के आधार पर, इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित सांख्यिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा ।

4.64 भारत में परीक्षण लेखाओं के समेकन हेतु आरंभिक प्रयास, के क्रम में लेखाओं के समेकन हेतु आवश्यक डाटा सारणी सीएसओ द्वारा तैयार किया गया । यह सारणी उन अन्य देशों द्वारा तैयार एक समान आंकड़े/सांख्यिकी के आधार पर चिह्नित किए गए जिन्हें पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन के समेकन में विशेषज्ञता हासिल थी । चिह्नित सारणियों के लिए भारत में आंकड़ों की उपलब्धता के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा यह प्रक्रिया प्रगति पर है ।

4.65 जून 2016 को पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति (यूएनसीईईए) की 11वीं बैठक आयोजित की गई, और यह देखा गया कि विभिन्न देशों ने लेखाओं के समेकन हेतु एक समान प्रपत्र नहीं बनाया । यूएनसीईईए ने इस बात को महसूस करते हुए कि एसईईए तकनीकी में शुरूआती सहायता मिल सकती है, कोर खातों तथा संयुक्त प्रेजेटेशन एसईईए आधारित आंकड़ों के समेकन तथा प्रचार-प्रसार के लिए मानक नमूनों को विकसित करने की सिफारिश की । इसे यूएनएसडी द्वारा निर्मित किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किया जाना है ।

जलवायु परिवर्तन सांख्यिकी

4.66 'भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सांख्यिकी 2015' नामक द्विवार्षिक प्रकाशन का द्वीतीय अंक 27 नवंबर, 2015 को सीएसओ के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा वेब प्रकाशित किया

गया । विभिन्न स्रोतों से एकत्र सांख्यिकी आधारित प्रकाशन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं ।

आपदा सांख्यिकी

4.67 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी), केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने आपदा सांख्यिकी के नियमित संकलनार्थ प्रयास आरंभ किए हैं। सीएसओ ने राज्य स्तर पर संग्रहित किए जाने तथा आगे राष्ट्रीय स्तर पर समेकित करने के लिए जिला स्तर पर आपदा सांख्यिकी के संकलनार्थ एक फ्रेमवर्क विकसित किया है । आंकड़ा संग्रहण हेतु फार्मेट भी तैयार किए गए और गृह मंत्रालय के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया गया । यूएनआईएसडीआर के परामर्श से गृह मंत्रालय ने जिला/उप-जिला स्तर से आपदाओं संबंधी अभिग्रहित प्रत्यक्ष आंकड़ों हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यूएनआईएसडीआर द्वारा विकसित 'इनदिसडेटा' सॉफ्टवेयर सीएसओ द्वारा विकसित निर्धारित फार्मेट में संरेखित किया गया है। आपदा संबंधित आंकड़ों के व्यवस्थित समेकन हेतु 'इनदिसडेटा' सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक संशोधन तथा परिचालन के लिए प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु एसएसडी गृह मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए है ।

सतत विकास लक्ष्यों हेतु वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क का विकास (एसडीजी)

4.68 25 सितंबर 2015 को, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर राज्य और सरकार प्रमुखों और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के एक नए सेट को अंगीकार करते हुए ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फार सस्टेनएबल डेवलपमेंट नामक दस्तावेज़ को अपनाया, जिससे आगामी 15 वर्षों तक विश्व में परिवर्तन होगा । ये वैश्विक लक्ष्य तथा ध्येय हैं जिसमें सम्पूर्ण विश्व, विकसित और विकासशील देश शामिल हैं । ये समेकित और अविभक्त तथा सतत विकास के तीनों आयोग अर्थात, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं ।

4.69 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा एसडीजी की वैश्विक निगरानी हेतु संकेतक फ्रेमवर्क विकसित करने के वैश्विक प्रयास में मंत्रालय अपनी भूमिका निभा रहा है । भारत सतत विकास लक्ष्य संकेतकों (आईएईजी एसडीजी) की इंटर-एजेंसी तथा विशेषज्ञ समूह का सदस्य है। आईएईजी एसडीजी की चौथी बैठक में एसडीजी के वैश्विक संकेतकों की सूची तैयार की गई है जिसे विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

4.70 भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को नीति परिणाम के आकलन हेतु सांख्यिकी संकेतकों को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है । नीति आयोग ने एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) गठित की है जो एसडीजी से संबंधित उन मामलों को देखेगा जिसका मंत्रालय सदस्य है । एसडीजी के लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क विकसित करने की दिशा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ वार्तालाप आरंभ किया है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसडीजी के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

विकसित करने हेतु केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ सितम्बर 2016 में एक राष्ट्रीय कार्यशाल आयोजित की । कार्यशाला की सिफारिश के अनुसार, प्रत्येक एसडीजी के लिए नोडल मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के सहयोग से जो नीति आयोग की मैपिंग के अनुसार एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों को कार्यन्वित करने हेतु उत्तरदायी हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से राज्य सरकारों के परामर्श में राष्ट्रीय संदर्भ में लक्ष्यों को परिभाषित करेगा/प्राथमिकता तय करेगा ।

एसडीजी के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा स्थानीय स्तर के विकास के लिए आधारभूत सांख्यिकी (बीएसएलएलडी)

4.71 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर की योजना बनाने के लिए अपेक्षित आंकड़ा आधार बनाने हेतु आंकड़े और आंकड़ा स्रोतों की संभावनाओं को तलाशने, कतिपय सामान्य से लेकर सभी प्रकार के आंकड़ों को रखने वाली अनुसूचियों की पूर्व जांच करने तथा संयोजकों की पहचान करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर के विकास के लिए आधारभूत सांख्यिकी (बीएसएलएलडी) संबंधी प्रयोगिक अध्ययन वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान प्रारंभ किया गया । इस अध्ययन के अनुभव के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारियां प्राप्त की गईं तथा हितधारकों से चर्चा की गई, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग से स्थानीय स्तर की विकास स्कीम के मूलभूत आंकड़ों के संकलन संबंधी दो व्यावहारिक रिपोर्टें प्रकाशित कीं । आशा है कि भारत में सूक्ष्म स्तर की योजना बनाने की आंकड़ों से संबंधित जरूरतों की पूर्ति के लिए तंत्र स्थापित करने में प्रायोगिक अध्ययनों संबंधी रिपोर्टें मार्ग प्रशस्त करेंगी ।

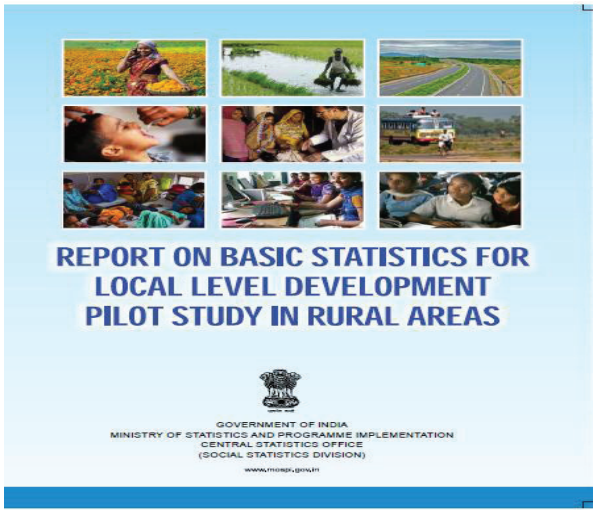

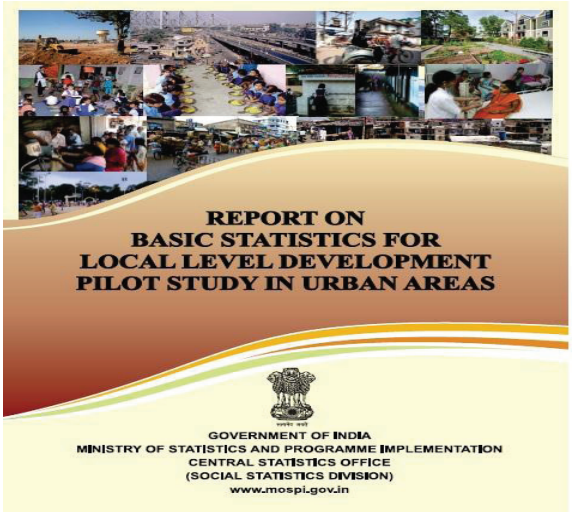

4.72 सूक्ष्म स्तरीय आयोजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए तथा बीएसएलएलडी योजना के कार्यान्वयन की प्रगति एवं समस्याओं की समीक्षा करने के लिए बीएसएलएलडी की विस्तारित स्थायी समिति की बैठक जुलाई, 2016 में आयोजित की गई जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों तथा विभिन्न मंत्रालयों के साथ अपने अनुभव बांटे गए । अन्य बातों के साथ-साथ बीएसएलएलडी के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षण की समेकित रिपोर्ट प्रायोगिक अभ्यास के दौरान एकत्रित अनुभव तथा स्थायी समस्याओं, यदि कोई है, को उजागर करते हुए तैयार करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार, उक्त रिपोर्ट के समेकन हेतु एक सारणीयन योजना अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए संगणक केंद्र को उपलब्ध कराई गई है ।

मानव संसाधन विकास

4.73 ग्रेटर नोएडा स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) और जीवन प्रकाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित इसके प्रशिक्षण एकक केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में कार्य करता है ।

4.74 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी के रूप में जाना जाता था (नासा), 13 फरवरी 2009 को स्थापित किया गया था जो राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कार्यालयी सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास को मुख्य रूप से पोषित करने वाला प्राथमिक संस्थान है । यह अकादमी सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में और राष्ट्रीय/उप राष्ट्रीय तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विशेषकर विकासशील और सार्क देशों के स्तर पर संबंधित विषयों में क्षमता-निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न है । सामाजिक-आर्थिक माहौल व अग्रिम तकनीक और प्रौद्योगिकी के अनुरूप सांख्यिकी कार्यदल बनाने की चुनौती का सामना करते हुए अकादमी अर्थात नस्ता न केवल अद्यतन पाठ्यक्रम सामग्री/पाठ्यक्रमों आदि को संशोधित करने का सतत प्रयास करता रहता है बल्कि शिक्षा शास्त्र जिसमें केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में नए भर्ती तथा सेवारत सांख्यिकी कर्मिकों दोनों

को निर्देशित इसकी संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यनीति में सम्मिलित करते हुए कारगर प्रदायगी तंत्रों का कार्यान्वयन भी करता है । अकादमी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के लिए नीतियां और योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आंकड़ा संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और प्रचार की वर्तमान तथा उभरती चुनौतियों के प्रबंधन हेतु सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल सृजित करना;
- विशिष्ट लघु/मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तरीय कार्यक्रमों/परियोजनाओं को मॉनीटर और मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी और गैर-सांख्यिकी जनशक्ति को प्रशिक्षित करना;
- विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं तथा यूएन/द्विपक्षी एजेंसियों से शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा व्यावसायिकों के परामर्श और सहयोग से कोर्स-वेयर के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना तथा प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करना ।

4.75 अंगीकृत प्रशिक्षण कार्यनीति नस्ता में प्रवेशन तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों को आयोजित करना तथा अनेक अन्य अभिज्ञात प्रतिष्ठित व विशेषज्ञ संस्थाओं को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण दिलाना अपरिहार्य है । ये कार्यालय केंद्र सरकार में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों नामत: भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) अधिकारियों तथा केंद्र सरकार की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) पदाधिकारियों और अभिज्ञात विषय क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सांख्यिकी अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

4.76. नस्ता मित्र और पड़ोसी एशियन और अफ्रीकी देशों के सांख्यिकी कार्मिकों के क्षमता-निर्माण के विषय में नियमित रूप से तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है । परिणामस्वरूप नस्ता में अनुरोध आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाता है ।

4.77. नस्ता अपने कैम्पस तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों दोनों में कार्यालयी सांख्यिकी में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित मानव संसाधनों के प्रति संचेतना पैदा करने के प्रयास भी करता है । इन कार्यक्रमों में नस्ता में विभिन्न विश्विद्यालयों के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण तथा अकादमी और सीएसओ के अधिकारियों द्वारा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है । नस्ता प्रत्येक वर्ष इस क्रियाकलाप को निरंतर आयोजित करता है, क्योंकि इसे कार्यालयी सांख्यिकी के प्रयोक्ता समुदाय हेतु अत्यंत उपयोगी पाया गया है ।

4.78 **सुविधाएं:** नस्ता प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण तथा उनके ठहरने और खान-पान संबंधी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है । संस्थान के परिसर में तीन सुव्यवस्थित भवन खंड, अर्थात् केन्द्रीकृत वातानुकूलित शिक्षण और प्रशासनिक खंड, होस्टल ब्लॉक, तथा आवासीय ब्लॉक हैं, जिनके चारों तरफ बागवानी सहित सुव्यवस्थित खाली स्थान है । शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध सुविधाओं के अंतर्गत एक सम्मेलन कक्ष भी है जिसमें लगभग 60 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, एक

केन्द्रीकृत वातानुकूलित ऑडिटोरियम जिसका नाम महालनोबिस ऑडिटोरियम है, में लगभग 160 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, पांच व्याख्यान/ प्रशिक्षण/सेमिनार भवन हैं जो अद्यतन कंप्यूटरीकृत शिक्षण उपकरणों से युक्त हैं, एक पुस्तकालय है जिसका नाम 'सुखात्मे पुस्तकालय' है, आईटी शिक्षण कंप्यूटर प्रयोगशाला है जो किसी भी समय, मौजूदा प्रशिक्षण के निमित्त लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण संचालन संबंधी पर्याप्त अवसंरचना से युक्त है ।

4.79 नस्ता में 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहने की सुविधाएं हैं, जिनमें 40 सिंगल बेड तथा 30 डबल बेड वातानुकूलित कक्ष हैं, परिसर में उपलब्ध मनोरंजन संबंधी सुविधाओं में बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे इंडोर खेल तथा वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे आउटडोर खेल शामिल हैं, प्रशिक्षणार्थियों को सुखात्मे पुस्तकालय में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का संदर्भ ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो इस समय अधिक प्रलेखन सामग्रियों की खरीद तथा लिबसिज के कार्यान्वयन के माध्यम से गहन प्रक्रिया के अधीन है । पुस्तकालय में कतिपय अत्यधिक पुरानी जनगणना रिपोर्टें, एनएसएसओ की रिपोर्टें, सर्वेक्षण तथा व्यापार सांख्यिकी से जुड़ी सामग्रियां उपलब्ध हैं।

4.80 नई प्रौद्योगिकीयों, विशेषकर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नस्ता ने कार्यालय ऑटोमेशन की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं । इस परियोजनार्थ, सर्वरों जैसे कि ब्लेड सर्वर, डाटा बेस सर्वर, एक्सचेंज सर्वर इत्यादि के संदर्भ में, संस्थान के परिसर के भीतर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ एक महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना स्थापित की गई है ताकि न केवल नस्ता के अधिकारियों बल्कि प्रशिक्षणार्थियों को भी जरूरी आईटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी)

4.81 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देखाभाल करने और नस्ता का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में 'प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति' नामक एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । समिति सभी मोड्यूल्स के लिए पाठ्यक्रम, अवधि और प्रशिक्षण विधियों की पुनरीक्षा के अलावा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कैलेण्डर का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है । अधिकतर पाठ्यक्रमों का संचालन नस्ता में किया जाता है, जबकि कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम दिल्ली या बाहर स्थित अति विश्वसनीय प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं । नस्ता द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/कवर किए गए विषयों में मुख्यत: शासकीय सांख्यिकीय प्रणाली, सैद्धांतिक, अनुप्रायोगिक सांख्यिकी वृहत स्तरीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, एसएनए 1993 और 2008, आंकड़ा प्रबंधन तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लघु और वृहत अर्थशास्त्र इकॉनामिक्स आदि शामिल हैं ।

नस्ता में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची

4.82 नस्ता द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- भारतीय सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु छः महीने की 'ऑन-दी-जॉब' ट्रेनिंग सहित दो वर्षीय प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यकम;
- अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों हेतु प्रवेश एवं एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनमें इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है;
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों और इसी तरह के विभागों से इन सर्विस अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं;
- केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए अनुरोध आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता और इसके अन्य केंद्रों के एम-स्टैट विद्यार्थियों को 3 सप्ताह के कार्यालयी सांख्यिकी प्रणाली से अवगत कराने संबंधी कार्यक्रम;
- विभिन्न विश्वविद्यालयों के सांख्यिकी विभागों के संकाय सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए कार्यालयी सांख्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रम;
- भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सांख्यिकी में इंटर्नशिप कार्यक्रम ।

4.83 विशिष्ट प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ नस्ता प्रबंधन के विभिन्न प्रतिष्ठित/विशेषज्ञ संस्थाओं अर्थात् आईआईएम; आईआईआरएस; देहरादून; एएससीआई, हैदराबाद; श्रम ब्यूरो, शिमला; आईआईपीए, दिल्ली; आईआईपीएस, मुम्बई; आईएसटीएम, दिल्ली; दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, दिल्ली; आईएएसआरआई, दिल्ली; आईएसईसी, बंगलूरु आदि के साथ सहयोग करता है ।

4.84 राज्य सांख्यिकीय कार्मिकों के लिए प्रशिक्षणः- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों हेतु उनकी रूचि के कतिपय विशिष्ट विषय क्षेत्रों के लिए समय-समय पर नियमित और मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इसके अलावा, नस्ता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशेष अनुरोधों के आधार पर अनुकूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

4.85 **अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

- अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केंद्र (आएसईसी) कोलकाता के सहयोग से भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) कोलकाता के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र पाठ्यक्रम के लिए 'शासकीय सांख्यिकी और संबद्ध विधि-विज्ञान' पर 10 माह की अवधि में से एक पांच सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आईएसआई, कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया।

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व

बैंक या देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के अनुरोध पर सार्क क्षेत्र, एशिया और प्रशांत, अफ्रीका तथा अन्य देशों के सांख्यिकीय कार्मिकों/प्रतिभागियों के लिए लघु अवधि अर्थात एक से दो सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम और अध्ययन आयोजित किए गए ।

- कार्यालयी सांख्यिकी के उभरते हुए क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएं ।

संगणक केंद्र

4.86 दिल्ली एवं उसके आसपास स्थित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की आंकड़ा संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत तत्कालीन सांख्यिकी विभाग के तहत 1967-68 में संगणक केंद्र की स्थापना की गई थी । इस केंद्र में अब प्रचालन प्रणाली के रूप में विंडोज 10 का उपयोग करते हुए क्लाइंट/सर्वर आर्किटेक्चर के अंतर्गत एक अत्याधुनिक पीसी-आधारित कंप्यूटर प्रणाली को स्थापित किया गया है । संगणक केन्द्र ने छठी आर्थिक गणना 2012 का आंकड़ा प्रसंस्करण कर दिया है और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के तहत कार्य कर रहा है। यह केन्द्र राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस), आर्थिक गणना (ईसी) और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) के माध्यम से सृजित यूनिट स्तर के आंकड़ों का प्रसारण करता है ।

संगणक केंद्र के मुख्य कार्यकलाप

4.87 सितम्बर, 1999 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित "सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रचार-प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति" के अनुसार, कम्प्यूटर केन्द्र को शासकीय सांख्यिकी के राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस का सृजन तथा अनुरक्षण एवं उपयोगकर्ताओं तक यूनिट स्तर के आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई है । संगणक केंद्र एनएसएसओ तथा सीएसओ द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों, आर्थिक गणनाओं, उद्यम संबंधी सर्वेक्षणों, मूल्य सर्वेक्षणों और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित काफी मात्रा में सूक्ष्म आंकड़ों का संग्रहकर्ता है जिन्हें वह प्रयोक्ताओं में प्रसारित करता है ।

4.88 विश्व के सभी देशों में प्रयोक्ताओं/अनुसंधानकर्ताओं को मेटा डाटा के प्रचार-प्रसार के लिए सर्वेक्षण तथा संबंधित विषयों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर केन्द्र माइक्रोडाटा आर्कइव लिंक का अनुरक्षण कर रहा है । इन आंकड़ा सेटों को एसपीएसएस, एसएएस, स्टैटा, सीएसवी और डिलिमेटेड टेक्स्ट फाइल जैसे अलग-अलग फॉर्मेट में भेजा जा सकता है ।

4.89 कम्प्यूटर केन्द्र वेबसाइट डिजाइन तैयार करने तथा इसके अनुरक्षण में भी मंत्रालय की सहायता करता है जिसके माध्यम से शासकीय सांख्यिकी का पर्याप्त प्रचार-प्रसार होता है तथा उपभोक्ता को संबंधित जानकारी मिलती है । यह ग्रामीण और शहरी केंद्रों से प्राप्त मूल्य आंकड़ों का संसाधन करता है तथा सीएसओ द्वारा जारी किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता है । संगणक केन्द्र ने सीपीआई आंकड़ों को आसानी से पुनः सुलभ करवाने के लिए सीपीआई आर्काइवल वेब पोर्टल

सॉफ्टवेयर का विकास किया है । राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी (नस्ता) की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ।

अप्रैल 2016 से नवम्बर 2016 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों में हुई प्रगति

4.90 **छठी आर्थिक गणना**

एसएएस (ओटीएसआई) टीम के सहयोग से एसएएस बी आई टूल/सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा छठी आर्थिक गणना के लिए जीआईएस उन्मुख डाटाबेस पर आधारित वेब-पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन पूछताछ या रिपोर्ट तैयार करने या अपेक्षित डाटा-सेट डाउनलोडिंग आदि की गुंजाइश हो, को अद्यतन किया जा रहा है । प्रयोक्ताओं की आवश्यकतानुसार आर्थिक गणना के माइक्रो डाटा का प्रचार-प्रसार तथा तदर्थ सारणीयन हाल ही में शुरू किया जा रहा है । आईएचएसएन का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानक फार्मेट में छठी आर्थिक गणना माइक्रो-डाटा, तथा मेटा-डाटा का प्रलेखीकरण कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य पूरा हो चुका है ।

4.91 **भारतीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय तथ्य पत्र**

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की सिफारिशों तथा ईएसडी, सीएसओ में आयोजित अनुवर्ती बैठक के अनुसार संगणक केन्द्र द्वारा एसएएस बीआई टूल और/या डेवइंफो का प्रयोग करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय तथ्य-प्राप्त (एनएफआईई) के लिए वेबपोर्टल/डैशबोर्ड विकसित किया जाना है । नए आर्थिक संकेतकों के लिए एसएएस बी आई टूल/सॉफ्टवेयर के प्रयोग करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय तथ्य पत्र के मद्देनजर वेब पोर्टल विकसित करने का काम 9 मंत्रालयों ने आंशिक रूप से पूरा कर लिया है ।

4.92 **आईएचएसएन टूल किट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण आंकड़ा सूची तैयार करना ।**

(i) मंत्रालय में वेब आधारित सर्वेक्षण आंकड़ा सूची/यूनिट स्तरीय सूक्ष्म आंकड़ा आर्काइव विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वेबसाइट पर अपलोड मेटाडाटा तथा विभिन्न रिपोर्टों को वे डाउनलोड कर सके । वर्ष 2016 में प्रत्येक माह एक लाख से अधिक प्रयोक्ताओं ने मेटाडाटा देखा/डाउनलोड किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले एक ही स्रोत से पूर्ण डाटा प्राप्त/डाउनलोड करने की सुविधा प्राप्त हुई है ।

(ii) 140 सर्वेक्षणों के प्रसारण हेतु सूक्ष्म आंकड़ों का सीडी रोम विशेष रूप से निर्मित किया गया है।

(iii) डाटा आर्काइव, भंडारण तथा प्रसारण को लेकर उत्तर भारत के राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए आईएचएसएन टूलकिट पर एक कार्यशाला स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया ।

श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय मंत्री 'आईएचएसएन टूल किट' पर कार्यशाला के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए ।

4.93 **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**

आधार वर्ष 2012 के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और अखिल भारत स्तर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त) के आंकड़े हर माह जारी करने के लिए इन्हें संकलित और संसाधित करना ।

4.94 **मंत्रालय की वेब साइट**

माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने मंत्रालय की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट का पता http://www.mospi.gov.in है ।

श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय मंत्री मंत्रालय की नई वेबसाइट जारी करते हुए (बांये से दाहिने) श्री पंचानन दाश, उप महा. निदेशक (सीसी), डॉ. जी.सी. मन्ना, महानिदेशक (सीएसओ), श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय मंत्री, डॉ. टी.सी. अनंत, सचिव श्री सुधीर कृष्णा, अध्यक्ष, दिल्ली, वित्त आयोग, श्री एस.एल. बोडात, निदेशक (सीसी)

- वेबसाइट को विकसित करने तथा इसके रख-रखाव का कार्य नियमित रूप से किया जाता है तथा इसे समय पर पूरा किया जा रहा है । एनएसएस, एएसआई तथा आर्थिक गणना सर्वेक्षण आंकड़ों को माइक्रोडाटा आर्काइव लिंक पर अपलोड किया जाता है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डाटा सेट, सांख्यिकीय वर्ष पुस्तिका data.gov.in पर अपलोड किया गया है ।
- नेशनल डाटा पोर्टल (http://data.gov.in) के लिए नोडल अधिकारी के रूप में ।

4.95 **आंकड़े तैयार करना, प्रचार-प्रसार करना तथा संसाधित करना:**

"सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रचार-प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति" के अनुसार संगणक केंद्र ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों, उद्यम सर्वेक्षणों, आर्थिक गणनाओं, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों से सृजित आंकड़ों के विशाल वाल्यूम तथा मूल्य आंकड़ों को सीडी रोम पर परिरक्षित रखा है । इन आंकड़ों को प्रयोक्ताओं की बड़ी संख्या में नियमित रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है । देश के भीतर तथा बाहर दोनों में प्रयोक्ताओं को उनके अनुरोध पर मूल आंकड़ों के प्रयोग तथा उनके संसाधन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है । उपयोगकर्ताओं में आम लोग, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरकारी एवं निजी संगठन शामिल हैं ।

वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न सर्वेक्षण के इकाई स्तरीय आंकड़ों के प्रचार से प्राप्त राजस्व का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका-5

सर्वेक्षणों के प्रकार	**वर्ष**	**प्रयोग-कर्ताओं की सं.**	स्तरीय आंकड़ों के प्रचार से प्राप्त राजस्व		
			₹	यूएस **$**	यूके **£**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
एनएसएसओ	2014-15	218	5709544	69155	5860
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण(एएसआई)		87	5478881	58711	4992
आर्थिक गणना		7	251124	3249	-
कुल		**217**	**6303176**	**119081**	**8161**
एनएसएसओ	2015-16	283	5937000	41703	9123
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण(एएसआई)		61	2974000	67268	19718
आर्थिक गणना (ईसी)		8	479000	11153	-
कुल		**352**	**9390000**	**120124**	**28841**
एनएसएसओ	2016-17 अप्रैल-अक्तूबर 2016	123	3027988	65616	1081
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण(एएसआई)		46	2627983	32949	6295
आर्थिक गणना (ईसी)		5	--	746	-
कुल		**174**	**5655971**	**99311**	**7376**

4.96 **प्रशिक्षण गतिविधियां**

(क) सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

प्रारंभ से ही प्रशिक्षण, केन्द्र के प्रमुख गतिविधियों में से एक रहा है । अब तक यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और केन्द्र सरकार के विभागों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आईटी पाठ्यक्रमों का संचालन कर चुका है । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रयोगकर्ता विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं और वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज की है:-

- आईएसएस अधिकारी (मध्यम स्तर तथा जेटीएस स्तर) ।
- एसएसएस अधिकारी ।
- राज्य सरकार के अधिकारी ।
- विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित हिन्दी राजभाषा अधिकारी ।

4.97 **विशिष्ट मॉड्यूलों पर प्रशिक्षण; जैसे कि**

- एसपीएसएस या एसटीएटीए का प्रयोग करते हुए आंकड़ा विश्लेषण करना और रिपोर्ट लिखना ।
- आईएचएसएन टूलकिट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए इकाई स्तरीय आंकड़ों का प्रलेखीकरण ।
- कंप्यूटर एप्लिकेशन पर उन्नत प्रशिक्षण ।

आईएसएस अधिकारियों के लिए 'एसपीएसएस या एसटीएटीए के प्रयोग द्वारा डाटा-विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन' पर 4-8 जनवरी, 2016 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण परियोजना:-

केन्द्र, एनएसएसटीए और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित छात्रों को केन्द्र के अधिकारियों के मार्गदर्शन के अंतर्गत आईटी से संबंधित परियोजनाएं विकसित करने के लिए दो से छह माह की अवधि के लिए इंटर्नशिप प्रदान कर रहा है ।

एडवांस एक्सेल तथा एक्सेस सहित 'कम्प्यूटर एप्लिकेशन तथा आईटी एप्लिकेशन' पर दिनांक 7-11 मार्च 2016 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आंकड़ा केन्द्र

4.98 केन्द्र का सर्वर 24X7X365 आधार पर चलता है । संगणक केन्द्र ने आंकड़ा केन्द्र के अपग्रेडिंग तथा रख-रखाव के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद भी की है । मंत्रालय की टीएईसी द्वारा मॉड्यूलर डाटा सेंटर एन्वायरमेंट एन्क्लोजर, ब्लेड सिस्टम, एल2 स्विचिज, लैपटॉप और कैट-6 केबल डालने संबंधी खरीद को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है तथा खरीद का कार्य प्रक्रियाधीन है ।

समन्वय और प्रकाशन (सीएपी)

4.99 समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग (सीएपी) जिसे अब इंट्रा, इंटर तथा अंतर राष्ट्रीय समन्वय एकक (आईआईआईसी एकक) के नाम से जाना जाता है, मुख्यत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के सांख्यिकीय कार्यकलापों के समन्वय, तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों और अन्य सांख्यिकीय अभिकरणों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है । प्रभाग/एकक मंत्रालय की योजनाएं बनाने के लिए भी पूर्णरूपेण जिम्मेदार है । यह प्रभाग मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना, परिणाम बजट तैयार करने, सिटीजन चार्टर/क्लाइंट चार्टर के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभाग को सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना का (एसएसएसपी) के लिए सहायता का कार्यान्वयन करने, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 का समन्वयन करने तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की संस्तुतियों का समन्वय और अनुवर्तन करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है । इसके अतिरिक्त, प्रभाग भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को भी देखता है ।

केन्द्र और राज्य सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (कोक्सो)

4.100 सांख्यिकी के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच समन्वयन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केन्द्र और राज्य सांख्यिकी संगठनों (कोक्सो) का सम्मेलन आयोजित करता है । इस मंच का प्रयोग केन्द्रीय और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा सटीक निर्णय और सुशासन के उद्देश्य से योजनाकर्ताओं और नीति निर्माताओं को विश्वसनीय और यथासमय सांख्यिकी की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए किया जाता है ।

4.101 23वां कोक्सो 4-5 नवंबर, 2015 के दौरान गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। 23वें कोक्सो के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

- भारत-परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों से संबंधित सामाजिक विकास सूचकों के लिए यूएन पोस्ट-2015 डेवल्पमेंट एजेंडा मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क ।
- सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता ।
- वित्त आयोग की सिफारिशें ।
- शासकीय सांख्यिकी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भूमिका ।
- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम का क्रियान्वयन ।
- आंकड़ों की पूलिंग और संबंधित मुद्दे/समस्याएं ।

गुवाहाटी, असम में 23वें कोक्सो के दौरान मंच पर उपस्थित महानुभाव

4.102 कोक्सो में की गई सिफारिशें केन्द्र सरकार में संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भी कार्रवाई योग्य मार्गदर्शी कार्यकलाप बनती हैं । वर्ष के दौरान की गई प्रगति की अगले कोक्सो में पुनरीक्षा की जाती है ।

सांख्यिकी दिवस

4.103 प्रो. पी.सी. महालनोबिस के वार्षिक जन्मोत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस आयोजित किया जाता है । दसवां सांख्यिकी दिवस 2016 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, विश्वविद्यालयों, इत्यादि के सांख्यिकी विभागों द्वारा देशभर में मनाया गया । इस अवसर पर सामाजिक विकास विषय पर सेमिनारों, सम्मेलनों, परिचर्चाओं, क्वीज कार्यक्रमों, व्याख्यान मालाओं, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह, माननीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा की गई । इस अवसर पर, प्रो. सी.आर. राव के सम्मान में शुरू किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार डॉ. टी.जे. राव, पूर्व प्रोफेसर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता को प्रदान किया गया ।

जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह, माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह सांख्यिकी दिवस पर 29 जून, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ।

4.104 कैप विभाग/आईआईआईसी एकक रंगराजन आयोग की सिफारिशों तथा अन्य सांख्यिकी मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पदनामित सांख्यिकी समन्वयकों के माध्यम से केन्द्रीय विषयक मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है । यह प्रभाग राज्य मुख्यालयों में पदस्थापित एफओडी, एनएसएसओ के उप महानिदेशकों, जिन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के डीईएस के साथ समन्वय के लिए

पदस्थापित किया गया है, के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के डीईएस के साथ भी समन्वय करता है ।

परिणाम बजट

4.105 यह प्रभाग मंत्रालय के परिणाम बजट का प्रकाशन करने के लिए भी उत्तरदायी है । यह प्रभाग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/यूनिटों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर परिणाम बजट तैयार करता है । वर्ष 2016-17 का परिणाम बजट समय पर तैयार किया गया और इसकी प्रतियां संसद के दोनों सदन पटलों पर रखी गई ।

वार्षिक कार्य योजना

4.106 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रत्येक प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में तैयार की जाती है तथा मंत्रालय के सभी प्रभागों से जानकारी लेने के बाद तिमाही आधार पर इसका प्रबोधन किया जाता है । वार्षिक कार्य योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वर्ष के दौरान निष्पादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यों के संदर्भ में कार्य की पद्धति तथा समय-सीमा को प्रतिबिम्बित करना;
- तिमाही-विशेष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को इंगित करना; तथा
- सभी कार्यक्रम एवं कार्यकलापों के समयबद्ध एवं दक्ष कार्यान्वयन हेतु एक साधन के रूप में कार्य करना ।

4.107 वर्ष के दौरान वार्षिक कार्य योजना 2016-17 तैयार की गई जिसमें इस वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले पिछले वर्ष के सतत/लंबित कार्यकलापों, वर्ष 2016-17 में शुरू किए जाने वाली प्रस्तावित नई पहलों तथा संबंधित प्रभागों की रोजमर्रा की मदें शामिल थीं । वार्षिक कार्य योजना 2016-17 की प्रत्येक तिमाही में कुल कार्यभार को बताने वाले वास्तविक लक्ष्यों सहित प्रत्येक वैयक्तिक विशिष्ट कार्यकलाप की गणना की गई है तथा प्रगति के प्रभावी प्रबोधन को सहज बनाने हेतु प्रत्येक लक्ष्य के अनुसार शामिल कार्यभार की मात्रा का सार्थक आकलन किया गया है ।

सिटिजन/उपयोगकर्ता चार्टर

4.108 प्रभाग को मंत्रालय का सिटिजन/उपयोगकर्ता चार्टर तैयार करने तथा इसकी समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है । दिनांक 15 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार अद्यतन तथा संशोधित चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था ।

अनुसंधान और प्रकाशन

4.109 समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग की अनुसंधान तथा प्रकाशन इकाई (आरपीयू) समय पर प्रासंगिक व त्रुटिहीन सूचना प्रदान करने में मंत्रालय के अध्यादेश को ध्यान में रखकर कार्य करती है । इकाई प्रकाशनों के संकलन के माध्यम से इसमें उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है जो प्रयोक्ताओं की

आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें एकत्रित सूचना और सूचना का प्रचार-प्रसार उपलब्ध कराती है । इकाई के प्रकाशनों का उद्देश्य एक ही स्थान पर आंकड़ों को उपलब्ध कराना, विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का नियमित संग्रहण, संकलन और अद्यतन करना है । यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि यूएनएसडी, विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य प्रयोक्ता समूहों को सूचना की नियमित आपूर्ति करती है । इकाई द्वारा प्रकाशित नियमित प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, इंडिया-वार्षिक
- भारत, आंकड़ों में - वार्षिक

4.110 यह यूनिट ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन का समन्वय भी करता है जो प्रत्येक वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन में जारी किया जाता है । इस वर्ष इस एकक द्वारा ब्रिक्स देशों का संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन, 2016 तैयार कर समेकित किया गया तथा इसे 15 तथा 16 अक्तूबर, 2016 के दौरान गोवा (भारत) में आयोजित ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में जारी किया गया । अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर रूस ने वर्ष 2015 में इस प्रकार का प्रकाशन तैयार किया ।

4.111 आरपीयू ने दिनांक 3 से 4 नवम्बर, 2016 के दौरान जयपुर (राजस्थान) में ब्रिक्स के मुख्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका), की 8वीं बैठक आयोजित की ।

4.112 आरपीयू का ग्राफिक्स यूनिट/मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, विंगों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकाशनों, विज्ञापनों, लोगो इत्यादि के कवर पृष्ठ की रूप-रेखा तैयार करता है ।

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना को सहायता (एसएसएसपी)

4.113 सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना को सहायता (एसएसएसपी) जिसे पहले भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना (आईएसएसपी) के नाम से जाना जाता था, मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 2010 से कार्यान्वित की जा रही योजना है जिसका उद्देश्य विशेषकर राज्य तथा अंतर्राज्य स्तरों पर नीति, योजना तथा अन्य/भिन्न प्रयोजनों के लिए विश्वसनीय सरकारी आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा प्रचार-प्रसार हेतु राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता तथा अवसंरचना में सुधार करना है ।

4.114 परियोजना के लिए कुल 650.43 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं । हालांकि, 2014 के बाद केवल 14 राज्य वर्तमान में इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं, वर्तमान में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के लिए आबंटन में संशोधन किया गया है तथा इच्छुक शेष 19 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नया आबंटन किया गया है । अब यह योजना सभी 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् लगभग पूरे देश में (चंडीगढ़, गोवा तथा लक्ष्यद्वीप को छोड़कर) कार्यान्वित की जाएगी तथा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) को अपने राज्यों के सांख्यिकीय पद्धतियों को अद्यतन करने के लिए निधियां आवंटित की गई हैं ।

4.115 यह योजना पहले केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में थी, जिसे बदल कर केंद्रीय क्षेत्र योजना कर दिया गया है तथा योजना को कार्यान्वित करने के लिए नई कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार एवं अनुमोदित कर लिया गया है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों से अवगत करा दिया गया है तथा इन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ।

4.116 योजना का रूझान अब ठोस आवश्यक/संगत सांख्यिकीय परिणामों/सांख्यिकीय उत्पादों को लाना तथा राज्य-पद्धति को विकास के अगले स्तर पर ले जाने पर जोर देने का है ।

4.117 **परियोजना की वर्ष 2016-17 में कुछ प्रमुख परिणाम/उपलब्धियां:-**

- सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19 अप्रैल, 2016 तथा 7 सितम्बर, 2016 को वर्तमान सभी 16 कार्यान्वयन राज्यों की अखिल भारतीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई । राज्यों को कार्यान्वयन का कार्य जल्द करने को कहा गया ।
- गुजरात, ओडिशा तथा मणिपुर में योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए क्रमशः 28 से 30 जनवरी 2016, 04 से 06 अप्रैल 2016 तथा 09 से 11 जुलाई, 2016 को संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) का आयोजन किया गया ।
- पीएफएमएस पद्धति की शुरुआत करने के लिए कदम उठाए गए है तथा अब तक 7 राज्य नामतः राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना को पंजीकृत किया गया है तथा इन पांच राज्यों को पीएफएमएस पद्धति के तहत लाया गया है ।
- पात्रता शर्तें पूरी करने पर राजस्थान, मिजोरम, गुजरात तथा सिक्किम को 15 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं । पश्चिम बंगाल को 6 करोड़ रु. जारी किए गए हैं । आशा की जाती है कि 30 करोड़ रु. का पूरा आवंटन मार्च, 2017 तक जारी कर दिया जाएगा ।
- 19 नए राज्यों के लिए इस योजना के विस्तार का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (सीओएस अधिनियम, 2008)

4.118 सीएपी प्रभाग के अपर महानिदेशक को सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 में शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है । नया अधिनियम मूल रूप से सांख्यिकीय क्रियाकलापों की व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण करने तथा 1953 अधिनियम की सीमाओं को पार करने के लिए बनाया गया है । यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागू हो गया है । जम्मू व कश्मीर सरकार ने भी इस तर्ज पर जम्मू व कश्मीर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियन, 2010 बनाया है । वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2010-11 से 2013-14 तथा छठी आर्थिक गणना संबंधी आंकड़े

इस अधिनियम के अन्तर्गत एकत्रित किए गए । सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के कार्यकरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट 2013 तथा 2014 को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

एनएससी की अनुशंसाओं का समन्वय तथा अनुवर्तन

4.119 सीएपी प्रभाग/आईआईआईसी एकक रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के समन्वय तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी है । डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट (अगस्त 2001) में भारतीय सांख्यिकीय पद्धति में सुधार के लिए 623 अनुशंसाएं की थीं । सितम्बर 2013 को आयोजित 60वीं बैठक में एक समीक्षा के दौरान कुल 623 अनुशंसाओं में से 147 अनुशंसाओं को कार्यान्वित माना गया, 09 अनुशंसाओं को निरस्त/छोड़ दिया गया तथा 467 अनुशंसाएं अभी भी लंबित है । एनएससी ने यह पाया कि उन अनुशंसाओं, जिन्हें वर्तमान संदर्भ में अपनाए जाने की जरूरत है की नई सूची तैयार करने के लिए संपूर्ण रूप से समीक्षा करने की जरूरत है । समिति ने अपने 8वीं बैठक में अपर महानिदेशक (सीएपी) की अध्यक्षता में रंगराजन समिति की अनुशंसाओं की समीक्षा की है। बैठक के आधार पर, 478 अनुशंसाओं को कार्यान्वित माना गया है, 17 अनुशंसाएं निरस्त/छोड़ दी गई हैं तथा 116 अनुशंसाएं अभी भी लंबित हैं ।

4.120 डॉ. आर.बी. बर्मन, अध्यक्ष, एनएससी की अध्यक्षता में हुई दिनांक 22-23 सितम्बर, 2016 को हुई राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की 88वीं बैठक में रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं की स्थिति की समीक्षा करते समय सीएपी प्रभाग को बिंदुवार सिफारिशें तथा इसकी स्थिति की जानकारी एनएसी अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों को सॉफ्ट प्रतियों में आगे की कार्रवाई हेतु भेजने की सलाह दी । इसे 7 नवम्बर, 2016 को भेज दिया गया है ।

अध्याय-V
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

कार्यालय एवं गतिविधियां:

5.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर अखिल भारत स्तर पर विभिन्न फील्डों में बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने का दायित्व है। आर्थिक गणना की अनुवर्तन कार्रवाई के तौर पर विभिन्न सामाजार्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी परिवार सर्वेक्षणों, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण तथा उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से नियमित रूप से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण तथा शहरी मूल्यों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने, यह राज्य अभिकरणों के क्षेत्रीय गणना एवं फसल अनुमान सर्वेक्षणों के माध्यम से फसल संबंधी सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह शहरी क्षेत्रों में सामाजार्थिक सर्वेक्षणों में नमूने तैयार करने हेतु शहरी क्षेत्रीय इकाइयों का एक फ्रेम भी तैयार करता है ।

5.2 एनएसएसओ को आंकड़ा संग्रहण, विधायन तथा प्रकाशन से संबंधित मामलों में, अपेक्षित स्वायत्तता प्राप्त है । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इनके लिए अपने सर्वेक्षणों तथा पद्धतियों हेतु सर्वेक्षण साधनों को अंतिम रूप देने के लिए पृथक-पृथक विषयों से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों वाले कार्यकारी दलों/तकनीकी समितियों को नियुक्त करता है और उनके समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में अपने सर्वेक्षणों पर आधारित नतीजों और आंकड़ों का प्रकाशन/प्रसार करता है । एनएसएसओ के समस्त कार्यकलापों में समग्र समन्वय बनाने और इनके पर्यवेक्षण का दायित्व महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीजी एंड सीईओ) को सौंपा गया है तथा इनकी सहायता के लिए चार अपर महानिदेशकों को नियुक्त किया गया है जो अभिकल्प एवं योजना, फील्ड कार्य/आंकड़ा संग्रहण, समंक विधायन तथा समन्वय से संबंधित ऐसे काफी बड़े स्तर के सर्वेक्षणों के कार्यालय के चार विशिष्ट पहलुओं के लिए जिम्मेदार अलग-अलग प्रभागों के प्रभारी होते हैं ।

5.3 **एनएसएसओ के प्रभाग:**

- सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग कोलकाता में स्थित है । यह (एसडीआरडी प्रभाग) सर्वेक्षण की तकनीकी योजना बनाने, प्रतिदर्श अभिकल्प तैयार करने, पूछताछ अनुसूचियां, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को तैयार करने, सारणीयन योजना तैयार करने, तथा परिणामों का विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण एवं सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार करने का दायित्व निभाता है ।
- क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) का मुख्यालय दिल्ली/फरीदाबाद में है तथा इसके 6 आंचलिक कार्यालय, 51 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 116 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है । यह एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण हेतु प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का कार्य करता है ।
- समंक विधायन प्रभाग का मुख्यालय कोलकाता में है । अहमदाबाद (डीपीडी), बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, गिरीडीह तथा नागपुर में इसके छह समंक विधायन केन्द्र हैं । यह प्रतिदर्श चयन,

सॉफ्टवेयर विकास तथा सर्वेक्षणों के द्वारा एकत्र आंकड़ों का संसाधन एवं सारणीयन का कार्य करता है । यह आंकड़ों की प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर विकास, आंकड़ों की जांच, कम्प्यूटर द्वारा इसमें सुधार (संपादन), अन्य आंकड़ों की पुष्टि, सारणीयन आदि का कार्य करता है । यह राज्यों को सभी समंक विधायन संबंधी गतिविधियों में आईटी समाधान द्वारा तथा आवधिक प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा अन्य परस्पर संवादात्मक तरीके से भी सहायता करता है ।

- दिल्ली स्थित समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग (सीपीडी) विभिन्न प्रभागों के समस्त कार्यकलापों के समन्वय का कार्य करता है । इसके अलावा, सीपी, एनएसएसओ द्वारा संचालित विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण परिणामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की जिम्मेदारी निभाता है । यह एनएसएसओ की तकनीकी पत्रिका 'सर्वेक्षणा' भी प्रकाशित करता है जिसमें एनएसएसओ के विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के शोध लेख भी शामिल होते हैं।

एनएसएस के हाल के दौरों के कार्यकारी समूह:

5.4 एनएसएस के 73वें दौर (जुलाई 2015 - जून 2016) के कामकाजी समूह ने सर्वेक्षण की प्राक्कलन प्रक्रिया तथा सारणीयन योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रो.के.एल.कृष्णा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स की अध्यक्षता में 22 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की ।.

5.5 एनएसएस के 74वें दौर (जुलाई 2016 - जून 2017) के कामकाजी समूह ने प्रतिचयन अभिकल्प संबंधी अपने उप-समूहों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रो. बी.एन.गोलदार की अध्यक्षता में 4 मई 2016 को नई दिल्ली में अपनी चौथी बैठक आयोजित की ।

5.6 एनएसएस के 72वें दौर के कामकाजी समूह ने (i) सर्वेक्षण परिणामों/प्रमुख संकेतकों (ii) घरेलू पर्यटन और टिकाऊ वस्तुओं/सेवाओं के परिवार उपभोग संबंधी प्रमुख रिपोर्टों की संरचना तथा (iii) अनुसूची 1.60, 1.61 और 1.62 के लिए उपभोग व्यय के प्रमुख परिणाम पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रो.शिबदास बन्दोपाध्याय की अध्यक्षता में 20 मई 2016 को नई दिल्ली में अपनी छठी बैठक आयोजित की।

5.7 एनएसएस के 75वें दौर (जुलाई 2017 - जून 2018) के कार्यकारी समूह ने प्रो. आर. राधाकृष्ण, अवैतनिक वरिष्ठ फैलो, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद की अध्यक्षता में 27-28 अक्तूबर 2016 की अपनी प्रथम बैठक आयोजित की ।

5.8 एनएसएस के 75वें दौर (जुलाई 2017 - जून 2018) के कार्यकारी समूह के उप-समूह-4 (परिवार उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण के लिए) की प्रथम बैठक प्रो. राधाकृष्ण अवैतनिक वरिष्ठ फैलो, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद की अध्यक्षता में 20 दिसम्बर, 2016 को सीईएसएस, हैदराबाद में आयोजित की गई ।

5.9 एनएसएस के 75वें दौर (जुलाई 2017 - जून 2018) के उप-समूह-3 (स्वास्थ्य पर सामाजिक उपभोग हेतु) की प्रथम बैठक प्रो. राधाकृष्ण अवैतनिक वरिष्ठ फैलो, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर, 2016 को कोलकाता में आयोजित की गई ।

5.10 एनएसएस के 75वें दौर (जुलाई 2017 - जून 2018) के कार्यकारी समूह की उप-समूह-4 (शिक्षा पर परिवार सामाजिक उपभोग हेतु) की दूसरी बैठक प्रो. राधाकृष्ण अवैतनिक वरिष्ठ फैलो, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद की अध्यक्षता में 23 दिसम्बर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

श्रम बल सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति:

5.11 श्रम बल सांख्यिकी संबंधी स्थाई समिति (एससीएलएफएस) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जा रहे श्रम बल सर्वेक्षणों के समन्वय और समेकन के लिए एक तंत्र का सुझाव देने के अलावा, विभिन्न सर्वेक्षणों और गणनाओं से उत्पन्न श्रम बल सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन और प्रसार के सर्वेक्षण और प्रणाली के आयोजन की निगरानी करने के लिए डॉ. एस.पी.मुखर्जी, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 12 नवम्बर 2014 को गठित की गई ।

5.12 श्रम बल सांख्यिकी पर स्थाई समिति की पांचवी बैठक, सारणीयन योजना, श्रमिक सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के प्रतिदर्श प्रतिचयन पर चर्चा करने के लिए 9 सितम्बर, 2016 को आयोजित की गई ।

5.13 आईसीएलएस की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए श्रम बल सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति की उपसमिति की बैठक प्रो. एस.पी.मुखर्जी की अध्यक्षता में 19 दिसम्बर 2016 को आयोजित की गई थी।

विभिन्न एनएसएस दौरों तथा अन्य सर्वेक्षणों से संबंधित क्रियाकलाप:

5.14 एनएसएस का 70वां दौर (जनवरी 2013 - दिसम्बर 2013): "खेतीहर और पशुधन होल्डिंग, ऋण और निवेश तथा खेतीहर परिवारों की स्थिति मूल्यांकन का सर्वेक्षण" विषयों को समर्पित रहा । एनएसएस के 70वें दौर के परिणामों पर आधारित निम्नलिखित रिपोर्टें वर्ष 2016-17 के दौरान जारी की गई:

- एनएसएस रिपोर्ट सं. 576- भारत में कृषि परिवारों की आय, व्यय, उत्पादक परिसम्पत्तियाँ और ऋणग्रस्तता
- एनएसएस रिपोर्ट सं. 577- भारत में परिवार ऋणग्रस्तता
- एनएसएस रिपोर्ट सं. 578- सामाजिक वर्गों में पारिवारिक परिसम्पत्तियां और ऋणग्रस्तता
- एनएसएस रिपोर्ट सं. 579- भारत में परिवार पूंजीगत व्यय

5.15 एनएसएस का 71वां दौर (जनवरी - जून 2014) "सामाजिक उपभोग, स्वास्थ्य और शिक्षा" विषय को समर्पित रहा । एनएसएस के 71वें दौर की सर्वेक्षण अवधि 1 जनवरी 2014 से 30 जून 2014 अर्थात् छह माह रही । एनएसएस के 71वें दौर पर आधारित निम्नलिखित रिपोर्टें वर्ष 2016-17 के दौरान जारी की गई है:

- एनएसएस रिपोर्ट सं. 574- भारत में स्वास्थ्य
- एनएसएस रिपोर्ट सं. 575- भारत में शिक्षा

5.16 एनएसएस के 72वें दौर (जुलाई 2014-जून 2015) में "घरेलू पर्यटन पर व्यय तथा सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं संबंधी घरेलू उपभोग" विषय पर सर्वेक्षण किया गया । एनएसएस के 72वें दौर पर आधारित इकाई स्तरीय आंकड़ों के अलावा, एनएसएस के 72वें दौर के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित रिपोर्टें वर्ष 2016-17 के दौरान जारी की गई:

- एनएसएस केआई (72/21.1)- भारत में घरेलू पर्यटन के प्रमुख संकेतक
- एनएसएस केआई (72/1.5)- सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं पर पारिवारिक व्यय के प्रमुख संकेतक

5.17 एनएसएस के 73वें दौर (जुलाई 2015 - जून 2016) के सर्वेक्षण "अनिगमित गैर-कृषिगत उद्यमों (निर्माण कार्य को छोड़कर)" का फील्ड कार्य 30 जून 2016 को पूरा हुआ ।

5.18 "सेवा क्षेत्र का उद्यम केंद्रित सर्वेक्षण" विषय से संबंधित एनएसएस का जारी 74वां दौर (जुलाई 2016 - जून 2017) 1 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुआ । 74वें दौर के लिए अखिल भारत प्रशिक्षक कार्यशाला 13-14 जुलाई 2016 को पुणे में आयोजित की गई । यह कार्यशाला क्षेत्र संकार्य प्रभागों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कैंपों में भी लगाई गई ।

5.19 एनएसएस का 75वां दौर (जुलाई 2017-जून 2018) (i) परिवार उपभोक्ता व्यय तथा (ii) परिवार सामाजिक उपभोग (स्वास्थ्य एवं शिक्षा) पर होगा । एनएसएस के 75वें दौर के सर्वेक्षण साधनों की सिफारिश करने के लिए 7 सितम्बर 2016 को प्रो. आर. राधाकृष्ण, अवैतनिक वरिष्ठ फैलो, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद के अंतर्गत कार्यकारी दल का गठन किया गया ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण:

5.20 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आर्थिक और प्रचालनात्मक (एएसआई) पहलुओं पर विनिर्माण सेक्टर संबंधी आंकड़ों के संग्रहण हेतु एनएसएसओ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित नियमित सर्वेक्षण है । इसमें पूर्ण परिगणना तथा प्रतिदर्श आधार दोनों ही पर विनिर्माण यूनिट कवर किए गए हैं । औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति एएसआई के विभिन्न मुद्दों, जिनमें प्रतिदर्श अभिकल्प, सर्वेक्षण के लिए गणना/प्रतिदर्श इकाइयों के मापदण्ड तथा एएसआई अनुसूचियों आदि को अन्तिम रूप देने पर निर्णय

करने के लिए शीर्षस्थ निकाय है । एएसआई 2014-15 का कुल आबंटन 63,320 इकाई था, जिसमें 42,321 गणना इकाई तथा 20999 प्रतिदर्श इकाइयां शामिल थीं । समग्र रूप से कुल आबंटित 63,320 इकाइयों में से 53,138 इकाइयों का सर्वेक्षण कर लिया गया है, 1655 गैर-प्रचालन, 6194 इकाइयों को हटाया गया तथा 2333 इकाइयों से कोई सूचना नहीं मिली थी । एएसआई 2014-15 का फील्ड कार्य योजना के अनुसार पूरा किया गया। एएसआई 2015-16 का कार्य अब शुरू हुआ है । एएसआई 2015-16 में समग्र रूप से आबंटित 73481 इकाइयों में 47905 गणना इकाइयां तथा 25576 प्रतिदर्श इकाइयां शामिल हैं । एएसआई 2015-16 को जुलाई 2017 तक पूरा किए जाने की आशा है ।

एएसआई 2012-13 से संकलन, संवीक्षा तथा रिटर्न का प्रस्तुतीकरण एक समर्पित वेब-आधारित एप्लीकेशन द्वारा किया जा रहा है ।

कृषि सांख्यिकीः

5.21 क्षेत्रफल तथा फसल के अनुमान का विश्वसनीय तथा सामयिक अनुमान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित करने तथा राज्यों को फसल-क्षेत्रफल तथा फसल सांख्यिकी के संग्रहण हेतु एकसमान संकल्पनाएं, परिभाषाएं और प्रक्रियाओं के अंगीकरण को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी एनएसएसओ (एफओडी) की है । यह 'फसल सांख्यिकी सुधार' (आईसीएस) नामक योजना के माध्यम से फसल सांख्यिकी की गुणवत्ता पर निरन्तर निगरानी रखता है । इस योजना के अंतर्गत रा.प्र.सर्वे. का क्षेत्र संकार्य प्रभाग प्रत्येक कृषि ऋतु में लगभग 5,000 गांवों के क्षेत्र-गणना तथा क्षेत्र परिगणना से संबंधित प्रारंभिक क्षेत्र-कार्य के नमूने जांच तथा प्रत्येक कृषि वर्ष में लगभग 16,000 फसल कटाई प्रयोगों का पर्यवेक्षण करता है ।

फसल कटाई के चरण पर फसल कटाई परीक्षणों का पर्यवेक्षण के माध्यम से एकत्र आंकड़ों का आईसीएस स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फसलों की उपज दर के **168** अनुमानों की गणना करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ।

5.22 वर्ष **2015-16** के दौरान अगेती खरीफ, रबी और ग्रीष्म मौसम में क्रमश: **1270, 4939, 4639** तथा **3039** गावों का क्षेत्र-गणना संबंधी नमूना जांच का कार्य पूरा किया गया । वर्ष **2015-16** के दौरान **15,658** फसल कटाई परीक्षण कार्य का भी पर्यवेक्षण किया गया ।

30 अक्तूबर 2016 की स्थिति के अनुसार, कृषि वर्ष **2016-17** के दौरान अगेती खरीफ के दौरान **1013** गांवों में तथा पछेती खरीफ के दौरान **4139** गांवों में क्षेत्र गणना संबंधी-प्रतिदर्श जांच पूरी की गई। अगेती खरीफ, खरीफ और ग्रीष्म ऋतु की फसल, जिसमें केरल राज्य की वार्षिक और सार्वकालिक फसलें शामिल हैं, के दौरान क्रमश: कुल 725, 3136 और 118 फसल कटाई परीक्षण पूरे किए गए ।

शहरी ढांचा सर्वेक्षण: (यूएफएस)

5.23 शहरी फ्रेम सर्वेक्षण नियमित योजना है (यूएफएस), जो चरणबद्ध तरीके से 5 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाती है । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पहले स्तर की प्रतिचयन इकाइयों को चुनने के लिए एक फ्रेम उपलबध कराना और इस प्रयोजन के लिए शहरी प्रखण्ड बनाना और इन्हें अद्यतन बनाना है, ताकि विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण आयोजित किए जा सकें ।

प्रत्येक यूएफएस ब्लॉक में सामान्यतः 80-200 परिवारों के सुसंबद्ध क्षेत्रीय इकाई बनाने की परिकल्पना की गई है तथा ब्लॉक पूर्णत: स्पष्ट, सुस्पष्ट और प्राकृतिक/स्थायी सीमाओं से घिरा हुआ है। ब्लॉक परस्पर अनन्य एवं सुविस्तृत होते हैं ताकि किसी निर्धारित कस्बे में बनाए गए ब्लाक में कस्बे के कुल क्षेत्र को शामिल कर सकें । जबकि कस्बा बड़ी क्षेत्रीय इकाई होती है और यूएफएस ब्लॉक एक छोटी क्षेत्रीय इकाई। उक्त दोनों में मेल को देखते हुए, यूएफएस में अन्वेषण इकाई की अवधारणा को विकसित किया गया । अन्वेषण इकाई (IV इकाई) लगभग 20-50 यूएफएस ब्लॉकों वाला एक पूर्णत: स्पष्ट और स्पष्ट सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र होता है ।

5.24 अंतिम चरण हेतु प्रयुक्त समग्र दिशानिर्देशों के अन्तर्गत यूएफएस का वर्तमान चरण अर्थात् यूएफएस फेज 2012-17 जुलाई, 2013 से प्रारंभ किया गया । इस चरण में, 5,27,894 यूएफएस ब्लॉकों वाले 5379 कस्बे अक्तूबर, 2016 के अंत तक बनाये/अद्यतन किए गए हैं ।

मांग के आधार पर यूएफएस नक्शे और रिकॉर्ड सरकारी विभागों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं तथा निजी संस्थाओं और शोधकर्ताओं को भुगतान आधार पर आपूरित किए जाते हैं।

5.25 शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) संबंधी स्थायी समिति की पांचवीं बैठक यूएफएस रिकार्डों का मोबाइल अनुप्रयोग का उपयोग करके यूएफएस रिकार्डों के सम्पूर्ण डिजिटाइजेशन (अनुसूचियों और कार्यकारी शीट) पर विचार-विमर्श करने के लिए 24 मई 2016 को नई दिल्ली में श्री के.पी.उन्नीकृष्णन, अपर महानिदेशक, एफओडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

मूल्य आंकड़ा संग्रहणः

5.26 **ग्रामीण खुदरा मूल्यों का संग्रहण :**ग्रामीण खुदरा मूल्यों पर संग्रहित आंकड़ों का कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई) का संकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है । इस समय, श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई का संकलन और प्रकाशन करता है ।

5.27 260 वस्तुओं वाली एक नई वस्तु बास्केट कृषि श्रमिकों की वर्तमान उपभोग पद्धति के संबंध में मूल्य परिवर्तनों को दर्शाने की दृष्टि से 1986 में अंगीकार की गई थी । नई वस्तु बास्केट हेतु मूल्य आंकड़े अनुसूची 3.01 (आर) का उपयोग करके 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले निर्धारित 603 गांवों/बाजारों से प्रतिमाह संग्रहित किए जाते हैं । नई श्रृंखलाओं के लिए मूल्य आंकडों के साथ-साथ 12

कृषि और 13 गैर-कृषि व्यवसायों की दैनिक मजदूरी दरें अनुसूची 3.01 (आर) में एकत्रित की जा रही हैं। गंगटोक, पोर्ट ब्लेयर और पणजी के सिवाय, क्षेत्र संकार्य प्रभागों (एफओडी) के सभी 46 क्षेत्रीय कार्यालय आरपीसी सर्वेक्षण कार्य का नियमित निष्पादन करते हैं ।

जुलाई-सितम्बर 2016 की तिमाही का आरपीसी बुलेटिन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है तथा अक्तूबर-दिसम्बर, 2016 तिमाही का बुलेटिन शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा ।

5.28 मौजूदा आरपीसी फ्रेम दो दशकों से भी अधिक पुराना है और समय के साथ चुनी हुई (मूल/आरक्षित) दुकानें/आउटलेट्स, तीव्र गति से शहरीकरण होने के कारण अस्तित्वहीन हो गई हैं। अत: मौजूदा उपलब्ध फ्रेम पुराना हो गया है तथा इसमें तुरंत सुधार की जरूरत है । इस प्रकार, आरपीसी स्कीम की समीक्षा का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

5.29 **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई (शहरी):** 1114 कोटेशनों के लिए 310 कस्बों से एनएसएसओ द्वारा मूल्यों का संग्रहण किया जा रहा है । इन कोटेशनों में से, 1078 कोटेशनों की एनएसएसओ की जिम्मेदारी है, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और लक्षद्वीप की शेष 36 कोटेशनों का सीएसओ, पीसीएल यूनिट द्वारा प्रबंधन किया जाता है ।

5.30 सीपीआई (यू) स्कीम आबादी के तीन वृहत् खण्डों (अर्थात् समृद्ध, मध्यम और गरीब) के आधार पर वस्तुओं के मूल्यों का संग्रहण करती है । आबादी के विशेष खण्ड जिसके लिए कोटेशन तय की गई है, की वरीयता को ध्यान में रखकर प्रत्येक कोटेशन के लिए विभिन्न वस्तुओं के विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है । प्रत्येक कोटेशन के लिए मूल्य आंकड़ा संग्रहण उस कोटेशन के लिए विनिर्दिष्ट सप्ताह के भीतर पूरा किया जाता है ।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसूचियों का प्रचार किया जाता है:

- **अनूसूची 3.04:** प्रत्येक माह पीडीएस मदों के अलावा वस्तुओं/सेवाओं के संबंध में मूल्य आंकड़ों के संग्रहणार्थ
- **अनूसूची 3.04 (पीडीएस):** मासिक आधार पर केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजधानियों में, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मूल्य आंकड़ा संग्रहण किया जाना अपेक्षित है ।
- **अनूसूची आवास किराया:** एक समयावधि से दूसरी अवधि तक आबादी के अलग-अलग खण्डों द्वारा दिए गए मकान किराया में बदलावों के उपाय करने हेतु मकान किराया जांच अभिप्रेत है।

5.31 **थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई):** औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुरोध पर एनएसएसओ डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखलाओं और नई श्रृंखलाओं के लिए मूल्य आंकड़ा संग्रहण में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय को सहूलियत प्रदान कर रहा है। इस समय, देश भर में फैली 3813 इकाइयों और 18192 कोटेशनों के संबंध में आंकड़ा संचरण किया जा रहा है । डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 है । डब्ल्यूपीआई की नई

श्रृंखला में 6837 कोटेशन तथा आधार वर्ष 2011-12 के साथ डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखला और नई श्रृंखला के अंतर्गत 1107 सामान्य कोटेशन हैं ।

योजना स्कीम

5.32 एनएसएसओ द्वारा मंत्रालय की योजना स्कीम **'क्षमता विकास'** में योजना स्कीम के अपने घटक नामतः **'एनएसएसओ की सर्वेक्षण क्षमता को सुदृढ़ बनाना'** को कार्यान्वित किया गया । इस घटक के तहत, वर्ष 2016-17 के दौरान शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों का ब्योरा नीचे दिया गया हैः

5.33 **फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद/आवास का निर्माण**: एफओडी के मुख्यालय तथा फील्ड कार्यालयों में अवसरंचना और विकसित तथा सुदृढ़ की गई । एसआरओ, मैसूर और आर ओ, हुबली का निमार्ण प्रारंभ किया गया है और जारी है तथा आरओ, कोलकाता, आरओ, शिमला, एसआरओ, दुर्ग तथा एसआरओ, मेरठ का नवीनीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। आरओ, सहारनपुर के लिए भूमि अधिप्राप्ति का प्रस्ताव महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसएसओ की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

5.34 **प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण:** एनएसएसओ अपने आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषि सांख्यिकी स्कंध, फरीदाबाद के माध्यम से अपने स्टॉफ के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है । वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवंबर 2016) के दौरान, सामान्य प्रशासनिक मामलों पर प्रशिक्षण के अलावा, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, एएसआई/एएसआई वेब पोर्टल, कृषि सांख्यिकी, यूएफएस जैसी विभिन्न तकनीकी स्कीमों पर लगभग 1015 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । मौजूदा प्रशिक्षण माड्यूलों के अलावा, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के ग्रेड ।। अधिकारियों के लिए नए भर्ती एफओडी/गैर-एफओडी के माड्यूल बी संबंधी प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) वर्ष के दौरान आयोजित किया गया ।

5.35 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशीप स्कीम मई-अगस्त, 2016 के दौरान आयोजित की गई । मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से लगभग 76 इंटर्न तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों से 25 इंटर्नों ने विभिन्न स्कीमों संबंधी इंटर्नशिप में भाग लिया । आंकड़ा प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण भारतीय सांख्यिकी सेवा परीवीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गई तथा डीपीडी के संबंधित व्यक्तियों ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के एम-स्टैट छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया ।

5.36 **एनएसएसओ का प्रचार:** एनएसएसओ के ब्रैंड नाम के सृजन के लिए तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से मिलने वाले सहयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष 2016-17 में इस प्रकार कदम उठाए गएः

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दो स्पॉट्स (1 वीडियो और 1 आडियो) विकसित/निर्मित की गई। विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय एफएम/रेडियो चैनलों में आडियो स्पॉट प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी पर वीडियो स्पॉट का प्रसारण जारी है। डिजिटल सिनेमा के माध्यम से वीडियो स्पॉट भी कवर किया जाएगा ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आउट डोर प्रचार भी किया जा रहा है ।

5.37 **आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग:** क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने हेतु, एएसआई के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आंकड़ा विधायन एजेंसियों को प्रेषित किए जा रहे हैं । इसी प्रकार से, सीपीआई (यू) के लिए मूल्य संबंधी आंकड़े संग्रहित किए जा रहे हैं और विशेष रूप से डिजाइन किए गए वेब पोर्टल के माध्यम से सीएसओ को प्रेषित किए जा रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप न केवल आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि रिपोर्टों को प्रसारित करने में होने वाले विलम्ब में भी कमी आई है । इलेक्ट्रानिक रूप से मासिक प्रगति रिपोर्टें, विभिन्न आदेश/परिपत्र, आदि के प्रेषण के लिए एक वेब पोर्टल का विकास किया जा रहा है ।

5.38 नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के सहयोग से एनएसएसओ ने एक मोबाइल एप्लीकेशन सफलतापूर्वक विकसित किया है जिसके माध्यम से जिओ-संदर्भित यू.एफ.एस. नक्शे तैयार किए जा सकते हैं । यू.एफ.एस. अनूसूची और रिकार्डों के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है।

5.39 **'एनएसएसओ की आंकड़ा विधायन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण'** के अंतर्गत, अवसंरचना तैयार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास के अलावा, दो योजना केंद्र नामत: डीपी सेन्टर, बंगलौर तथा डीपी सेन्टर अहमदाबाद 10वीं योजना के दौरान संस्थापित किए गए । इन दोनों डीपी सेन्टरों ने आंकड़ा विधायन की समयपरकता को प्राप्त करने तथा परिणामों को जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके योगदान ने सर्वेक्षण के आयोजन के एक वर्ष के भीतर इसके परिणामों को जारी करने के लक्ष्य को पाने के लिए एनएसएसओ को समर्थ बनाया ।

राज्यों को तकनीकी सहायता :

5.40 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों हेतु उप-राज्य स्तरीय अनुमान लगाने के उद्देश्य से, राज्यों ने उप-प्रतिदर्श स्तरीय अनुमानों के लिए अपेक्षित बढ़े हुए प्रतिदर्श आकार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से एनएसएस सर्वेक्षणों में भी भाग लिया । आंकड़ा विधायन, राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों की केंद्रीय प्रतिदर्श आंकड़ों के साथ पूलिंग तथा तत्संबंधी परिणामों को जारी करने के संबंध में भी राज्य स्तरों पर क्षमता-विकास की आवश्यकता है । आंकड़ा विधायन प्रभाग (डीपीडी) ने राज्यों को प्रतिदर्श सूची (आंकड़ा प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर, वैधीकरण और सारणीयन सहित) आंकड़ा विधायन साधन उपलब्ध कराकर सभी प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया है तथा यह आंकड़ों की पूलिंग संबंधी कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है । तत्पश्चात पूल किए गए अनुमानों पर राज्य स्तर की रिपोर्टें राज्यों द्वारा प्रकाशित की गई तथा अवलोकन/अभ्युक्तियों के लिए डीपीडी को भेजी गई।

5.41 वर्ष 2016-17 के दौरान डीपीडी ने एनएसएस के 73वें दौर के लिए आंकड़ा विधायन कार्यशालाएं, 71वें दौर के लिए सारणीयन कार्यशाला तथा एनएसएस के 68वें दौर हेतु पूलिंग कार्यशाला आयोजित की तथा सैद्धांतिक पहलुओं के अलावा केंद्र और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया । डीपीडी ने राज्य अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालयों के अनुरोध पर राज्यों के लिए विशिष्ट आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किए । 72वें दौर के इकाई स्तरीय केन्द्रीय प्रतिदर्श आंकड़े पूलिंग प्रयोजन हेतु राज्यों के साथ भी शेयर किए गए ।

सर्वेक्षणा:

5.42 इसके विभिन्न अंकों की विषय-वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए एनएसएसओ की तकनीकी गृह पत्रिका 'सर्वेक्षणा' के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड को कारगर सचिवालयी सहायता दी गई । 101वें अंक को अंतिम रूप देने के लिए प्रो. यू.शंकर की अध्यक्षता में 8 सितम्बर 2016 को 'सर्वेक्षणा' के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई । सर्वेक्षणा का 101वां अंक प्रकाशित किया गया तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया ।

नई पहलें:

5.43 **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस):** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) नामक एक नया श्रम बल सर्वेक्षण देश भर में शीघ्र शुरू किया जा रहा है । यह एक परिवार प्रतिदर्श सर्वेक्षण है जिसमें हैंड-हेल्ड उपकरण अर्थात अन्य सर्वेक्षणों के लिए एनएसएसओ द्वारा प्रयुक्त की जा रही पेपर अनूसूचियों के बदले उत्तरदाताओं से आंकड़ा प्रगहण हेतु टेबलेट्स का उपयोग करके देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में चयनित परिवारों से आंकड़ा संग्रहण किया जाता है । आंकड़ा संग्रहण का फील्ड कार्य पर्यवेक्षण और इस सर्वेक्षण की प्रशासनिक सहायता की अधिकांशत: संविदात्मक स्टाफ आउटसोर्सिंग आधार पर एजेंसी के माध्यम से लगाया जा रहा है । संविदात्मक स्टाफ के अलावा, पीएलएफएस कार्य के लिए व्यय विभाग द्वारा 69 नियमित पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 2 निदेशक व 8 उप निदेशक एफओडी मुख्यालय में पहले से ही तैनात हैं तथा 15 सहायक निदेशकों ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में ज्वाइन किया है ।

5.44 पीएलएफएस पर अखिल भारत प्रशिक्षक कार्यशाला (एआईडब्ल्यूओटी) 10-11 नवम्बर 2016 को बंगलुरू में आयोजित की गई । इस कार्यशाला का उद्घाटन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया । एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों तथा अन्य संगठनों से अधिकारियों ने पीएलएफएस की अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रतिदर्श डिजाइन पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यशाला में भाग लिया । टेबलेट्स का उपयोग करके कम्प्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार(सीएपीआई) के माध्यम से आंकड़ा प्रग्रहण पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया ।

कम्प्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) समाधान

5.45 कम्प्यूटर सहायता प्राप्त आंकड़ा संग्रहण के उपयोग के जरिए एनएसएस सर्वेक्षणों में फील्ड में संग्रहित आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आगे विधायन हेतु आंकड़ा प्रेषण में लगने वाले समय

को घटाने को दृष्टिगत रखते हुए, मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा विकसित सीएपीआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टेबलेट के जरिए पीएलएफएस अनुसूची पर आंकड़ा संग्रहण पर प्रयोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया । आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण नामक शुरू किए जाने वाले नए सर्वेक्षण का आंकड़ा संग्रहण हैंड हेल्ड आईटी उपकरण अर्थात् टेबलेट्स के माध्यम से किया जाएगा । 5 टेबलेट्स का उपयोग करके अनुसूची 10.4 और अनूसूची 0.0 पीएल का ड्राफ्ट टेम्पलेट विकसित किया गया तथा जांच की गई ।

कामकाजी वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण (डब्ल्यूसीएफआईएण्डईएस):

5.46 कामकाजी वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण देश के चुनिंदा औद्योगिक महत्वपूर्ण केन्द्रों पर औद्योगिक कामगारों की आमदनी और व्यय तथा मकान किराए का सर्वेक्षण करने के अभिप्राय से शुरू की गई है । इस सर्वेक्षण का मुख्य प्रयोजन औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारण आरेखों को संकलित करना है (सीपीआई/आईडब्ल्यू) । इससे पूर्व, श्रम ब्यूरो, एफओडी के अनुरोध पर सितम्बर 1999 से अगस्त 2000 के दौरान 2001=100 आधार पर सीपीआई/आईडब्ल्यू की वर्तमान श्रृंखला का यह सर्वेक्षण आयोजित किया गया । श्रम ब्यूरो ने सीपीआई (आईडब्ल्यू) ने आधार वर्ष 2015=100 करने के लिए पूरे देश में फैले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 88 केंद्रों पर नए सिरे से कामकाजी वर्ग परिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है । नई श्रृंखला प्रोयागिक/प्रयोगात्मक आधार पर 67,200 अनुसूचियों को कवर करने वाले 88 चुनिंदा केंद्रों के साथ-साथ दो अतिरिक्त सेक्टरों, अर्थात निर्माण तथा हथकरघा के कवरेज हेतु प्रस्तावित है । निर्माण तथा हथकरघा सेक्टर के प्रत्येक दो केंद्रों को पृथक रूप से शामिल किया जाएगा तथा ये अखिल भारत श्रृंखला का भाग नहीं होंगे ।

सर्वेक्षण निम्नलिखित तीन चरणों में कराए जाने की योजना बनाई गई:

- प्रत्येक केंद्र में कवर किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण, औद्योगिक कामगारों को संकेन्द्रित रखने वाले मकानों की सूची बनाना तथा सर्वेक्षण हेतु फ्रेम की तैयारी के लिए उद्यमों/खानों/प्लान्टेशन/निर्माण स्थलों की सूची बनाना, संविदा अन्वेषकों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण, अनेक केंद्रों (चरण-। के लिए 6 माह) में प्रायोगिक सर्वेक्षण ।
- परिवारों की सूची बनाने व चयन हेतु मुख्य सर्वेक्षण, कामगारों की सूची बनाना तथा चयन, परिवार बजट जांच तथा मकान किराया (चरण-2 के लिए 12 माह) हेतु सूचना का संग्रहण ।
- लम्बित शेष कार्य को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण पश्चात कार्य (चरण-3 के लिए 3 माह) ।

सर्वेक्षण का प्रारंभिक चरण सम्पन्न हो चुका है तथा सर्वेक्षण का मुख्य चरण, जो सभी चयनित केंद्रों पर 1 जनवरी 2016 पर शुरू हुआ और 31 दिसम्बर 2016 को सम्पन्न हुआ ।

मूल्यों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना के तहत मूल्य संग्रहण (आईसीपी-2015)

5.47 एनएडी (पीसीएल यूनिट), सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुरोध पर एफओडी ने खरीद शक्ति समानता (पीपीपी) को अद्यतन करने के लिए नवम्बर 2015 से आगे वर्ष में परिवार उपभोक्ता मदों का मूल्य संग्रहण शुरू किया है जिसे सकल घरेलू उत्पाद के राष्ट्रीय अनुमान एक समान मुद्रा में परिवर्तन हेतु एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । ये मुख्य रूप से 61 शहरी बाजारों तथा आस-पड़ोस के 21 देहात गावों को शामिल करते हुए 6 मेगा शहरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद और चेन्नई) से संग्रहित किए जा रहे हैं।

****

अध्याय-VI

सांख्यिकीय सेवाएं

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

6.1 भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), केंद्रीय सेवा के समूह 'क' का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में नानारूपी सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, समन्वय, प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में 1 नवम्बर, 1961 को किया गया था ।

6.2 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसआई के पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इस उद्देश्य के साथ वितरित किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट-अप हो जिससे वे वास्तविक समय, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें व (क) नीति निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन परिणाम/अंतिम मूल्यांकन सहित); और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें ।

6.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है । मंत्रालय सांख्यिकीय सेवा भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है । तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दैनिक प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं ।

6.4 इस सेवा की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नति तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है । गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इस सेवा में विकास हुआ है ।

6.5 इस सेवा के जेटीएस पदों की सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी । अभी तक, सीधी

भर्ती के 39 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है । अंतिम बैच 3 अक्तूबर 2016 को सेवा में आया था ।

6.6 29 जुलाई, 2015 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आईएसएस की वर्तमान पद संख्या, भावी आवश्यकताओं और गतिरोध को ध्यान में रखते हुए तीसरे संवर्ग समीक्षा को अनुमोदन दिया गया। संवर्ग समीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आईएसएस नियमावली 2016 को दिनांक 7 जून, 2016 के राजपत्र में अधिसूचना को अधिसूचित करवा लिया गया है । संवर्ग समीक्षा के पश्चात विभिन्न ग्रेडों में पदों का आबंटन निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका 1

क्रम सं.	**ग्रेड**	**स्वीकृत संख्या शक्ति**	
		संवर्ग समीक्षा से पहले	**संवर्ग समीक्षा के बाद**
1	उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी+)	2	05
2	उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	10	18
3	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	81	136
4	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)	230*	176*
5	वरिष्ठ समयमान (एसटीएस)	208	179
6	कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	233	250
7	आरक्षित	50	50
8	**कुल**	**814**	**814**

* इनमें से 30% सीनियर ड्यूटी के पद एनएफएसजी में रखे गए हैं ।

6.7 आईएसएस नियमावली, 2016 के अधिसूचित होने के पश्चात वर्तमान में प्रतिभागी मंत्रालयों के अतिरिक्त पांच और मंत्रालय आईएसएस पद आबंटन की प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं । उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका 2

क्रम सं.	**मंत्रालय/विभाग के नाम**	**आबंटित पदों की संख्या**
1	भारी उद्योग और लोक उद्यम (लोक उद्यम विभाग) मंत्रालय	एसएजी -1, जेटीएस-1
2	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	एसएजी-1, एसटीएस-1
3	नई व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	एसएजी-1, जेटीएस-1

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग के नाम	आबंटित पदों की संख्या
4	विद्युत मंत्रालय	एसएजी-1, जेटीएस-1
5	पोत मंत्रालय	एसएजी-1, जेएजी-1, एसटीएस-1

6.8 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है । इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है । अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं ।

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस)

6.9 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, नीति निर्माण और सरकार की निर्णय लेने की क्षमता को सुविधाजनक बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ा आधार निर्मित करने के लिए अनिवार्य विषय के रूप में सांख्यिकी में अर्हता प्राप्त कार्मिकों के संवर्ग का गठन 12 फरवरी, 2002 को किया गया था ।

6.10 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), समूह-ख की केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है । इसमें ₹ 9300-34800 के पे बैंड में ₹ 4600/- ग्रेड पे (ग्रुप ख राजपत्रित) में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) तथा इसी पे बैंड में ₹ 4200/- के ग्रेड पे (ग्रुप ख अराजपत्रित) में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) हैं । एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं।

6.11 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है । मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख-रेख करता है । तथापि, एसएसएस अधिकारियों के दैनिक प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देखरेख की जाती है ।

6.12 एसएसएस नियम, 2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक

स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, जबकि 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है । इस सेवा में एसएसओ के पदों पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है ।

6.13 दिनांक 01.12.2016 की स्थिति के अनुसार, इन दो ग्रेडों में स्वीकृत पदों की संख्या तथा तैनात पद धारकों की संख्या नीचे दी गई हैः

तालिका 3

क्र.सं.	**पद का नाम**	**स्वीकृत पद**	**तैनात**
1.	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1781	1420
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	2196	1696
	कुल संख्या	3977	3116

6.14 वर्ष 2016 के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- एनएसएसओ (एफओडी) में पीएलएफएस के लिए वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों के 25 पद सृजित किए गए ।

- कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएलई 2014) के माध्यम से जेएसओ के पद पर भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के लिए 306 नियुक्ति आदेश जारी किए गए ।

- एसएसएस कैडर के नए कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के लिए समावेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) नास्ता, ग्रेटर नोएडा के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें 387 अभ्यर्थियों को नवंबर, 2016 के अन्त तक प्रशिक्षित किया गया ।

- एसएसएस के डाटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए फील्ड कार्यकर्ताओं से सीएमआईएस कार्यक्रम के माध्यम से "फीडबैक" प्रत्येक माह प्राप्त किया जा रहा है तथा नियमित रूप से इसका प्रबोधन किया जाता है ।

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, एसएसएस संवर्ग में संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एमएसीपी)/ सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एसीपी) स्कीम कार्यान्वित की गई तथा इसका नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है । वर्ष

के दौरान एसएसएस के लगभग 175 अधिकारियों को पे बैंड 2, और 3+₹4600, ₹4800, ₹5400, और ₹6600 के ग्रेड वेतन में पहली, दूसरी और तीसरी एमएसीपी दी गई ।

- परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर 04 मई 2016 को 159 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों की सेवा स्थायी की गई ।

- सीजीएलई-2015 के माध्यम से चयनित किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव 15 जनवरी 2017 तक जारी कर दिए जाएंगे ।

- 290 योग्य अधिकारियों को कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी से वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी पद पर पदोन्नति पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक दिसंबर, 2016 में की गई है ।

***

अध्याय-VII

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

7.1 1930 के दशक के प्रारंभ में, भारत में सैद्धांतिक तथा अनुप्रयुक्त सांख्यिकी की प्रगति की आवश्यकता को देखते हुए और प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अग्रणी पहल के फलस्वरूप भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) अस्तित्व में आया । भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 28 अप्रैल 1932 को एक गैर-लाभकारी शिक्षा समूह के रूप में पंजीकृत किया गया । प्रारंभ से ही, संस्थान ने अपने कार्यकलापों से उत्कृष्टता का प्रदर्शन शुरू कर दिया । संस्थान जैसे-जैसे अपने शोध, अध्यापन, प्रशिक्षण और परियोजना कार्यकलापों का विस्तार करता गया, उसे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती गई । सैद्धान्तिक तथा अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कार्यकलापों में संस्थान के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए "1959 के भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम संख्या 057" नामक संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में मान्यता प्रदान की गई । इससे संस्थान को सांख्यिकी में परीक्षाएं आयोजित करने और उपाधियां/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया । उल्लेखनीय है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने स्वयं यह विधेयक 1959 में संसद में रखा था ।

7.2 इसके फलस्वरूप जून, 1960 से सांख्यिकी में स्नातक (सांख्यिकी स्नातक) तथा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर (सांख्यिकी स्नातकोत्तर) और सांख्यिकीय गुणवत्ता और प्रचालन अनुसंधान (एसक्यूसी एण्ड ओआर) एवं कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की शुरूआत की गई । इसी वर्ष से संस्थान को पीएचडी/डीएससी की उपाधियां प्रदान करने के अधिकार भी दिए गए । तदनन्तर, कम्प्यूटर विज्ञान (सीएस) और गुणवत्ता यथार्थता तथा प्रचालन अनुसंधान (क्यूआरओआर) में प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (एम.टेक), पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए । संसद ने "भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1995, 1995 की सं. 38" के द्वारा न केवल सांख्यिकी में बल्कि गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित अन्य विषयों में उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार देकर संस्थान का कार्य क्षेत्र और बढ़ा दिया । इससे सांख्यिकी/गणित में ही नहीं बल्कि कम्प्यूटर और संचार विज्ञान, प्राकृतिक और समाज विज्ञान, भौतिकी और भू-विज्ञान, जैव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, सांख्यिकीय गुणवत्ता और प्रचालन अनुसंधान (एसक्यूसी एण्ड ओआर), पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में व्यापक शोध कार्यों को प्रोत्साहन मिला ।

7.3 विगत वर्षों से, संस्थान प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध तथा प्रायोगिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन देकर सांख्यिकीय सिद्धांतों और पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । संस्थान 1933 से "संख्या-भारतीय सांख्यिकी पत्रिका" का प्रकाशन कर रहा है । पत्रिका को अभी भी विश्व की अग्रणी सांख्यिकीय पत्रिका माना जाता है । सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर मल्टीवैरिएट विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, परीक्षण अभिकल्प के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी शोध कार्य किए गए । प्रो. सी.आर. राव और 1940 के दशक में संस्थान से जुड़ी कई हस्तियों ने इन कार्यों को मजबूत बनाया और नए मार्ग प्रशस्त किए, तथा यह परम्परा चलती रही । भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहल लाल नेहरू द्वारा 1954 में देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित मसौदा तैयार करने का कार्य प्रो. महालनोबिस और संस्थान को सौंपे जाने से अर्थशास्त्र में शोध कार्य को अत्यंत प्रोत्साहन मिला। प्रो. महालनोबिस के नेतृत्व में संस्थान द्वारा प्रस्तुत "मसौदे" और उनके द्वारा इस संबंध में योजनागत मॉडल्स का भारत के आर्थिक नियोजन में प्रमुख योगदान माना जाता है ।

7.4 कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, संस्थान की समृद्ध परम्परा रही है । 1953 में, संस्थान में एक छोटा-सा एनालॉग कम्प्यूटर डिजाइन किया गया और स्थापित किया गया था । 1956 में, संस्थान ने यू.के. से एचईसी-2 एम मशीन प्राप्त की । यह भारत में पहला डिजिटल कम्प्यूटर था । साठ के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, संस्थान ने जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से पूरी तरह से ट्रांजिस्टरों से युक्त आईएसआईजेयू-1 नामक कम्प्यूटर के डिजाइन, विकास और फेब्रिकेशन का कार्य शुरू किया, जिसे 1966 में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री एम.सी. छागला ने चालू किया । पिछले छह दशकों में संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम्प्यूटर वैज्ञानिकों ने कम्प्यूटर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च गुणवत्ता के शोध और विकास संबंधी कार्य किए हैं और उनके ठोस प्रयासों के कारण संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी शीर्ष पहचान बना ली है ।

7.5 सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) के जनक प्रो. डब्ल्यू.ए. शेव्हार्ट के भारत भ्रमण का आयोजन और बाद में इसी उद्देश्य से डॉ. डब्ल्यू. ई. डेमिंग, डॉ. एलिस आर. ओट, डॉ. एच. सी. टिप्पेट तथा जेनिसी तागुची जैसे अन्य विश्वविख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित कर भारत में एसक्यूसी अभियान शुरू करने में अग्रणी भूमिका भी निभाई । शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा परामर्श सेवाओं को शामिल कर तैयार किए गए एक व्यापक कार्यक्रम के तहत संस्थान का एसक्यूसी प्रोत्साहन कार्य क्रमिक रूप से भारत के सभी औद्योगिक केन्द्रों में प्रचलित हो गया । संस्थान यथा समय भारत की "गुणवत्ता परिषद्" का स्थायी सदस्य भी बन गया है ।

7.6 संस्थान अपने प्रारम्भिक दिनों से ही विभिन्न विषयों में विश्व समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों से संपर्क करता रहा है। इनमें से कुछ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने कई महीनों तक अथवा लंबे समय तक संस्थान में कार्य किया है । आधुनिक सांख्यिकी के अग्रदूत सर रोनाल्ड ए. फिशर नियमित रूप से संस्थान में आते रहे और उन्होंने संस्थान को उल्लेखनीय सहयोग दिया । विश्व प्रसिद्ध जीन विज्ञानी प्रो. जे.बी.एस. हैल्डेन 1957 से लेकर कई वर्षों तक संस्थान के सदस्य रहे । जाने माने गणितज्ञ, नॉर्बर्ट वीनर ने 1954 और फिर 1955-56 में दो बार संस्थान का दौरा किया । शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी उन हस्तियों जिनके दीर्घकालिक दौरों ने संस्थान के विकास को प्रभावित किया, इस प्रकार हैं - सांख्यिकीविद्, हेरोल्ड हॉटलिंग, फ्रैंक येट्स, हर्मन वॉल्ड, एडविन हार्पर (जूनियर) और एच. क्रेमर; गणितज्ञ ए.एन. कोल्मोगोरोव, यू. वी. लिन्निक, जे.एल. डूब और हाल ही में वॉगन एफ.आर. जोन्स, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ, वाल्टर शेव्हार्ट और जी. तागुची; अर्थशास्त्री, साइमन कुजनेत्स, पॉल ए. बैरन, जॉन रॉबिन्सन, जॉन तिनबर्गेन, निकोलस काल्डोर, आर.एम. गुडविन, डेविड एण्ड रूथ ग्लास तथा जे.के. गॉलब्रेथ; और हाल ही में अमर्त्य के.सेन, राबर्ट ऑमन, लोटफि ए.ज़ादेह, जोसफ ई.स्टीग्लिटज, जेम्स ए. मरलीस, एरिक स्टार्क मास्किन; ई-इचि नेगिशी; भू-विज्ञानी जैसे पामेला रॉबिन्सन, जैव रसायनज्ञ एन.डब्ल्यू.पीरी और भाषाविद् डी. कोस्टिक। संस्थान अपनी इस विकास यात्रा के दौरान, उन सभी वैज्ञानिक प्रयासों में रोनाल्ड फिशर के इस सिद्धांत, कि सांख्यिकी "प्रमुख प्रौद्योगिकी" है, का पालन करता रहा है, जिनमें प्रतिदर्श से लेकर समाहार तक में परीक्षण, मापन और निष्कर्ष शामिल हैं ।

अध्यापन तथा प्रशिक्षण प्रभाग

7.7 शैक्षिक सत्र 2016-17 के दौरान कुल 21763 उम्मीदवारों ने दाखिले के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों - बी.स्टैट (आनर्स), बी.मैथ (ऑनर्स), एम.स्टैट, एम.मैथ, मात्रात्मक अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस (एमएस), पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एम.एस., कंप्यूटर विज्ञान में एम.टेक., गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा प्रचालन अनुसंधान में एम.टेक, सांख्यिकी पद्धति तथा विश्लेषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, व्यवसाय विश्लेषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा प्रचालन अनुसंधान, भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित, कृषि तथा पारिस्थितिकी, जैविक मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भू-विज्ञान, समाजशास्त्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान तथा विकासात्मक अध्ययन में **रिसर्च फैलोशिप** के लिए आवेदन किया तथा उन्हें लिखित चयन परीक्षाओं हेतु बुलाया गया । पूरे देश में 35 विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश टेस्ट आयोजित किए गए (पूरे देश में 35 केंद्र और पूर्वी अफ्रीका

में तंजानिया में 1 केंद्र था)। अंतत: कुल 14382 उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और कुल 1375 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया । परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक रिकार्ड के आधार पर समीक्षाधीन शैक्षिक सत्र के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में 451 उम्मीदवारों को प्रवेश की पेशकश की गई । 2015-16 शैक्षिक सत्र के दौरान आयोजित सभी नियमित पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा मई 2016 में ली गई । 2016-17 का शैक्षिक सत्र जुलाई 2016 से शुरू हुआ । संस्थान का इक्यावनवां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी 2017 को आयोजित किया जाएगा ।

7.8 23 नवंबर 2016 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठयक्रमों के 83 प्रशिक्षु, संस्थान से संबंधित विभिन्न फैकल्टी सदस्यों के मार्गदर्शन में संस्थान की विभिन्न इकाइयों नामत: एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड माइक्रो इलैक्ट्रॉनॉमिक्स यूनिट (एसीएमयू), एग्रीकल्चरल एंड इकॉलॉजिकल रिसर्च यूनिट (एईआरयू), एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूनिट (एएसयू), बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी यूनिट(बीएयू), कंप्यूटर विज़न पैटर्न रिकॉग्निशन यूनिट(सीवीपीआरयू), डीन ऑफिस, इलैक्ट्रोनिक एंड कम्यूनिकेशन साइंस यूनिट(ईसीएसयू), जियोलॉजिकल स्टडी यूनिट(जीएसयू), ह्यूमन जेनेटिक्स यूनिट(एचजीयू), इंटर-डिसिप्लिनरी स्टैटिस्टिकल रिसर्च यूनिट(आईएसआरयू), मशीन इंटैलिजेंस यूनिट (एमआईयू), फिजिक्स एंड एप्लाइड मैथेमेटिक्स यूनिट (पीएएमयू), तथा स्टैटिस्टिक्स एंड मैथेमेटिक्स यूनिट (एसएमयू) में चार सप्ताह/छह सप्ताह/दो माह/तीन माह/चार माह तथा छह माह के परियोजना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी)

7.9 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षण केंद्र (आईएसईसी) प्रो.महालनोबिस की पहल पर वर्ष 1950 में अस्तित्व में आया । यह केंद्र कोलकाता में **अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षण केंद्र** और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के मध्य किए गए एक करार के माध्यम से आरंभ हुआ । वर्तमान में यह केंद्र भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है । केंद्र संयुक्त निदेशकों के एक बोर्ड के अधीन कार्यरत है । 60 वर्षों के इसके इतिहास में, 1950 में इस केंद्र के आरंभ होने से लेकर 1972 में उनकी मृत्यु तक प्रो.पी.सी. महालनोबिस निदेशक मंडल के अध्यक्ष रहे । तदनंतर प्रो.सी.आर.राव 2015 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे । वर्तमान में प्रो.एस.पी.मुखर्जी बोर्ड के अध्यक्ष हैं । केन्द्र का उद्देश्य मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, सुदूर-पूर्व देशों तथा अफ्रीका के कॉमनवेल्थ देशों के चुनिंदा प्रतिभागियों को विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक तथा अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है । प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकी में 10 माह के नियमित पाठ्यक्रम के तहत सांख्यिकी प्रशिक्षण

डिप्लोमा कराया जाता है । इसके अलावा विविध विषयों पर विभिन्न अवधि के विशेष पाठयक्रम भी आयोजित किए जाते हैं । आईएसईसी के नियमित पाठ्यक्रम (2016-17) के 70वें टर्म का प्रारंभ 1 अगस्त 2016 से हुआ । इस वर्ष 15 विभिन्न देशों नामत: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कांगो, कोट डी' इवायर, इथियोपिया, फिजी, घाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजर, नाइजीरिया, श्रीलंका, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, जांबिया के 28 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया । 23 प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के आईटीईसी/एस्केप के तहत फैलोशिप दे कर सहायता प्रदान की गई, जबकि 5 प्रशिक्षुओं को श्रीलंका के केंद्रीय बैंक की फैलोशिप द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ । उन्हें अनुमानत: 30 मई 2017 को होने वाले दीक्षांत समारोह में सांख्यिकी प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा । अब तक लगभग 85 देशों से 1628 से अधिक प्रशिक्षुओं ने आईएसईसी से सांख्यिकी प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त किया है ।

शोध कार्य

7.10 संस्थान के शोध संबंधी कार्यकलापों को निम्नलिखित प्रभागों में समूहबद्ध किया गया है:-

सैद्धांतिक सांख्यिकी व गणित; प्रयुक्त सांख्यिकी, संगणक और संचार विज्ञान; भौतिक एवं पृथ्वी विज्ञान; जीव विज्ञान; तथा सामाजिक विज्ञान; सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और प्रचालन अनुसंधान और पुस्तकालय, प्रलेखन व सूचना विज्ञान ।

इसके अलावा, कम्प्यूटर तथा सांख्यिकीय सेवा केन्द्र (सीएसएससी), सॉफ्ट कम्प्यूटिंग रिसर्च: ए नेशनल फैसिलिटी और आर.सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टालॉजी एंड सिक्यूरिटी नाम से तीन केन्द्र हैं । कम्प्यूटर तथा सांख्यिकीय सेवा केंद्र (सीएसएससी) को संस्थान की आंतरिक कम्प्यूटर प्रणाली के प्रबंधन और वैज्ञानिकों को कम्प्यूटिंग और सांख्यिकी सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है । "सॉफ्ट कम्प्यूटिंग रिसर्च सेंटर: ए नेशनल फैसिलिटी" संस्थान के एक सहायक निकाय के तौर पर कार्य कर रहा है । ''आर.सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टालॉजी एंड सिक्यूरिटी'' राष्ट्र को क्रिप्टोलॉजी तथा आंकड़ा सुरक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों की सुविधाएं प्रदान करता है ।

बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं

7.11 सैद्धांतिक व व्यावहारिक योजना शोधों के अतिरिक्त संस्थान लगभग 149 विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों जैसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण; कोल इंडिया लि.; सीएजीई; वारविक विश्वविद्यालय; जर्मन शिक्षा मंत्रालय; विज्ञान व तकनीकी विभाग; रक्षा

अनुसंधान एवं विकास संगठन; विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, प.बंगाल; (जैव विज्ञान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; डिटी, भारत सरकार; सूचना प्रोद्योगिकी, भारत सरकार; रशियन फेडरेशन आफ बेसिक रिसर्च(आरएफबीआर), रूस; इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी, भारत सरकार; टरेंटो विश्वविद्यालय, इटली इत्यादि ।

<u>सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, संगोष्ठी आदि का आयोजन</u>

7.12 वर्ष के दौरान संस्थान ने कई सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया । इनमें भारत तथा विदेशों के अग्रणी शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इनमें से कुछेक का उल्लेख नीचे किया गया हैः-

- 16 अप्रैल 2016 को इकॉनॉमिक एनेलिसिस यूनिट, बंगलौर में *"कर्नाटक में पर्यावरण परिवर्तन और कृषि उपज (हितधारकों की प्रथम बैठक)"* पर एक कार्यशाला का आयोजन।
- 16 मई–15 जुलाई 2016 को "क्रिप्टोलॉजी" विषय पर क्रिप्टोलॉजी और सुरक्षा शोध इकाई, कोलकाता में एक ग्रीष्म इंटर्नशिप ।
- 25 जुलाई 2016 को आर्थिक शोध इकाई, कोलकाता द्वारा "परिवार नियोजन पर विश्व की विस्तृत लोक कार्य परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन" पर एक कार्यशाला का आयोजन।
- 26 अगस्त 2016 को जनसंख्या अध्ययन एकक, कोलकाता में "रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हैल्थ (आरसीएच) इन द कांटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया: सम एमर्जिंग पॉलिसी इश्यूज़" पर एक कार्यशाला का आयोजन ।
- 8-9 सितंबर 2016 को मशीन इंटेलिजेंस यूनिट, कोलकाता में "एप्लीकेशन ऑफ मेथेमेटिक्स एंड स्टैटेस्टिक्स" विषय पर एक कार्यशाला ।
- 21 अक्तूबर 2016 को "दिल्ली मैक्रोइकॉनॉमिक्स" विषय पर आर्थिक योजना एकक, दिल्ली में पांचवीं कार्यशाला ।
- 25 अक्तूबर 2016 को "एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजिकल रिसर्च यूनिट, कोलकाता" में "एन्वायरमेंटल एंड इकॉलॉजिकल मॉडलिंग" विषय पर कार्यशाला ।
- 10-11 नवंबर 2016 को कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन यूनिट, कोलकाता में "मशीन लर्निंग एंड डाटा माइनिंग" विषय पर कार्यशाला ।

- 15 नवंबर 2016 को इलैक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन साइंसिज यूनिट, कोलकाता में "ऑन ऑटोमेटिक रिकॉगनिशन एंड सिंथेसिस ऑफ इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन्स" विषय पर कार्यशाला ।
- 16-19 नवंबर 2016 को सांख्यिकीय गुणवत्ता और प्रचालन अनुसंधान, हैदराबाद में "डाटा माइनिंग एंड बिजनेस एनालेटिक्स" विषय पर कार्यशाला ।
- 5-9 दिसंबर 2016 को इंटरडिसिप्लिनेरी स्टैटिस्टिकल रिसर्च यूनिट, कोलकाता और एप्लाइड एंड ऑफिशियल स्टैस्टिक्स यूनिट, नॉर्थ-ईस्ट सेंटर, तेजपुर में "बिजनेस स्टैस्टिक्स" विषय पर कार्यशाला ।
- 13-22 दिसंबर 2016 को स्टैट-मैथ यूनिट, बैंगलोर में "रिसेंट एडवांसिस इन ऑपरेटर थ्योरी एंड ऑपरेटर एल्जेब्राज़–2016 (ओटीओए-2016)" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- 14-16 दिसंबर 2016 को सांख्यिकीय गुणवत्ता और प्रचालन अनुसंधान, मुम्बई में "डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट" विषय पर कार्यशाला ।
- 18-22 दिसंबर 2016 को प्रयुक्त सांख्यिकी एकक, चैन्नई "वित्त में सांख्यिकीय पद्धतियां" विषय पर द्वितीय सम्मेलन व कार्यशाला ।
- जनवरी 2017 में आयोजित होने वाला स्टैट-मैथ यूनिट, कोलकाता, बैंगलोर में "भारतीय राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड प्रशिक्षण कैंप (आईएनएमओ)" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- फरवरी 2017 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्टैट-मैथ यूनिट, कोलकाता, गिरीडीह ब्रांच में "ग्रोथ कर्व मॉडल" विषय पर कार्यशाला ।
- जनवरी-मार्च 2017 में सांख्यिकीय गुणवत्ता और प्रचालन अनुसंधान एकक, कोलकाता में "डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्पेरिमेंट्स" विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला ।

प्रकाशन

7.13 प्रो.पी.सी.महालनोबिस के संपादकीय नेतृत्व में 1932 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक सरकारी प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका '*संख्या*' का शुभारंभ हुआ । यह पत्रिका संभाव्यता, गणितीय सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मूल शोध लेखों के प्रति समर्पित है। पत्रिका में नवीनतम शोध कार्यकलापों के क्षेत्र में समीक्षाएं और चर्चा आलेख भी प्रकाशित किए जाते हैं । *'संख्या'* में उपरोक्त विषय पर अनेक विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हुए हैं । '*संख्या*' पूरे विश्व से आलेख प्राप्त करती है और केवल उन आलेखों को प्रकाशित करती है जो कठोर समीक्षा प्रणाली से गुजरे हों । *'संख्या'* के संपादन मंडल में विश्व के तत्संबंधी क्षेत्रों के

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान शामिल हैं । *संख्या में सैद्धान्तिक सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी पर लेख शामिल होते हैं ।* यह पत्रिका दो अलग-अलग श्रृंखलाओं - श्रृंखला 'क' तथा श्रृंखला 'ख' में प्रकाशित की जाती है । श्रृंखला 'क' के दो अंक प्रतिवर्ष, एक फरवरी तथा दूसरा अगस्त में जिसमें संभाव्यता एवं सैद्धांतिक सांख्यिकी तथा श्रृंखला 'ख' के दो अंक प्रतिवर्ष, एक मई तथा दूसरा नवम्बर में जिसमें अनुप्रयुक्त और अंतर-विषयी सांख्यिकी पर आलेख शामिल होते हैं ।

वैज्ञानिक पत्र तथा प्रकाशन

7.14 वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में लगभग चार सौ इक्यासी वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए गए ।

विदेशों में वैज्ञानिक कार्य

7.15 संस्थान के एक सौ तीन वैज्ञानिकों ने आमंत्रण पर अथवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अनेक देशों का दौरा किया । इनमें से अधिकांश वैज्ञानिकों ने इन सेमिनारों और सम्मेलनों में वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रस्तुत किए और व्याख्यान दिए । आईएसआई के फैकल्टी सदस्यों ने अबुधाबी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चिली, कनाडा, चीन, डेनमार्क, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, फिलिपींस, रवांडा, रशिया, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, थाइलैंड, तुर्की, यूएसए, यूके यूनाइटेड अरब अमीरात तथा वियतनाम आदि का दौरा किया ।

अतिथि वैज्ञानिक

7.16 आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, जापान, मलावी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, रोमानिया, स्पेन, सिंगापुर, यूके, यूएसए और भारत के वैज्ञानिकों ने संस्थान का दौरा विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में भाग लेने तथा संस्थान के सहयोगात्मक शोध, अध्यापन तथा अन्य वैज्ञानिक कार्यकलापों में सहभागिता की ।

आईएसआई के वैज्ञानिकों का सम्मान

7.17 संस्थान के शोधकर्ताओं के उच्चस्तरीय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की प्रशंसा और मान्यता में फैकल्टी के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संगठनों जैसे आईएपीआर, टीडब्ल्यूएएस, आईआरएसएस इत्यादि से पुरस्कारों, छात्रवृत्ति के रुप में सम्मान प्राप्त किया । संस्थान के कुछ फैकल्टी सदस्यों ने अमरीका और यूरोप के कई विश्वविद्यालयों, भारतीय समाज-विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर); भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आदि में अतिथि वैज्ञानिक, मानद प्रोफेसर, अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दीं । इसके अलावा फैकल्टी के कई सदस्यों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों/निकायों ने उनकी विभिन्न समितियों/संपादक मण्डल आदि में अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य संपादक, संपादक की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया ।

अध्याय VIII

बीस सूत्री कार्यक्रम

8.1 बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका) वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 1982, 1986 और 2006 में पुन:संरचित किया गया । 2006 में पुन:संरचित कार्यक्रम का ज़ोर समूचे देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है । इस कार्यक्रम में गरीबी, रोज़गार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनरोपण एवं पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा, समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है । इस पुन:संरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006 कहा जाता है और इसका निगरानी तंत्र 1 अप्रैल 2007 से कार्य कर रहा है ।

8.2 बीसूका-2006 ने अब अपने प्रचालन के नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं । बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006 में मूलरूप से 20 सूत्र और 66 मद हैं जिनकी निगरानी विभिन्न संबंधित केंद्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग की जाती है । 66 मदों में से एक अर्थात् "संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (एसजीआरवाई)" को 1 अप्रैल 2008 से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" नामक एक अन्य मद में सम्मिलित कर दिया गया है । 31 दिसंबर, 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम रख दिया गया है । शेष 65 मदों में से 19 मदों की निगरानी इस समय तिमाही आधार पर की जा रही है ।

निगरानी तंत्र

8.3 कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी, उन अभिकरणों की होती है जिन्हें कार्यक्रम के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है, इस संबंध में वे हैं- राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय नोडल मंत्रालय । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा केंद्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त कार्य निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय ने एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है ताकि राज्य सरकारों और केंद्र के नोडल मंत्रालयों से सूचना शीघ्रतापूर्वक एकत्र की जा सके ।

निगरानी समितियां

8.4 बीसूका-2006 के लिए निगरानी तंत्र को वर्तमान केन्द्रीय राज्य तथा जिला स्तरीय निगरानी के अलावा ब्लॉक स्तरीय निगरानी को शामिल करते हुए अब और अधिक विस्तृत किया गया है । बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के तहत सभी योजनाओं/मदों के कार्यान्वयन की

प्रगति की निगरानी के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य, जिला, और ब्लॉक स्तर पर बीसूका-2006 के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगरानी समितियां गठित कर ली गई हैं ।

बीसूका-2006 की प्रबंधन सूचना प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:

8.5 इस मंत्रालय द्वारा 19 मदों के लिए सूचना तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में तैयार की जाती है । तिमाही प्रगति रिपोर्ट रिपोर्टाधीन अवधि के लिए वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों, संचयी लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराती है । यह कवरेज राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा 15 मदों के संबंध में और केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा 4 मदों के संबंध में अपने कार्य निष्पादन के बारे में दिए गए आंकड़ों पर आधारित होता है । निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में तिमाही आधार पर निगरानी की गई मदों/मानकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तुलनात्मक निष्पादन का आकलन करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट में विस्तृत विश्लेषण किया जाता है । चिंताजनक क्षेत्रों में समुचित कार्रवाई करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट विभिन्न प्रयोक्ताओं तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों एवं संबंधित नोडल मंत्रालयों को भेजी जाती है ।

8.6 बीसूका-2006 संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई सभी मदों (उन मदों को छोड़कर जो अभी तक प्रचालन में नहीं हैं) से संबंधित सूचना शामिल हैं । इन मदों के संबंध में जानकारी केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है । वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा चुकी है तथा वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 की निगरानी एवं प्रभाव मूल्यांकन

8.7 मंत्रालय के लिए बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य है । मंत्रालय ने अभी तक दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आरंभ किए हैं । पहला पूर्वोत्तर राज्यों के 3 चुनिंदा ज़िलों में मनरेगा के प्रभाव से संबंधित है तथा दूसरा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में दीनदयाल विकलांगता पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है । संबंधित नोडल मंत्रालयों को इन अध्ययनों के निष्कर्षों से अवगत कराया गया है । मंत्रालय ने केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के मूल्यांकन रिपोर्टों की समालोचनात्मक जांच करने का कार्य भी शुरू किया है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

8.8 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने निगरानी तंत्र के भाग के रूप में तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों एवं केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के साथ परामर्श के लिए भी, वार्षिक आधार पर

टीपीपी-2006 की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित करता रहा है ताकि बीसूका के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा शामिल की गई योजनाओं/कार्यक्रमों, विशेषकर उन योजनाओं/कार्यक्रमों जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहे हैं, के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके । अभी तक इस मंत्रालय द्वारा चार वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं । दिनांक 18 मार्च 2014 को आयोजित अंतिम बैठक में पूर्व की समीक्षा बैठकों पर की गई कार्रवाई/अनुपालन की स्थिति पर विचार किया गया । तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा बीसूका संबंधी राष्ट्रीय समीक्षा बैठक को आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है ।

वर्ष 2015-16 और अप्रैल-जून, 2016 के दौरान बीसूका-2006 के अंतर्गत तिमाही आधार पर निगरानी की गई मदों का निष्पादन

8.9 केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2015-16 और अप्रैल-जून 2016 की अवधि के लिए तिमाही आधार पर निगरानी की जाने वाली मदों के समग्र निष्पादन का विश्लेषण निम्नलिखित पैराओं तथा **अनुबंध-V और VI** में दिया गया है । वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान, 19 मदों की तिमाही आधार पर निगरानी की गई, जिनमें से संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 21 पैरामीटरों वाली 13 मदों की निगरानी की गई ।

8.10 **अनुबंध-V** में दर्शाया गया वर्ष 2015-16 का विश्लेषण सूचित करता है कि बीसूका-2006 की सोलह पैरामीटरों के अंतर्गत निष्पादन "बहुत अच्छा" (90% अथवा लक्ष्य से अधिक) रहा । ये मद/पैरामीटर हैं:

- अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के अंतर्गत-सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
- विद्युतीकृत गांव-दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)
- पंप सेटों को बिजली
- रोपित पौध (सार्वजनिक और वन भूमि)
- वित्त वर्ष के दौरान रिवाल्विंग निधि (आरएफ) उपलब्ध कराए गए स्वसहायता प्राप्त समूहों की संख्या- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- पौध रोपण के तहत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक और वन भूमि)
- आंशिक रूप से शामिल बसावटें - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)
- निर्मित सड़कें- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
- निर्मित आवास-इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)
- समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) क्रियाशील ब्लॉक (संचयी)

- विद्युत आपूर्ति
- क्रियाशील आंगनबाड़ियां (संचयी)
- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एपीएल+बीपीएल+एएवाई)
- खाद्य सुरक्षा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य)-एनएफएसए

8.11 एक पैरामीटर के अंतर्गत कार्य निष्पादन 'अच्छा' (लक्ष्य का 80% से अधिक लेकिन 90% से कम) रहा ।

- खाद्य सुरक्षा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइड ओवर)-एनएफएसए

8.12 चार मदों/पैरामीटरों अर्थात् (i) जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का कवरेज-एनआरडीडब्ल्यूपी (ii) वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिए गए स्वसहायता समूहों (नए तथा पुन: क्रियाशील) की संख्या- एनआरएलएम (iii) निर्मित आवास- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी (iv) सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या-एनआरएलएम का कार्य निष्पादन 'खराब' (लक्ष्य के 80% से कम) पाया गया ।

8.13 वर्ष अप्रैल-जून, 2016 की अवधि का विश्लेषण सूचित करता है कि बीसूका 2006 के निम्नलिखित आठ पैरामीटरों के अंतर्गत निष्पादन **"बहुत अच्छा"** (90% अथवा लक्ष्य से अधिक) रहा है । ये मद/पैरामीटर हैं:

- पंपसेटों को बिजली
- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल एएवाई)
- खाद्य सुरक्षा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाईड ओवर)- एनएफएसए
- बिजली आपूर्ति
- क्रियाशील आईसीडीएस ब्लॉक (संचयी)
- क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)
- खाद्य सुरक्षा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य) एनएफएसए
- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एपीएल+बीपीएल+एएवाई)

8.14 श्रेणी **'अच्छा'** (लक्ष्य का 80% से अधिक लेकिन 90% से कम) के अंतर्गत एक मद है ।

- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बीपीएल)

8.15 बारह मदों के अंतर्गत निष्पादन **'खराब'** (लक्ष्य के 80% से कम) रहा ।

- वित्त वर्ष के दौरान बढ़ावा दिए गए (नए तथा पुनः क्रियाशील) स्वसहायता समूहों की संख्या-एनआरएलएम
- विद्युतीकृत गांव- डीडीयूजीजेवाई

- एससीएसपी व एनएसएफडीसी को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
- निर्मित सड़क - पीएमजीएसवाई
- रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
- वित्त वर्ष के दौरान सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराए गए स्वसहायता समूहों की संख्या-एनआरएलएम
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के अंर्गत निर्मित आवास
- रोपण के तहत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
- वित्त वर्ष के दौरान रिवॉल्विंग निधि (आरएफ)उपलब्ध कराए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या-एनआरएलएम
- ग्रामीण आवास-प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाईजी)
- आंशिक रूप से शामिल की गई बस्तियां - एनआरडीडब्ल्यूपी
- जल गुणवत्ता समस्याओं वाली बसावटों का कवरेज- एनआरडीडब्ल्यूपी

तिमाही रूप से निगरानी किए गए मदों/पैरामीटरों के तहत विशिष्ट उपलब्धियां

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

8.16 देश में गरीबी हटाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका लाभप्रद रोज़गार प्रदान करना है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रोज़गार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी की गारंटी के साथ कम-से-कम एक सौ दिनों का रोज़गार प्रदान करके देश के ग्रामीण इलाकों में परिवारों की जीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), जिसका पुनर्नामकरण अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) किया गया है, अस्तित्व में आई है । योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 के दौरान, 32.24 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए जिससे 196 करोड़ रोज़गार श्रम दिवस सृजित किए गए एवं 26445 करोड़ रूपए मजदूरी के रूप में दिए गए । मौजूदा वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016) की अवधि के दौरान 10.67 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे 90.85 करोड़ रोज़गार श्रम दिवस सृजित किए गए एवं लगभग ₹ 16560 करोड़ मजदूरी के रूप में दिए गए ।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम)

8.17 वर्ष 2015-16 से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की जगह एनआरएलएम ने ले ली है । एनआरएलएम को तीन पैरामीटरों (i) बढ़ावा दिए गए स्वसहायता समूहों (नए तथा पुन: क्रियाशील) की संख्या (ii) रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराए गए स्वसहायता समूहों की संख्या और (iii) सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराए गए स्वसहायता समूहों की

संख्या, के अंतर्गत मॉनीटर किया जाता है । वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान 3.03 लाख के लक्ष्य की तुलना में 2.27 लाख स्वसहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया जो लक्ष्य का 75% है और 1.58 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1.88 लाख स्वसहायता समूहों को रिवॉल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई जो लक्ष्य का 119% है । 1.89 लाख स्वसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य की तुलना में 1.01 लाख स्वसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई जो लक्ष्य का 54% है ।

8.18 इसी प्रकार, अप्रैल-जून 2016 के दौरान, 1.08 लाख के लक्ष्य की तुलना में 84509 स्वसहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया जो लक्ष्य का 79% है और 59762 लाख स्वसहायता समूहों के लक्ष्य की तुलना में 22376 लाख स्वसहायता समूहों को रिवॉल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई थी जो लक्ष्य का 37% है । सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराए जाने हेतु 31455 स्वसहायता समूहों के लक्ष्य की तुलना में 18243 स्वसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई जो लक्ष्य का 58% है ।

भूमिहीनों को परती भूमि का वितरण

8.19 वास्तविक कृषकों एवं भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के एक उपाय के रूप में कृषि संबंधी सुधारों का किया जाना ग्रामीण पुनर्निर्माण का मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण भूमिहीन गरीब लोगों को भूमि की उपलब्धता में वृद्धि करना गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण धटक है । भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधों को पुन: कायम करना है ताकि समतावादी सामाजिक संरचना को प्राप्त किया जा सके, भूमि से संबंधित शोषण को खत्म किया जा सके एवं कृषकों को भूमि देने के चिरकालीन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ग्रामीण गरीबों का भूमि आधार बढ़ाया जा सके, कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और स्थानीय संस्थाओ में समता की भावना लाई जा सके । वर्ष 2015-16 के दौरान, 3868 हेक्टेयर बंजर भूमि विकसित करके भूमिहीनों को वितरित की गई । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 के लिए) के दौरान 841 हेक्टेयर बंजर भूमि पहले ही विकसित करके भूमिहीनों को वितरित की गई है ।

न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिक सहित)

8.20 भारत जैसी अतिरिक्त श्रमिक वाली अर्थव्यवस्था में, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं प्रवर्तन से श्रमिकों को विशेषकर असंगठित ग्रामीण श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सकता है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों को उनके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित रोज़गार में मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण की समीक्षा, संशोधन एवं लागू करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना अथवा कारावास की कार्रवाई या दोनों ही किए जा सकते हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा 190063 निरीक्षण किए

गए और 23357 अनियमितताएं पाई गईं । वर्ष 2015-16 के दौरान लंबित, दायर एवं निर्णीत अभियोजन के मामले क्रमश: 19369, 1624 और 707 थे । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून 2016) के दौरान, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा 28,459 निरीक्षण किए गए जिनमें 1320 अनियमितताएं पाई गईं तथा 929 अनियमितताओं में सुधार किया गया । वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात अप्रैल-जून, 2016) के दौरान लंबित, दायर एवं निर्णीत अभियोजन के मामलों की संख्या क्रमशः 4677, 705 तथा 303 थी ।

खाद्य सुरक्षा

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

8.21 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार सब्सिडी प्राप्त दरों पर अनिवार्य वस्तुओं को विशेष मात्रा में पाने का हकदार है । इसमें समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक रूप से गरीब और दुर्बल वर्ग जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमांत कृषकों, शिल्पकारों/दस्तकारों (कुम्हार, टैपर्स, बुनकर, लोहार, बढ़ई इत्यादि) एवं शहरी क्षेत्रों के अनौपचारिक क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों एवं दैनिक मजदूरों (कुली, रिक्शा चालक एवं हाथ गाड़ी चलाने वाले, फुटपाथों पर फल एवं फूल बेचने वाले, इत्यादि) को शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्यों को 523.40 लाख टन खाद्यान्न आबंटित करने का लक्ष्य था । तथापि, इस आबंटन की तुलना में राज्यों ने कुल 495.94 लाख टन खाद्यान्न उठाया जो आबंटन का 95% था । इसी प्रकार अप्रैल-जून, 2016 के दौरान 133.75 लाख टन के आवंटन की तुलना में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीपीडीएस के अंतर्गत वास्तव में 123.51 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया जो आबंटित मात्रा का 92% है ।

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

8.22 इस योजना का लक्ष्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या (बीपीएल) के निर्धनतम वर्गों के लिए मात्रा एवं पोषण दोनों तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को और अधिक बढ़ाना है। अंत्योदय लाभार्थी परिवारों को अभिज्ञात करने एवं योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अंत्योदय अन्न योजना कार्यान्वित कर ली है । अंत्योदय अन्न योजना द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल 6.52 करोड़ बीपीएल परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को अभिज्ञात करने की अपेक्षा की जाती है। इन अभिज्ञात किए गए परिवारों को खाद्यान्न बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली दरों से कम दरों पर प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 46.15 लाख टन की आबंटित मात्रा की तुलना में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 47.72 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया था जो आबंटित मात्रा का 103% है । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान 2.63 लाख टन की आबंटित मात्रा की तुलना में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 2.76 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया है जो आबंटित मात्रा का 105% है ।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

8.23 यह पैरामीटर अप्रैल, 2009 से मासिक रूप से निगरानी किए गए पैरामीटरों में शामिल किया गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न के 83.13 लाख टन के लक्षित आबंटन की तुलना में वास्तव में 87.59 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया गया जो लक्ष्य का 105% था । अप्रैल-जून, 2016 की अवधि के दौरान बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न के 4.23 लाख टन के आबंटन के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 3.69 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया गया है जो लक्ष्य का 87% है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य)- एनएफएसए

8.24 इस पैरामीटर को तिमाही आधार पर मॉनीटर किए गए पैरामीटरों में 2014-15 से शामिल किया गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान 283.54 लाख टन खाद्यान्न आवंटन के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 254.63 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया गया जो लक्ष्य का 90% था । अप्रैल-जून, 2016 अवधि के दौरान बीपीएल परिवारों के लिए 118.22 लाख टन खाद्यान्न के आवंटन के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 109.33 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया गया जो लक्ष्य का 92% है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइड ओवर)- एनएफएसए

8.25 इस पैरामीटर को भी तिमाही आधार पर मॉनीटर किए गए पैरामीटरों में 2014-15 से शामिल किया गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान 5.91 लाख टन खाद्यान्न आवंटन के लक्ष्य की तुलना में वस्तुत: 5.09 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया है जो लक्ष्य का 86% था । अप्रैल-जून, 2016 अवधि के दौरान बीपीएल परिवारों के लिए 2.84 लाख टन खाद्यान्न के आबंटन लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 2.81 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया गया जो लक्ष्य का 99% है ।

ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना

8.26 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) एक अग्रणी योजना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों को आवास मुहैया कराने का प्रावधान है । इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों, अल्पसंख्यकों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा से नीचे के अन्य गैर अ.जा./अ.ज.जा. ग्रामीण परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए आवासों के निर्माण/उन्नयन में सहायता प्रदान करना है । योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए बिना घर वाले बीपीएल परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में ₹ 70,000/- तथा

पहड़ी/दुर्गम क्षेत्रों/एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में ₹ 75,000/- की सहायता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना होने के कारण, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत शेयरिंग के आधार पर वित्त पोषित की जाती है । तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के मामले में भारत सरकार तथा इन राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है तथा संघ राज्यक्षेत्रों में, इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण निधि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को नवीकृत करके प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का रूप दे दिया गया है । आईएवाई स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 के दौरान 20,79,146 आवासों के लक्ष्य की तुलना में 20,80,530 लाख आवासों का निर्माण कराया गया जो लक्ष्य का 100% है । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान 815251 आवासों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 283963 आवासों का निर्माण कराया गया है जो लक्ष्य का 35% है ।

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास

8.27 आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए मंत्रा.), भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग वाले लोगों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में ब्याज सब्सिडी योजना तैयार की है । इस योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने अथवा निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है । इस योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को घर के अधिग्रहण के लिए, तथा ऐसे लाभग्राहियों को घर के निर्माण के लिए भी, केन्द्र सरकार की सब्सिडी के साथ गृह ऋण दिया जाएगा जिनके पास अपने नाम पर अथवा अपनी पत्नी/अपने पति अथवा आश्रित बच्चे के नाम पर घर नहीं है । इस योजना के अंतर्गत ऐसे लाभग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास किसी शहरी क्षेत्र में भूमि है किंतु अपने नाम पर अथवा अपने पति/अपनी पत्नी अथवा किसी आश्रित बच्चे के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है ।

8.28 वर्ष 2015-16 के दौरान, 149999 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घरों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 1,09518 घरों का निर्माण किया गया तथा उपलब्धि 73% थी । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान, 59512 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घरों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में, 26012 घरों का निर्माण किया गया है जो लक्ष्य का 44% है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-ग्रामीण क्षेत्र

8.29 एक पृथक मंत्रालय अर्थात् ''पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय'' जुलाई, 2011 में सृजित किया गया है । त्वरित ग्रामीण पेय जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) योजना को भी बदलकर ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' (एनआरडीडब्ल्यूपी) कर दिया गया है तथा टीपीपी-2006 के तहत मॉनीटरिंग पैरामीटरों को भी बदल कर अप्रैल, 2011 से ''शामिल बसावटें

(आंशिक रूप से शामिल)'' तथा ''जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज'' कर दिया गया है । वर्ष 2015-2016 के दौरान, 47080 बसावटों (आंशिक रूप से शामिल) को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में, इस कार्यक्रम के तहत 54979 बसावटों को शामिल किया गया है । यह लक्ष्य का 117% है । साथ ही, इस अवधि के दौरान जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली 10117 बसावटों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में, 7621 बसावटों को शामिल किया गया जो लक्ष्य का केवल 75% है । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान, 11008 बसावटों (पीसी) को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में, इस कार्यक्रम के तहत 1813 बसावटों को शामिल किया गया है । यह लक्ष्य का 16% है । साथ ही, इस अवधि के दौरान जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली 3203 बसावटों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में 300 बसावटों को शामिल किया गया, जो लक्ष्य का केवल 9% है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम

8.30 ग्रामीण स्वच्छता राज्य सरकार का विषय है। राज्यों के प्रयासों को केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है। यह कार्यक्रम वर्ष 1986 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की जीवनशैली में सुधार लाना एवं महिलाओं को प्राइवेसी एवं मान मर्यादा प्रदान करना था । कार्यक्रम के घटकों में शामिल हैं: गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए वैयक्तिक तौर पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों के रूप में बदलना, महिलाओं के लिए गांव में स्वच्छता परिसरों का निर्माण, सेनिटरी मार्ट्स एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना, जागरूकता पैदा करने एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए गहन अभियान, इत्यादि । एक प्रमुख घटक के रूप में स्कूलों में स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति अधिकाधिक जागरूकता आए । वर्ष 2015-16 के दौरान 12,74,1367 परिवारों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) की अवधि के दौरान 2331496 घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया ।

संस्थागत प्रसव

8.31 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत "जननी सुरक्षा योजना" शुरू की गई । यह योजना गरीब महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है । गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभार्थियों और गांव से जुड़े कार्यकर्ताओं/आशा कार्यकर्ताओं को भी, प्रसव हेतु संस्थान में आने के लिए नकद लाभ एवं परिवहन की लागत इत्यादि दी जाती है । लाभ को श्रेणियों में बांटा गया है और यह उच्च निष्पादन वाले राज्यों एवं निम्न निष्पादन वाले राज्यों में तथा साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भी भिन्न-भिन्न होते हैं । यह योजना 100 प्रतिशत

केन्द्र द्वारा प्रायोजित है । यह आरसीएच फ्लैक्सी पूल के माध्यम से वित्तपोषित होती है । इस योजना के अंतर्गत मॉनीटरिंग पैरामीटर विशिष्ट संस्थानों में हुए प्रसवों की संख्या है । वर्ष 2015-16 के दौरान, देश भर में 16116851 हजार प्रसव संस्थानों में हुए । अप्रैल-जून, 2016 की अवधि के दौरान, संस्थानों में 3020499 हजार प्रसव हुए ।

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

8.32 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति (अ.जा.) की आबादी देश की कुल आबादी की 16.6% है । उनके उत्थान के लिए बनाई गई कार्यनीति में शामिल हैं: (i) राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजना, (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता, तथा (iii) राज्यों में अनुसूचित जाति निगमों के माध्यम से सहायता ।

8.33 वर्ष 2014-15 से 'सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार' मद को दो पैरामीटरों के अंतर्गत मॉनीटर किया जाता है, जिनके नाम हैं (i) एससीएसपी को एससीए तथा एनएसएफडीसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र को सहायता की गई । वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान एससीएसपी को एससीए तथा एनएसएफडीसी के तहत 177699 के लक्ष्य की तुलना में 388006 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई, जो लक्ष्य का 218% है तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 4914716 हजार अनुसूचित जाति छात्रों को सहायता प्रदान की गई । अप्रैल-जून 2016 की अवधि के दौरान, एससीएसपी को एससीए तथा एनएसएफडीसी के अंतर्गत 39196 के लक्ष्य की तुलना में 25905 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई जो लक्ष्य का 72% है तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 789317 हजार अनुसूचित जाति छात्रों को सहायता प्रदान की गई ।

आईसीडीएस योजना का सार्वभौमीकरण

8.34 समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) की संकल्पना माता एवं शिशु को महत्व देते हुए उनके संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत व्यावहारिक माध्यम के रूप में की गई थी। महिलाओं एवं बच्चों के अभीष्ट विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति-1974 एवं बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा निर्देशित किया जा रहा है एवं आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्षित जनसंख्या में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे एवं नवयुवतियां शामिल हैं । इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख इंटरवेंशन पैकेज हैं- पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य की जांच, रेफरल सेवाएं एवं पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा । इसके अतिरिक्त, योजना द्वारा इंटर-सेक्टोरल सेवाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रभावपूर्ण ढंग से मिलाने की भी संकल्पना की गई है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत लाभार्थी निर्धनतम परिवारों के होते हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान, 7075 आईसीडीएस ब्लॉकों (संचयी) को शुरू करने के लक्ष्य की तुलना

में 7029 ब्लॉक (संचयी) शुरू किए गए जो लक्ष्य का 99% प्रतिशत है । चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान 7075 आईसीडीएस ब्लॉकों (संचयी) को शुरु करने के लक्ष्य की तुलना में 6947 ब्लॉक (संचयी) शुरू किए गए हैं जो लक्ष्य का 98% है ।

क्रियाशील आंगनवाड़ियां

8.35 समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अंतर्गत, आंगनवाड़ी ऐसी प्राथमिक इकाई है जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्तुत मानकों तथा बच्चों एवं महिलाओं के औसत आहार के बीच कैलोरी के अंतराल को पूरा करने के लिए पूरक पोषाहार जैसी सेवाएं प्रदान करती है । गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों की देखभाल के प्रति व्यवहार में अधिक सुधार लाने के लिए, आंगनवाड़ियां गर्भवती महिलाओं एवं 4 से 6 महीने की आयु के शिशुओं की माताओं के साथ संपर्क के अवसर भी प्रदान करती हैं । पूरे देश में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं में सहायता करते हैं । वर्ष 2015-16 का लक्ष्य 14 लाख आंगनवाड़ियों (संचयी) को क्रियाशील बनाना था और इसकी तुलना में 1347 लाख आंगनवाड़ियों (संचयी) को क्रियाशील बनाया गया जो लक्ष्य का 96 प्रतिशत है । अप्रैल-जून, 2016 का लक्ष्य 14 लाख आंगनवाड़ियों (संचयी) को क्रियाशील बनाना था जिसकी तुलना में उपलब्धि 1332 लाख रही, जो लक्ष्य का 95% है ।

सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहनीय लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार

8.36 शहरी मलिन बस्तियां, विशेषकर हमारे देश के बड़े शहरों में, मानवीय दुर्गति और पतन की तस्वीर पेश करती हैं । शहरीकरण आधुनिकीकरण एवं आर्थिक विकास की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है । शहरी क्षेत्र के विकास में संरचनात्मक असमानताओं के परिणामस्वरूप मलिन बस्तियां बढ़ती हैं । भूमि एवं आवास के उच्च मूल्य एवं कम क्रय शक्ति के कारण, शहरी निर्धन लोगों को सस्ते आश्रय के लिए मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है अथवा शहर में, जहां भी खाली जमीन/क्षेत्र मिलती है, कब्ज़ा जमाना पड़ता है । मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने के विचार से, शहरी निर्धन परिवारों को सात सूत्री चार्टर अर्थात् (i) भूमि पट्टा (ii) वहनीय लागत पर मकान (iii) जल (iv) साफ-सफाई (v) स्वास्थ्य (vi) शिक्षा एवं (vii) सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है । अप्रैल 2015 से यह लक्ष्य निर्धारण योग्य नहीं रह गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान 25.77 लाख निर्धन परिवारों को सहायता प्रदान की गई । चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान, अभी तक 4.21 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई है ।

वनरोपण:

(i) रोपण के तहत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
(ii) रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

8.37 यह कार्यक्रम देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख मदों को मासिक आधार पर मॉनीटर किया जा रहा है अर्थात् (i) वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि के संबंध में रोपण के तहत शामिल क्षेत्र, तथा (ii) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौध । वर्ष 2015-16 के दौरान 11.66 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक एवं वन भूमि को रोपण के तहत शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में 1.381 लाख हेक्टेयर भूमि पर रोपण किया गया जो 118% की उपलब्धि को दर्शाता है । इसी प्रकार, वर्ष के दौरान सार्वजनिक एवं वन भूमि पर 7583.22 लाख पौध लगाने का लक्ष्य था जबकि इसकी तुलना में उपलब्धि 9738.43 लाख पौध रोपण रही है जो लक्ष्य का 128% है । चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान 2.72 लाख हजार हेक्टेयर सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपण करने के लक्ष्य की तुलना में 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि पर रोपण किया गया है जो 42% की उपलब्धि को दर्शाता है । इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान पौधरोपण के अंतर्गत सार्वजनिक एवं वन भूमि पर 1770 लाख पौध लगाने का लक्ष्य था । उपलब्धि 1141 लाख पौध के रोपण की रही है जो लक्ष्य का 65% है ।

ग्रामीण सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

8.38 भारत के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद में दिए अपने अभिभाषण में ग्रामीण भारत के पुननिर्माण हेतु भारत निर्माण नामक प्रमुख योजना की घोषणा की थी । सरकार ने भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में ग्रामीण सड़कों की पहचान की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) द्वारा 1000 की जनसंख्या वाले (पर्वतीय अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 500) सभी गांवों को 2009 तक में सभी तरह के मौसमों के अनुकूल सड़कों का निर्माण करके जोड़ने का उद्देश्य निर्धारित किया है । ग्रामीण सड़कों के विकास एवं विस्तार को उच्चतम प्राथमिकता देने की दृष्टि से ग्रामीण सड़क (ग्रामीण सड़कों) को शामिल किया गया है क्योंकि सम्पर्क के माध्यम से ही विकास के परिणामों के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं । वर्ष 2015-16 का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 26000 कि.मी. सड़कें बनाने का था जबकि उपलब्धि 30187 कि.मी. सड़क निर्माण की रही जो लक्ष्य का 116% है । चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) में ग्रामीण क्षेत्रों में 12203 कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य था जबकि उपलब्धि 8755 कि.मी. सड़क निर्माण की है जो लक्ष्य का 72% है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

8.39 ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण संबंधी यह योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई है ताकि चार वर्षों की अवधि में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत सुलभ कराने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युत निगम (आरईसी) है । वर्ष 2015-16 के लिए 3501 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 7108 गांवों में विद्युतीकरण किया गया जो लक्ष्य का 203% है । चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2015 की अवधि) के लिए 2092 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 1504 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जो लक्ष्य का 72% है ।

पम्पसेटों को बिजली प्रदान करना

8.40 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की केवल घरेलू एवं कृषि के प्रयोजनों के लिए ही नहीं बल्कि सिंचाई के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है । कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए पम्पसेटों को बिजली प्रदान की जाती है । वर्ष 2015-16 के दौरान 349954 पम्पसेटों को बिजली प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में 687248 पम्पसेटों को बिजली प्रदान की गई जो लक्ष्य का 196% है । चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान 1072262 पम्पसेटों को बिजली प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में 121750 पम्पसेटों को बिजली प्रदान की गई जो लक्ष्य का 114% है ।

विद्युत की आपूर्ति

8.41 सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास करना, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना तथा उपभोक्ताओं एवं अन्य पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है । इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं- बिजली की आपूर्ति एवं उपलब्धता । वर्ष 2015-16 के दौरान 1096258 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली की मांग की तुलना में 1072848 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा सकी जो मांग का 98% है । चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जून, 2016 की अवधि) के दौरान 290603 मिलियन यूनिट (एमयू) की मांग की तुलना में 288069 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा सकी जो बिजली की मांग का 99% है ।

अध्याय-IX

आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी

9.1 आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा उनके केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 16 आधारी संचरना क्षेत्रों में ₹ 150 करोड़ रु. तथा अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी करता है । विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है । नियमित निगरानी के न्यायसंगत तालमेल वाला कारगर समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे अधिक तीव्रता और कमतर लागत के साथ परियोजनाओं को अधिक दक्षता से सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित होता है ।

परियोजना निगरानी के उद्देश्य

- परियोजना कार्यान्वयन की कारगरता को बढ़ाना;
- प्रभावी-निर्णय लेने के लिए सूचना प्राप्त करने को सुसाध्य बनाना;
- कार्यान्वयन संबंधी बकाया मुद्दों का समाधान करना;
- प्रणाली में सुधार लाना; और
- बेहतर प्रबंधन पद्धतियों का विकास करना

निगरानी की प्रणाली:

9.2 आईपीएमडी **ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली** (**ओसीएमएस**) के तंत्र के माध्यम से ₹ 150 करोड़ से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है ।

- ओसीएमएस फ्रट इंड डी2के के साथ ऑरेकल आधारित एक सरकार से दूसरे सरकार (जी2जी) तक का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है;
- यह परियोजना संबंधी रिपोर्टों तथा पूछताछ परिणामों को देखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग तथा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को संपर्क सुविधा उपलब्ध कराता है;
- यह विभिन्न परियोजना निष्पादन एजेंसियों को आवधिक आधार पर वेब-आधारित इंटरफेस के माध्यम से परियोजना के प्रगति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने तथा उन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है;

- आंकड़ा प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को तीन-स्तरीय सत्यापन तथा अनुमति से गुजरना होता है;
- ओसीएमएस में काफी सारे लक्ष्य सृजित किए जा सकते हैं तथा उनका रख-रखाव किया जा सकता है;
- परियोजना एजेंसियां कुछ पूर्व-ढांचागत कारणों से विलंबों के कारणों का पता लगा सकती हैं अथवा/इसके अलावा परियोजना एजेंसियां विलंब के नए कारणों अथवा अपने अनुभव को भेज सकती हैं;
- तब किसी अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है तथा उनके द्वारा सभी चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रकाशित किया जाता है;
- किसी भी प्रकार के फाइल (चित्र, मैप, एक्सल शीटों, पीडीएफ, पीईआरटी/सीपीएम चार्ट आदि) को ओसीएमएस पर अपलोड किया जा सकता है;
- इसके तहत समझौता ज्ञापन लक्ष्यों/मानदंडों की निगरानी भी की जाती है;
- यह प्रशासनिक मंत्रालय तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में संचार माध्यम भी उपलब्ध कराता है;
- ज्यादातर मंत्रालयों जैसे विद्युत, कोयला, दूरसंचार और पेट्रोलियम आदि ने ओसीएमएस को अपनाया है;
- वास्तविक निष्पादन को लक्ष्यों के संदर्भ में आंका जाता है; और
- निरंतर आग्रह से सूचना देने में सुधार हुआ है तथा अब अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऑनलाइन सूचना दे रहे हैं । तथापि, लक्ष्यों से संबंधित आंकड़े तथा समय व लागतवृद्धि के कारण अभी भी पूर्ण विस्तार के साथ सूचित नहीं किए जा रहे हैं ।

9.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आईपीएमडी ओसीएमएस में सुधार करता रहा है और ओसीएमएस प्रशिक्षण तथा विचार-विमर्शों के दौरान स्पष्टीकरणों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है । अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऑनलाइन सूचना अग्रेसित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

9.4 परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक

आईपीएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान समय-समय पर परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए क्रमबद्ध सुधार लाना रहा है ।

आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा बैठकों में समय-सारणी से पीछे चल रही अथवा लागतवृद्धि का सामना कर रही परियोजनाओं को रेखांकित/प्रदर्शित करने में सहायक/कार्यसाधक

रहा है । यह प्रत्येक परियोजना की बाधाओं को पहचानने में प्रशासनिक मंत्रालयों को सक्षम बनाता है तथा इन बाधाओं को हटाने के लिए उपचारात्मक उपाय भी करता है ।

9.5 वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 1 अक्तूबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार, ₹ 16,16,457.43 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1174 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं । निगरानी के प्रयोजनार्थ, परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (i) मेगा परियोजनाएं जिनमें प्रत्येक की लागत ₹ 1000 करोड़ और उससे अधिक है तथा (ii) ₹ 150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली किन्तु ₹ 1000 करोड़ से कम लागत वाली बड़ी परियोजनाएं । केन्द्रीय क्षेत्र की चल रही 1174 परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे पाई-चार्ट में दिया गया है:

चल रही अवसंरचना परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा

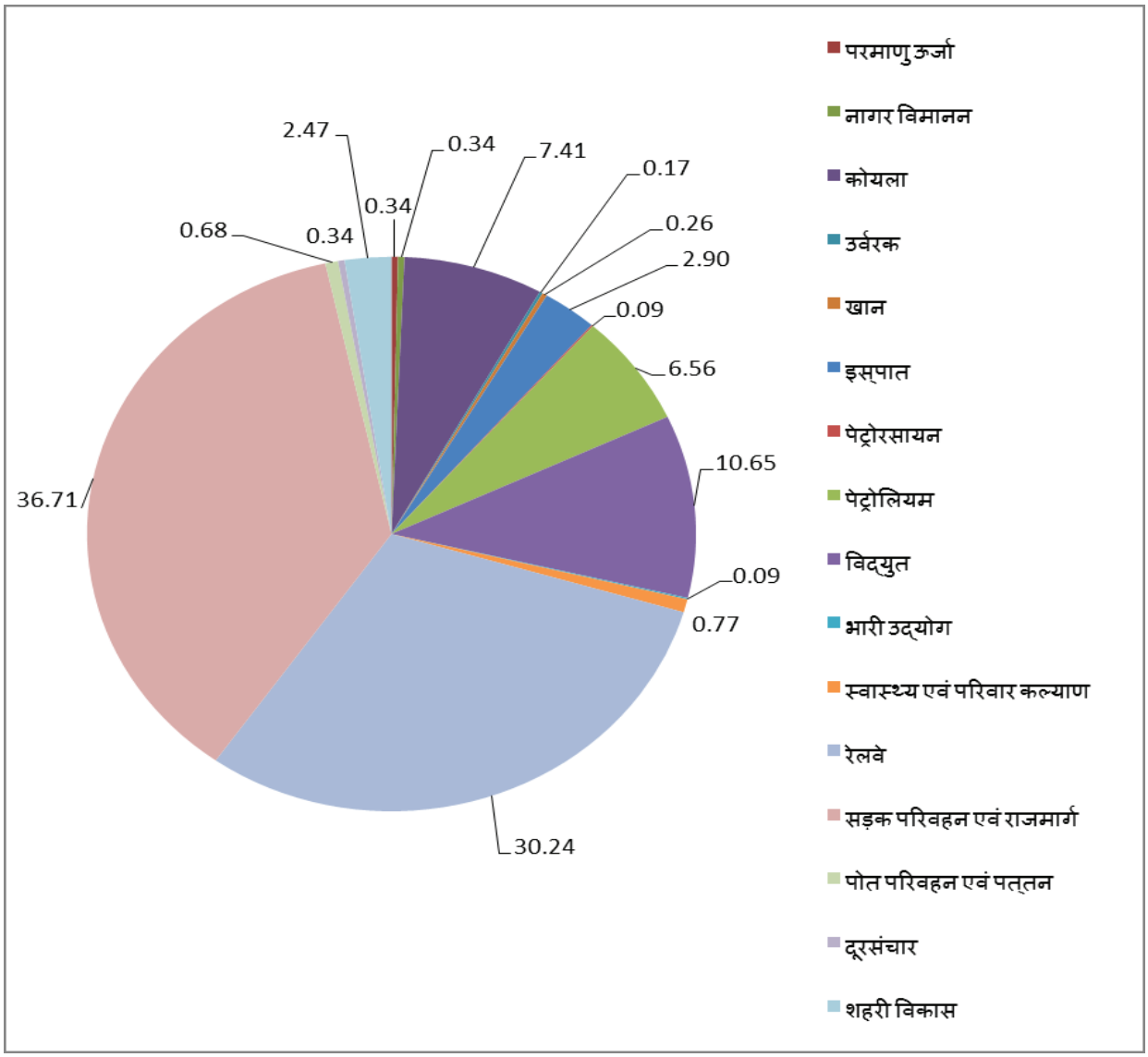

दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका 9.1 में दिया गया है ।

दिनांक 1 अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की आवृत्ति का वितरण

तालिका- 9.1

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मेगा परि-योजनाओं की संख्या	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	बड़ी परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमाननित लागत (₹ करोड़ में)
1.	परमाणु ऊर्जा	4	40442.00	51918.00	0	0.00	0.00
2.	नागर विमानन	0	0.00	0.00	4	1177.28	1157.07
3.	कोयला	13	40241.24	41257.29	74	28146.94	28807.84
4.	उर्वरक	0	0.00	0.00	2	680.64	692.29
5.	खान	1	1856.00	1176.00	2	699.63	699.63
6.	इस्पात	9	48164.22	48108.31	25	9436.29	9663.51
7.	पेट्रोरसायन	1	5460.61	9965.00	0	0.00	0.00
8.	पेट्रोलियम	30	115498.41	117056.03	47	19447.30	19463.45
9.	विद्युत	65	313383.48	362583.36	60	25777.37	26373.46
10.	भारी उद्योग	1	1718.00	3827.30	0	0.00	0.00
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0.00	0.00	9	2563.15	2563.15
12.	रेलवे	120	265845.99	325803.80	235	91010.43	117947.94
13.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	81	120875.75	122633.62	350	159952.39	160878.21
14.	पोत परिवहन एवं पत्तन	1	2427.40	2427.40	7	1690.35	2657.62
15.	दूरसंचार	2	15445.17	15345.17	2	328.51	328.51
16.	शहरी विकास	9	128466.14	137510.15	20	5518.35	5613.32
कुल		**337**	**1099824.41**	**1239611.43**	**837**	**346428.63**	**376846.00**

- दिनांक 1 अक्तूबर 2016 की स्थिति के अनुसार, ₹ 16,16,457.43 करोड़ की अनुमानित पूर्णता लागत के साथ 1174 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं । निगरानी के उद्देश्य के लिए, इन परियोजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क्र.सं.	श्रेणी	परियोजनाओं की सं.	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1	मेगा (₹ 1000 करोड़ तथा अधिक लागत वाली)	337	12,39,611.43
2	मुख्य (₹ 150 करोड़ से लेकर ₹ 1000 करोड़ से कम लागत वाली)	837	3,76,846.00
	कुल	1174	16,16,457.43

परियोजनाओं की क्षेत्रीय तथा भू-भौतिकीय आधार पर निगरानी की जाती हैं । निगरानी की गई परियोजनाओं की मुख्य वित्तीय मानदंडों को तालिका 9.2 में दर्शाया गया है:

राज्यों के बीच केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश परिदृश्य

(सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में) **तालिका- 9.2**

₹ 150 करोड़ और अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति					
(सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में)					
क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजनाओं की सं.**	**मूल लागत**	**अनुमानित लागत**	**संचयी व्यय**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	314.61	314.61	26.34
2	आंध्र प्रदेश	51	58,275.70	61,976.06	10,821.54
3	अरुणाचल प्रदेश	20	13,401.94	29,458.24	15,209.63
4	असम	50	36,684.28	54,692.77	40,251.09
5	बिहार	74	66,428.80	79,497.01	41,186.29
6	छत्तीसगढ़	41	96,809.69	99,835.63	54,740.28
7	दादर और नगर हवेली	1	6,086.08	6,086.08	1,425.14
8	दिल्ली	17	50,768.66	51,802.66	29,101.03
9	गोवा	8	3,925.48	3,907.87	632.67
10	गुजरात	42	37,191.04	39,247.49	26,336.79

11	हरियाणा	19	13,065.37	15,035.99	8,240
12	हिमाचल प्रदेश	10	11,933.06	18,332.33	7,624.86
13	जम्मू और कश्मीर	10	27,408.66	46,614.79	15,403.58
14	झारखंड	46	49,123.94	52,403.95	15,676.20
15	कर्नाटक	44	75,580.96	93,829.40	24,384.85
16	केरल	19	33,504.08	35,120.13	14,376.77
17	मध्य प्रदेश	52	56,376.91	60,079.62	17,049.95
18	महाराष्ट्र	92	154,348.49	162,971.24	50,670.41
19	मणिपुर	3	1,047.27	10,045.73	5,729.36
20	मेघालय	5	6,744.03	8,661.01	746.84
21	मिजोरम	5	2,001.20	6,965.67	2,064.85
22	बहु राज्य	173	272,933.88	252,495.49	77,980.62
23	नगालैंड	3	6,420	7,885.30	158.65
24	ओडिशा	56	61,901.92	67,838.01	17,384.72
25	पंजाब	25	14,354.28	14,358.28	3,079.39
26	राजस्थान	62	43,094.17	44,261.26	18,643.49
27	सिक्किम	5	2,149.08	4,894.01	851.49
28	तमिलनाडु	57	67,521.20	84,917.97	62,342.97
29	तेलंगाना	36	25,303.12	28,703.09	5,656.83
30	त्रिपुरा	10	4,140.67	9,124.56	3,719.42
31	उत्तर प्रदेश	77	78,014.00	81,413.90	23,753.74
32	उत्तराखंड	9	15,810.70	18,110.01	6,293.94
33	पश्चिम बंगाल	51	53,589.77	65,577.27	33,592.26
	कुल	**1174**	**14,46,253.04**	**16,16,457.43**	**6,35,156.26**

वर्ष 2016-17 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

9.6 वर्ष 2016-17 (1 अक्तूबर 2016 तक) के दौरान 67 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई । पूरी की गई परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-VIII** में दी गई है ।

12वीं योजना के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

9.7 बारहवीं योजना (अप्रैल 2012 से मार्च 2017) के दौरान, 342 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई हैं । इनमें से, 2012-13 में 73 परियोजनाएं, 2013-14 में 69 परियोजनाएं तथा 2014-15 तके 72 परियोजनाओं और 2015-16 में 61 परियोजनाएं तथा अप्रैल से अक्तूबर 2016 के दौरान 67 परियोजनाएं पूरी की गई । इन परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा तालिका 9.3 में दिया गया है ।

12वीं योजना के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का सार

तालिका 9.3

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)
1	परमाणु ऊर्जा	1	1106.29	1106.29	1084.24
2	नागर विमानन	5	5172.79	6066.90	5526.66
3	कोयला	9	12739.89	15558.04	14480.76
4	उर्वरक	6	5317.41	5317.41	3826.59
5	पेट्रोलियम	65	146262.95	166053.38	125715.12
6	विद्युत	73	127404.50	142747.38	106775.98
7	रेलवे	33	12477.22	27404.69	24469.39
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	91	44413.24	44620.56	55843.73
9	पोत परिवहन एवं पत्तन	20	14378.47	15319.80	11397.76
10	इस्पात	20	49983.37	55857.27	52184.36
11	दूरसंचार	14	6544.69	6429.16	2975.74
12	शहरी विकास	5	5732.98	5820.78	4356.50
कुल		**342**	**431533.80**	**492301.66**	**408636.83**

9.8 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की समयवृद्धि का क्षेत्र-वार विश्लेषण तालिका- 9.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका 9.4

मूल अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा
(सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में)

						समयवृद्धि वाली परियोजनाएं$			
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**परियोजना-ओं की संख्या**	**मूल लागत**	**अनुमानित लागत**	**लागत वृद्धि ^ %**	**सं.**	**मूल लागत**	**अनुमानित लागत**	**टी.ओ.आर की सीमा (महीनों में)**
1	परमाणु ऊर्जा	4	40,442.00	51,918.00	28.38	3	27,271.00	29,456.00	35 - 85
2	नागर विमानन	4	1,177.28	1,157.07	-1.72	1	309.46	309.46	80 - 80
3	कोयला	87	68,388.18	70,065.13	2.45	38	19,812.36	20,473.26	6 - 132
4	उर्वरक	2	680.64	692.29	1.71	1	197.79	209.44	10 - 10
5	खान	3	2,555.63	1,875.63	-26.61	2	2,211.13	1,531.13	1 - 31
6	इस्पात	34	57,600.51	57,771.82	0.30	13	38,092.78	38,295.61	6 - 45
7	पेट्रोरसायन	1	5,460.61	9,965.00	82.49	0	0.00	0.00	-
8	पेट्रोलियम	77	1,34,945.71	1,36,519.48	1.17	38	41,660.16	43,170.08	1 - 71
9	विद्युत	125	3,39,160.85	3,88,956.82	14.68	61	1,95,247.64	2,25,353.47	1 - 134
10	भारी उद्योग	1	1,718.00	3,827.30	122.78	1	1,718.00	3,827.30	75 - 75
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9	2,563.15	2,563.15	0.00	4	826.49	826.49	1 - 35
12	रेलवे	355	3,56,856.42	4,43,751.74	24.35	41	44,583.08	1,10,049.11	11 - 261
13	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	431	2,80,828.14	2,83,511.83	0.96	111	86,173.40	88,555.66	1 - 114
14	पोत परिवहन एवं पत्तन	8	4,117.75	5,085.02	23.49	1	366.39	669.46	96 - 96
15	दूरसंचार	4	15,773.68	15,673.68	-0.63	2	2,285.56	2,185.56	18 - 30
16	शहरी विकास	29	1,33,984.49	1,43,123.47	6.82	16	74,578.79	82,575.77	4 - 65
कुल		**1174**	**14,46,253.04**	**16,16,457.43**	**11.77**	**333**	**5,35,334.03**	**6,47,487.80**	

9.9 समयवृद्धि के कारण

- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- वन/पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने में विलंब
- अवसंरचनात्मक सहायता तथा संपर्क की कमी
- परियोजना वित्तपोषण को संबद्ध करने में विलंब
- विस्तृत इंजीनियरी को अंतिम रूप देने में विलंब
- कार्यक्षेत्र में परिवर्तन
- निविदा आमंत्रित करने, आदेश देने तथा उपस्कर की आपूर्ति में विलंब
- कानून और व्यवस्था की समस्याएं
- भूवैज्ञानिक गतिविधियां
- शुरू होने से पूर्व आने वाली समस्याएं
- संविदात्मक मुद्दे

9.10 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की लागतवृद्धि का क्षेत्र-वार विश्लेषण तालिका- 9.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 9.5

मूल अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में लागतवृद्धि की सीमा (क्षेत्र-वार)
(सभी लागत/व्यय करोड़ ₹ में)

						लागतवृद्धि वाली परियोजनाएं			
क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)	सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)
1.	परमाणु ऊर्जा	4	40,442.00	51,918.00	28.38	2	16,663.00	28,139.00	68.87
2.	नागर विमानन	4	1,177.28	1,157.07	-1.72	0	0.00	0.00	0.00
3.	कोयला	87	68,388.18	70,065.13	2.45	6	1,953.12	3,630.07	85.86
4.	उर्वरक	2	680.64	692.29	1.71	1	197.79	209.44	5.89
5.	खान	3	2,555.63	1,875.63	-26.61	0	0.00	0.00	0.00
6.	इस्पात	34	57,600.51	57,771.82	0.30	5	1,639.71	2,169.02	32.28
7.	पेट्रोरसायन	1	5,460.61	9,965.00	82.49	1	5,460.61	9,965.00	82.49
8.	पेट्रोलियम	77	1,34,945.71	1,36,519.48	1.17	14	15,385.77	18,894.19	22.80
9.	विद्युत	125	3,39,160.85	3,88,956.82	14.68	29	77,775.43	1,27,635.01	64.11

10.	भारी उद्योग	1	1,718.00	3,827.30	122.78	1	1,718.00	3,827.30	122.78
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9	2,563.15	2,563.15	0.00	0	0.00	0.00	0.00
12.	रेलवे	355	3,56,856.42	4,43,751.74	24.35	185	97,775.09	2,43,331.83	148.87
13.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	431	2,80,828.14	2,83,511.83	0.96	19	7,246.67	10,240.42	41.31
14.	पोत परिवहन एवं पत्तन	8	4,117.75	5,085.02	23.49	5	1,205.50	2,172.77	80.24
15.	दूरसंचार	4	15,773.68	15,673.68	-0.63	0	0.00	0.00	0.00
16.	शहरी विकास	29	1,33,984.49	1,43,123.47	6.82	3	10,900.33	20,052.34	83.96
कुल योग		**1174**	**14,46,253.04**	**16,16,457.43**	**11.77**	**271**	**2,37,921.02**	**4,70,266.39**	**97.66**

9.11 **लागत वृद्धि के कारण**

- मूल लागत का कम आकलन करना
- विदेशी विनिमय की दरों तथा सांविधिक दायित्वों में बदलाव
- पर्यावरण संबंधी सुरक्षोपायों एवं पुनर्वास उपायों की अधिक लागत
- भूमि अधिग्रहण की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि
- परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव
- उपस्कर संबंधी सेवाओं का विक्रेताओं द्वारा एकाधिकारी मूल्य निर्धारण
- सामान्य मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति
- स्थितियों में व्यवधान
- समयवृद्धि

9.12 सितंबर, 2016 के अंत तक कुल 1174 परियोजनाओं का विश्लेषण दर्शाता है कि 333 परियोजनाएं उनकी मूल अनुसूची की तुलना में पीछे चल रही थी । इन परियोजनाओं में 1-261 माह की समय वृद्धि हुई है । विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि से मूल लागत में 20.95% वृद्धि हुई है । सभी विलंबित परियोजनाओं में अनुमानित लागत ₹ 6,47,487.80 करोड़ हुई है । नीचे दिया गया चार्ट पिछले 16 वर्षों की विलंबित परियोजनाओं का प्रतिशत दर्शाता है । यह विलंबित परियोजनाओं में कमी को दर्शाता है ।

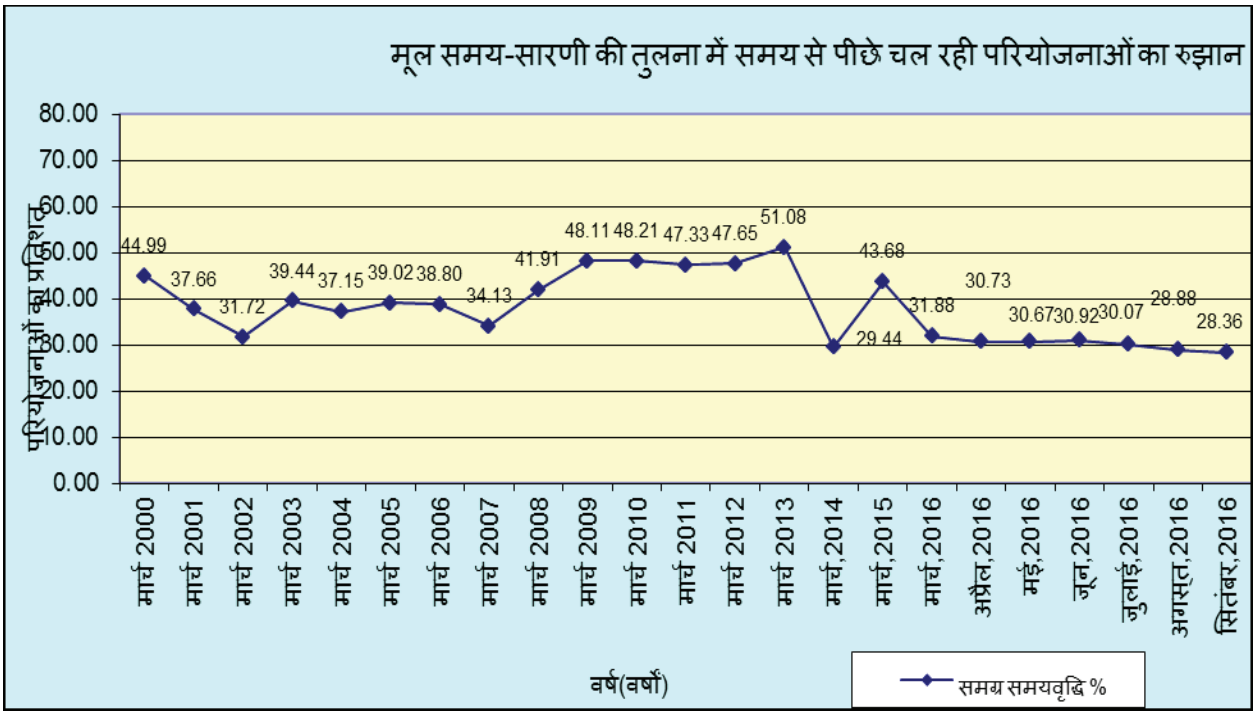

परियोजनाओं में समय और लागतवृद्धि

9.13 केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या समय एवं लागत वृद्धि रही है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सहायता से मुख्यतः संबंधित मंत्रालयों द्वारा गहन निगरानी किए जाने तथा सुधार करने के कारण परियोजनाओं की समय वृद्धि में कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत वृद्धि में कमी आई है । पिछले 17 वर्षों के रूझान का विश्लेषण दर्शाता है कि लागत वृद्धि मार्च, 1999 में 40.90% से कम होकर सितंबर, 2016 में 11.77% हो गई है । नीचे का चार्ट पिछले 17 वर्षों के दौरान लागत वृद्धि का रुझान दर्शाता है ।

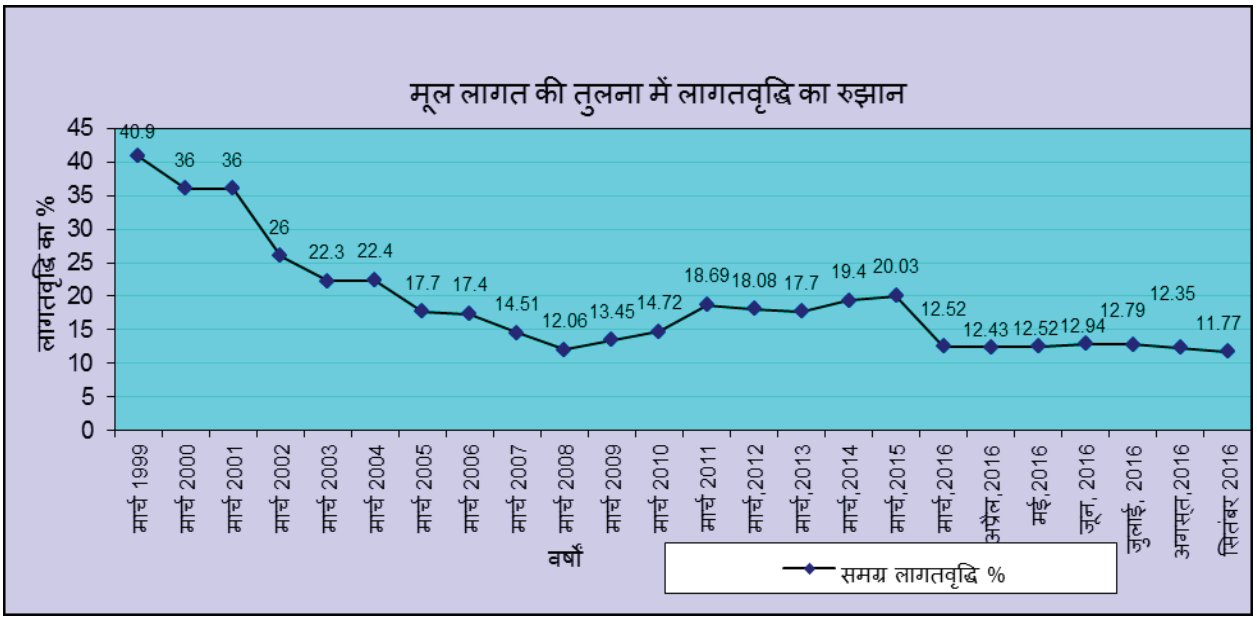

उपचारात्मक उपाय/व्यवस्थागत सुधार

9.14 आधारी संरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) द्वारा समय-समय पर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए व्यवस्थागत सुधार लाए गए, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ₹ 150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के समय तथा लागत वृद्धि की नियमित निगरानी;
- त्रैमासिक आधार पर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा;
- समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही का निर्धारण करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सरकार द्वारा अपर सचिव की अध्यक्षता में स्थाई समिति का गठन करना;
- परियोजनाओं का सख्ती से मूल्यांकन;
- कम्प्यूटर नेटवर्क पर आधारित निगरानी को अपनाना; और
- सीपीएसयू के परियोजना प्रबंधन तथा इसके परियोजना प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर ज़ोर देना ।
- प्रमुख परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सरल बनाने तथा रुकावटों को हटाने के लिए मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना ।

वर्ष के दौरान की गई पहल

9.15.1 <u>केंद्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी)</u>: मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके राज्यों में सीपीएसयू द्वारा सामना किए जा रहे परियोजना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति गठित करने की सलाह दे चुका है । अब तक सताईस राज्य इस प्रकार की सीएसपीसीसी का गठन कर चुके हैं । सीएसपीसीसी तंत्र राज्य सरकारों से संबंधित भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण और पुनर्स्थापन तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्दों को सुलझाने में बहुत प्रभावी रहा है ।

9.15.2 <u>मंत्रालयों के सामने मामले उठाना/क्षेत्रों की समीक्षा</u>: वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और विलंबित परियोजनाओं से संबंधित मुख्य-मुख्य बातें रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाई गई थी ।

9.15.3 <u>समझौता ज्ञापन/समीक्षा/ईबीआर बैठकों में सक्रिय सहभागिता</u>**:** आईपीएमडी सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एमओयू वार्ता-बैठकों में समय व लागत वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधकों की क्षमता विकास के मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाता रहा है ।

9.15.4 <u>परियोजना प्रबंधन पहल में सहयोग</u>: आईपीएमडी ने वर्ष के दौरान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान (आईआईपीपीएम) द्वारा आयोजित **"ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन विजन टू डिलिवरी- द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वे"** को सहायता प्रदान की ।

9.15.5 <u>ओसीएमएस की पुन: डिजाइनिंग और पुनर्विकास</u>: मंत्रालय ओसीएमएस की पुन: डिजाइनिंग और पुनर्विकास कर रहा है । विद्यमान ओसीएमएस को विभिन्न स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एनआईसी के पर्यवेक्षण में एनईटी और एसक्यूएल में अपग्रेड किया जा रहा है । नया सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल होगा तथा इसमें डैशबोर्ड, ग्राफिक्स आदि जैसी अद्यतन विशेषाएं होगी ।

9.15.6 <u>राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी</u>: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओसीएमएस को राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि राज्यक्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की अपने स्तर पर निगरानी के लिए वे इसका प्रयोग करें । एमओएसपीआई परियोजना निगरानी सॉफ्टवेयर/तंत्र के प्रयोग में राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करोगा । राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी कि राज्यक्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की परियोजना निगरानी के उद्देश्य से वे ओसीएमएस का प्रयोग करें या किसी अन्य पैकेज का प्रयोग करें ।

परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षण

9.16.1 परियोजना प्रबंधन को बढ़ावा देने एवं केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए, आईपीएमडी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली एवं प्रशिक्षण अकादमी (नास्ता) में परियोजना प्रबंधन में पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है । वर्ष 2015-16 के दौरान, अब तक ऐसे तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं ।

9.16.2 मंत्रालय ने सचिवों की समिति (सीओएस) के निर्देश पर राज्य सरकारों को अपने स्तर पर राज्य क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी में प्रयोग के लिए एमओएसपीआई की ओसीएमएस उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

मंत्रालय परियोजना निगरानी सॉफ्टवेयर/तंत्र के प्रयोग में राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा । राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी कि वे राज्य क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की परियोजना निगरानी के उद्देश्य से ओसीएमएस का प्रयोग करें या किसी अन्य पैकेज का प्रयोग करें । इस मंत्रालय ने ओसीएमएस को तकनीकी और कार्यकलाप संबंधी पहलुओं पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया है । उपर्युक्त कार्यशाला में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

आधारी संरचना के कार्य-निष्पादन की निगरानी

आधारी संरचना निगरानी

9.17 देश में महत्वपूर्ण आधारी संरचना क्षेत्रों की निगरानी प्रणाली निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के समक्ष निष्पादन की झलक एवं उपलब्धियों के संदर्भ में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है । यह मंत्रालय आधारी संरचना के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस रेलवे, पत्तन, सड़क और दूरसंचार के निष्पादन की निगरानी करता है । इन क्षेत्रों के निष्पादन का विश्लेषण किसी माह विशेष तथा किसी संचयी अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह और संचयी अवधि के दौरान की उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है ।

9.18 आधारी संरचना निष्पादन की रिपोर्ट आधारी संरचना क्षेत्र के कार्य-निष्पादन संबंधी पुनरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है ।

आधारी संरचना क्षेत्र का समग्र कार्य-निष्पादन

9.19 पिछले तीन वर्षों और 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान आधारी संरचना क्षेत्र के उत्पादन कार्य के निष्पादन का विवरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है ।

वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान आधारी संरचना निष्पादन

9.20 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान समग्र आधारी संरचना निष्पादन में वृद्धि के सकारात्मक रुझान सामने आए हैं । कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, राजस्व प्राप्ति सामान परिवहन, प्रमुख बंदरगाहों पर कोयला प्रबंधन, टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में शुद्ध योग तथा नए शुद्ध मोबाइल फोन कनेक्शनों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के निष्पादन की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई । तथापि, इस वर्ष की अवधि के लिए

निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विद्युत उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, रिफाइनरी उत्पादन, राजमार्गों के उन्नयन, एयरपोर्टों पर सामान के निर्यात और आयात तथा घरेलु एयरपोर्टों पर यात्रियों की आवाजाही को छोड़कर अधिकतर क्षेत्र इस अवधि में उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहे हैं । पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान समग्र आधारी संरचना निष्पादन संबंधी रुझान **अनुबंध-VII** पर दिए गए हैं । क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है ।

विद्युत

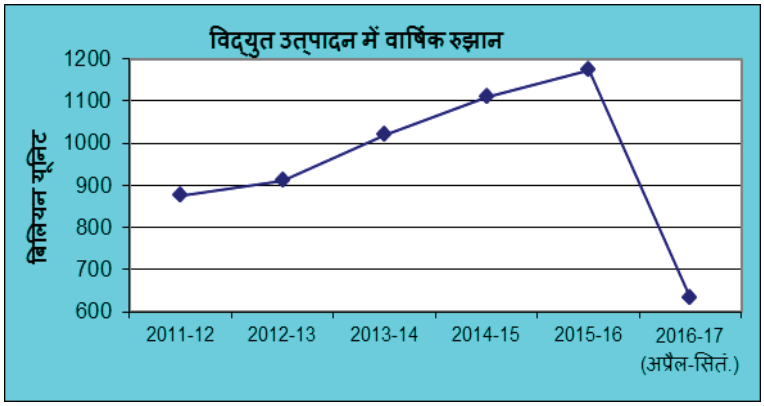

9.21 विगत पांच वर्ष के दौरान समग्र विद्युत उत्पादन परिदृश्य में लगातार वृद्धि दिखाई दी है, जैसा कि संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है । वर्ष 2015-2016 के दौरान विद्युत उत्पादन में 1173.59 बिलियन यूनिट (बि.यू) की वृद्धि दर्ज की गई जो वर्ष 2014-2015 के विद्युत उत्पादन की तुलना में 5.68% अधिक है । गत वर्ष (2014-2015) के दौरान प्राप्त वृद्धि 8.85% की तुलना में 5.68% कम थी । वर्ष 2015-16 के दौरान तापीय विद्युत स्टेशनों (टीपीएस) का अखिल भारतीय संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 62.29% था, जो वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त 64.25% पीएलएफ की तुलना में कम रहा ।

9.22 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान देश में विद्युत उत्पादन 632.12 बि.यू था जो इस अवधि के लिए निर्धारित 589.61 बि.यू के लक्ष्य से 7.21% अधिक था तथा इसमें विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की तुलना में 6.48% की वृद्धि दर्ज हुई है । संलग्न चार्ट लक्ष्य की तुलना में विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं पिछले वर्ष की उपलब्धि को दर्शाता है । तापीय विद्युत उत्पादन 483.86 बि.यू रहा और इसमें 6.86% की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन यह उक्त अवधि के निर्धारित लक्ष्य 484.53 बी.यू. से 0.14% कम था । पीएलएफ 59.02% पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त

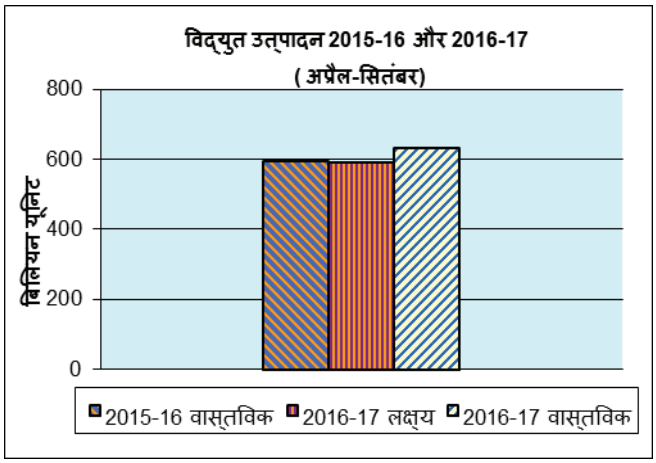

61.32% के पीएलएफ से कम था । जहां तक क्षेत्र-वार तापीय विद्युत उत्पादन का संबंध है, राज्य क्षेत्र में उत्पादन अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 11.1% कम था लेकिन केन्द्र और निजी क्षेत्र में उत्पादन से क्रमश: 6.24% और 7.43% अधिक था । 77.67 बीयू पर जल विद्युत उत्पादन अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों से कम था तथा इसी प्रकार पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन क्रमशः 5.23% तथा 2.78% कम रहा । परमाणु विद्युत उत्पादन 19.00 बि.यू था जो अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन से क्रमश: 5.17% और 0.37% कम था ।

कोयला

9.23 वर्ष 2015-16 के दौरान कोयला उत्पादन 637.87 मिलियन टन (मि.टन) रहा जो वर्ष 2014-15 के दौरान हुए 609.18 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 4.71% अधिक था । पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है ।

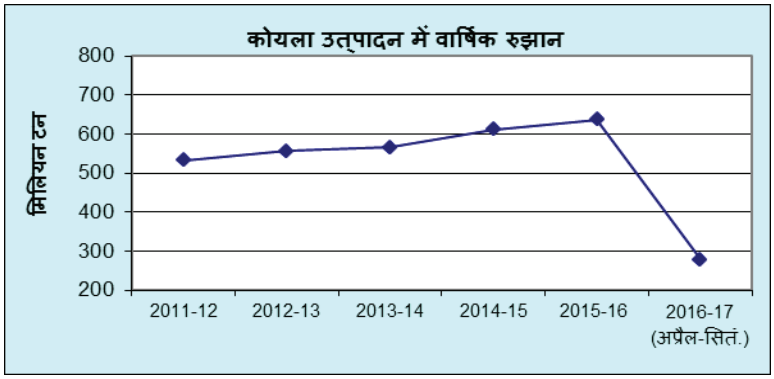

9.24 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान समग्र कोयला उत्पादन 278.74 एमटी था जो इस अवधि के लक्ष्य से 1.2% कम था किंतु इसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 275.8 एमटी उत्पादन की तुलना में 1.06% की वृद्धि दर्ज हुई । कोकिंग कोल का उत्पादन 16.11 एमटी रहा और इसमें 38.81% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई किंतु वास्ड कोल का उत्पादन 1.02 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 1.91% अधिक था । वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कोयले का समग्र प्रेषण 298.00 एमटी रहा जो इस अवधि के लिए 310.88 एमटी के लक्ष्य से 4.14% कम था किन्तु यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए प्रेषण की तुलना में 0.19% अधिक था ।

इस्पात

9.25 वर्ष 2015-2016 के दौरान तैयार इस्पात का समग्र उत्पादन 98.74 एमटी था, जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 100.68 एमटी उत्पादन की तुलना में 1.92% की वृद्धि दर्ज की गई । गत पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात में उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है ।

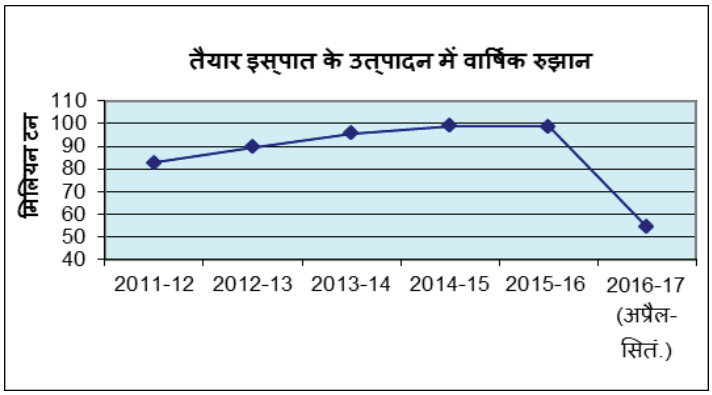

9.26 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन 54.18 एमटी रहा जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 50.93 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 6.37% की सकारात्मक वृद्धि हुई ।

सीमेंट

9.27 वर्ष 2015-2016 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 283.18 एमटी रहा जो विगत वर्ष के दौरान 270.9 मि.टन के उत्पादन से 4.53% अधिक रहा । वर्ष 2014-15 के दौरान 5.77% की तुलना में वृद्धि दर घटकर 4.53% रही । पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए सीमेंट उत्पादन का रुझान साइड चार्ट में दर्शाया गया है ।

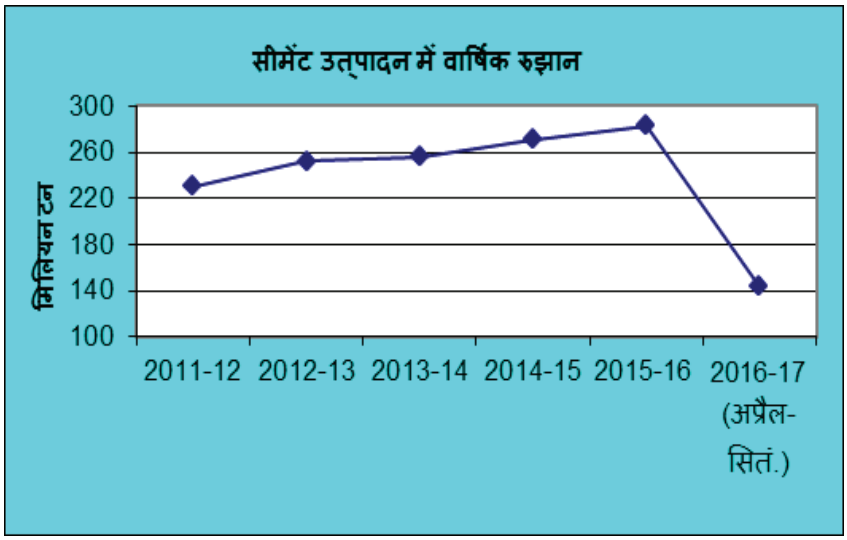

9.28 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान सीमेंट का उत्पादन 143.79 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 137.64 मि.टन के उत्पादन से 4.47% अधिक था ।

उर्वरक

9.29 वर्ष 2015-16 के दौरान उर्वरकों (नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट) का समग्र उत्पादन 17.74 (एमटी) था जो वर्ष 2014-2015 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 9.03% अधिक था । वर्ष के दौरान, समग्र क्षमता उपयोग (नाइट्रोजन +फॉस्फेट) 95.3% था जो वर्ष 2014-15 के दौरान 87.5% के क्षमता उपयोग से अधिक था । पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए उत्पादन सामान को साइड चार्ट में दर्शाया गया है ।

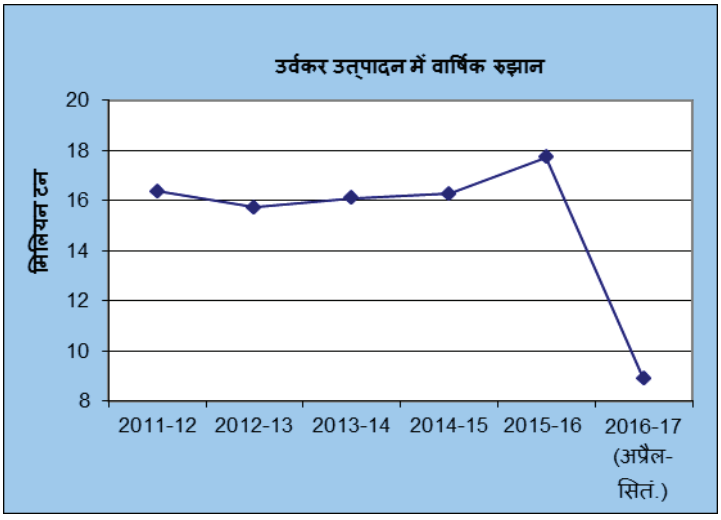

9.30 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान उर्वरक उत्पादन 8.9 मि.टन रहा जो उस अवधि के लक्ष्य की तुलना में 7.16% कम था लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 3.54% अधिक था । समग्र क्षमता उपयोग 96.8% था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपयोग की गई क्षमता (93.5%) से अधिक था । नाइट्रोजन का उत्पादन 6.65 एमटी था जो इस अवधि के लक्ष्य से 1.11% कम था, किन्तु पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 1.17% अधिक रहा । फास्फेट उर्वरक का उत्पादन 2.5 एम टी था जो इस अवधि के लक्ष्य से 21.36% कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन से 11.24% अधिक था।

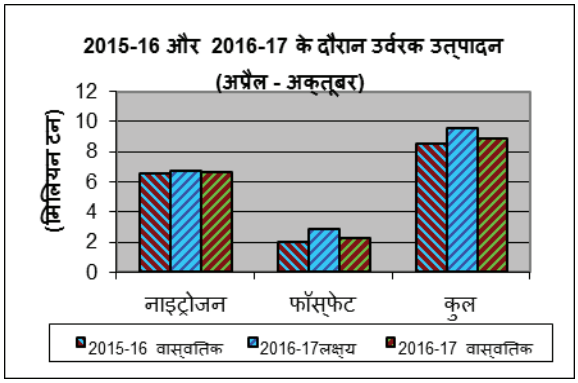

पेट्रोलियम

9.31.1 **कच्चा तेल**: वर्ष 2015-2016 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 36.95 (एमटी) रहा जो 37.05 एमटी के लक्ष्य तथा 37.46 एमटी के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमश: 0.26% तथा 1.36% कम था । पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का रुझान संलग्न चार्ट में दिया गया है ।

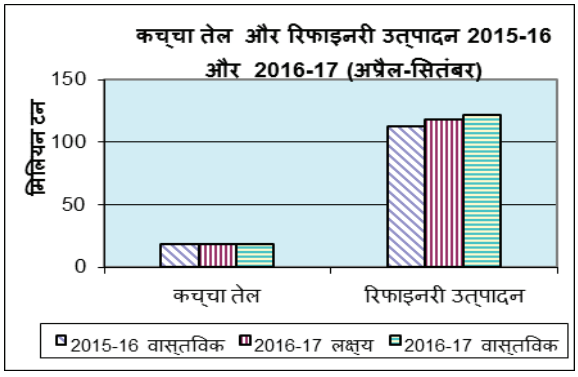

9.31.2 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 18.06 एमटी रहा जो इस अवधि के दौरान 18.26 एमटी के लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 18.68 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 1.09% तथा 3.3% कम रहा ।

9.32.1 रिफाइनरी उत्पादन: वर्ष 2015-16 के दौरान रिफाइनरी उत्पादन (कच्चे थ्रूपुट के संदर्भ में) **231.05** एमटी रहा जो 224.24 एमटी के लक्ष्य की तुलना में तथा वर्ष **2014-15** के दौरान **223.24** एमटी के उत्पादन की तुलना में **3.04%** और 3.5% अधिक था । वर्ष **2015-16** के दौरान समग्र क्षमता उपयोग **107.4%**

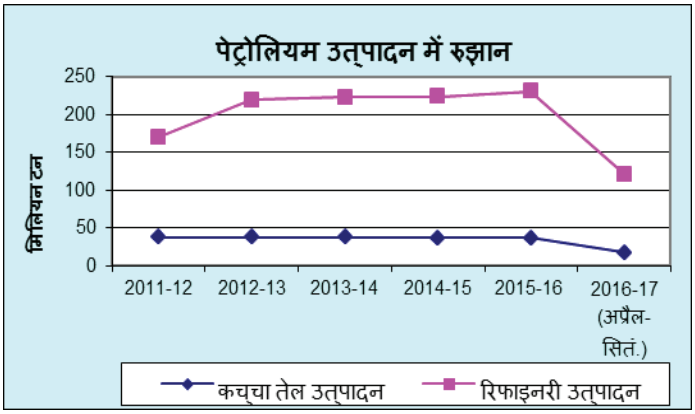

था जो पिछले वर्ष में प्राप्त **103.8%** की उपलब्धि से अधिक था । पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन का रुझान संलग्न चार्ट में दिया गया है ।

9.32.2 वर्ष 2015-16 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान रिफाइनरी उत्पादन 121.5 एमटी था जो 117.95 एमटी के लक्ष्य से 3.01% अधिक था, लेकिन यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 112.6 एमटी के उत्पादन की तुलना में 7.90% अधिक था । समग्र क्षमता उपयोग पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 105.3**%** की तुलना में 104.7**%** अधिक था । उपर्युक्त चार्ट कच्चे तेल तथा रिफाइनरी उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाता है ।

9.33.1 **प्राकृतिक गैस:** वर्ष 2015-2016 के दौरान कुल मिलाकर 32,249 मिलियन क्यूबिक मीटर **(**एमसीएम) प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ जो 35,280 मि.क्यूबिक मीटर के लक्ष्य तथा वर्ष 2014-2015 के दौरान हुए 33,656 मिलियन क्यूबिक मीटर उत्पादन की तुलना में क्रमश: 8.59% और 4.18% कम था ।

9.33.2 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 15,724 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) था, जो 16,326 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य से 3.69% कम था और यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 16,449 मिलियन क्यूबिक मीटर के उत्पादन से भी 4.41% कम था ।

सड़कें

9.34 सड़क क्षेत्र में, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राज्य लोक निर्माण विभाग एवं सीमा सड़क संगठन **(**बीआरओ) राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन में लगे हुए हैं । एनएचएआई ने वर्ष 2015-16 के दौरान, 2000.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 1501.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में चार/छः/आठ लेनों के 1988.00 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण किया है । राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 61.86 कि.मी. को चार/छः/आठ लेन का और 560.31 कि.मी. को दो लेन का बनाया है तथा 804.53 कि.मी. के वर्तमान कमजोर पैदल मार्गों को सुदृढ़ बनाया है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने 841.84 कि.मी. लो ग्रेड सेक्शनों में तथा 1200.00 कि.मी. राजमार्ग की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया है । राजमार्गों के उन्नयन के एक भाग के रूप में, 64 पुलों का भी पुनर्स्थापन /निर्माण किया गया ।

9.35 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण **(**एनएचएआई) ने 2300.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 899.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में, 985.00 कि.मी. राजमार्ग को चौड़ा/सुदृढ़ बनाया ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का रुझान संलग्न चार्ट में दिया गया है । राज्य पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 36.64 कि.मी. को चार/छह/आठ लेन का बनाया, 558.02 कि.मी. को दो लेन का बनाया और मौजूदा 418.13 कि.मी. कमजोर पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया । उन्होंने राजमार्गों के 287.00 कि.मी. की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया । उन्नयन के एक भाग के रूप में, इस अवधि के दौरान 30 पुलों के लक्ष्य के मुकाबले 14 पुलों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण किया गया ।

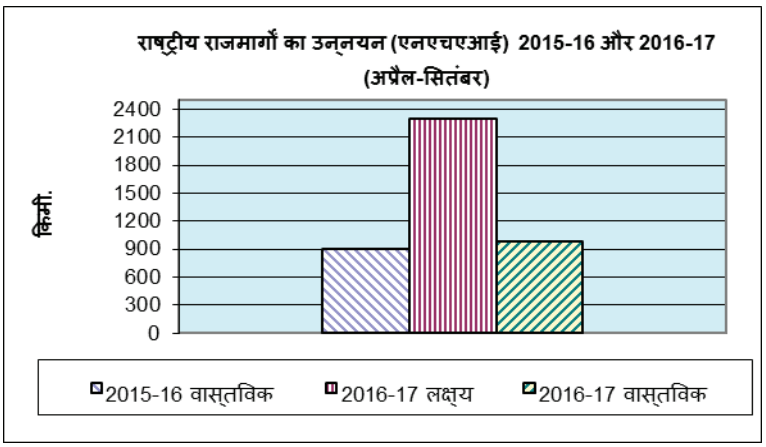

रेलवे

9.36 वर्ष 2015-2016 के दौरान रेलवे ने 1104.17 एमटी राजस्व अर्जक मालभाड़े की ढुलाई की जिससे वर्ष 2014-2015 के मालभाड़ा ढुलाई की तुलना में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई किन्तु यह इस वर्ष के 1110.00 एमटी के लक्ष्य से 0.53% कम था । गत पांच वर्षों के दौरान माल भाड़े ढुलाई का वार्षिक रुझान चार्ट में दिया गया है ।

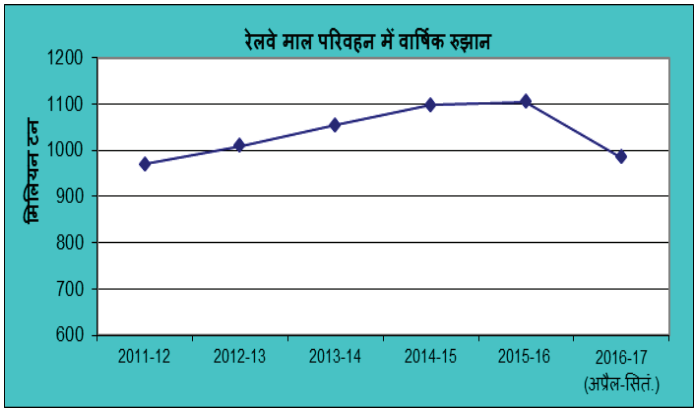

9.37 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान रेलवे द्वारा ढोया गया माल 532.32 एमटी था जो निर्धारित लक्ष्य 568.03 एमटी से 6.29% कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 540.99 एमटी माल ढुलाई की तुलना में 1.6% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई । पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 1.61% की तुलना में वृद्धि दर कम थी । संलग्न चार्ट इस अवधि हेतु लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपलब्धि की तुलना में रेलवे के कार्य निष्पादन को इंगित करता है ।

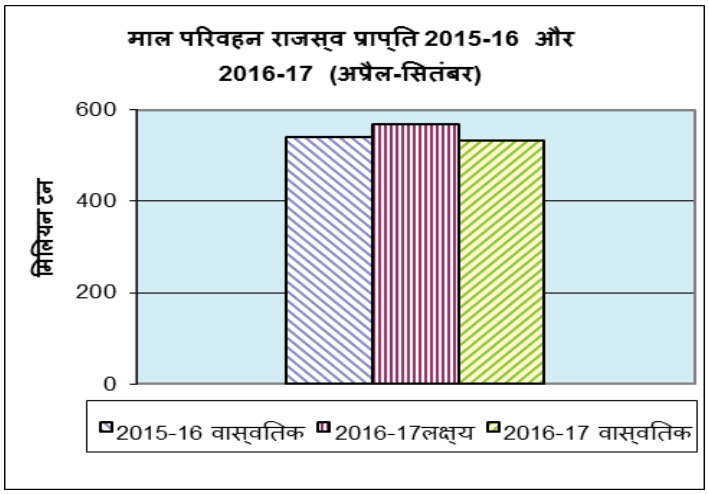

पोत परिवहन एवं पत्तन

9.38 वर्ष 2015-2016 के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों पर 606.37 एमटी कार्गो ढोया गया जो पिछले वर्ष की उपलब्धि से 4.31% अधिक था । मुख्य बंदरगाहों पर ढोए गए कार्गो का रुझान साथ के चार्ट में इंगित किया गया है ।

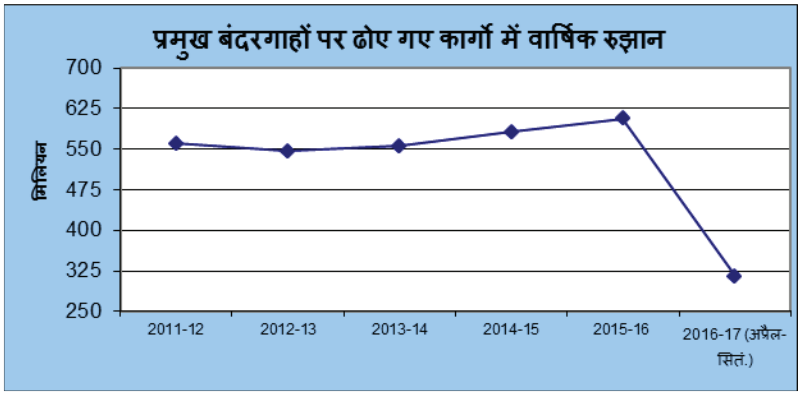

9.39 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर 315.43 एमटी कार्गो ढोया गया जिससे पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोये गये 299.95 एमटी कार्गो की तुलना में 5.16% की वृद्धि दर्ज हुई ।

9.40 वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर कोयला (तापीय तथा कोकिंग) की ढुलाई 130.05 एमटी थी जो पिछले वर्ष की 117.86 एमटी ढुलाई की तुलना में 10.34% अधिक रही । वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, कोयले की समग्र तटीय ढुलाई 73.66 एमटी थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 75.92 एमटी ढुलाई की तुलना में 2.98% कम रही ।

नागर विमानन

9.41 वर्ष 2015-2016 के दौरान सभी हवाई अड्डों द्वारा 9,84,666 टन निर्यात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य से तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ढोए गए कार्गो से क्रमश: 0.43% और 5.91% अधिक था । इस अवधि के दौरान, इन हवाई अड्डों द्वारा 6,73,475 टन आयात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ढोए गए आयात कार्गो से क्रमश: 3.15% और 9.9% अधिक था ।

9.42.1 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, सभी हवाई अड्डों द्वारा 5,41,936 टन निर्यात कार्गो ढोया गया जो 5,19,009 टन के लक्ष्य से अधिक था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोए गए 4,93,220 टन निर्यात कारगों की तुलना में क्रमश: 4.42% तथा 9.88% अधिक था। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान इन

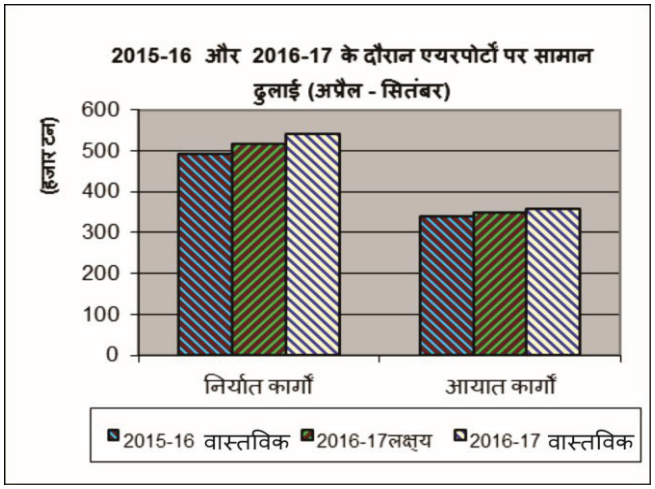

हवाई अड्डों द्वारा 3,58,180 टन आयात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य से अधिक था पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोए गए कार्गो से क्रमशः 2.31% तथा 5.69% अधिक था ।

9.42.2 वर्ष 2015-16 के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 546.71 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो लक्ष्य से 0.34% कम था तथा 2014-2015 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों की तुलना में 7.62% अधिक था । वर्ष 2015-16 के दौरान इन हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 1684.30 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्यों तथा वर्ष 2014-15 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से क्रमश: 10.93% और 20.89% अधिक था ।

9.43 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान इन हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 287.37 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्य से तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से क्रमश: 0.98% तथा 9.48% अधिक था और वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 981.12 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो उस अवधि के लक्ष्य से तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों की तुलना में क्रमशः 17.21% तथा 23.1% अधिक था ।

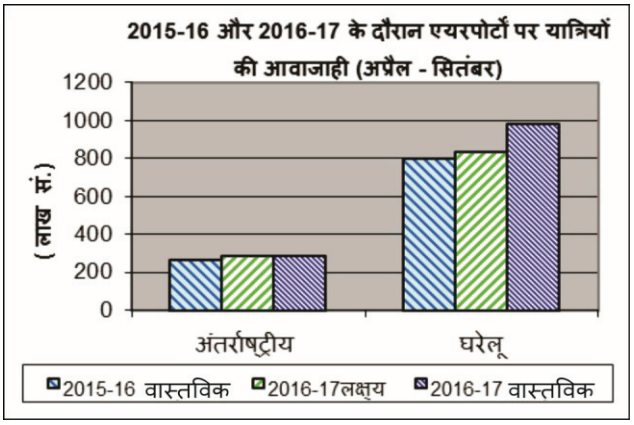

दूरसंचार

9.44 वर्ष 2015-2016 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर 36.03 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई और 2014-15 के दौरान भी 44.75 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई थी । वर्ष 2015-2016 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 3.29 लाख नए (नेट) फिक्स्ड (वायर) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जो 2014-15 के दौरान प्रदान किए गए 1.62 लाख कनेक्शनों की तुलना में 102.89% अधिक था । जबकि सार्वजनिक क्षेत्र ने 16.98 लाख कनेक्शन लौटा दिए । वर्ष

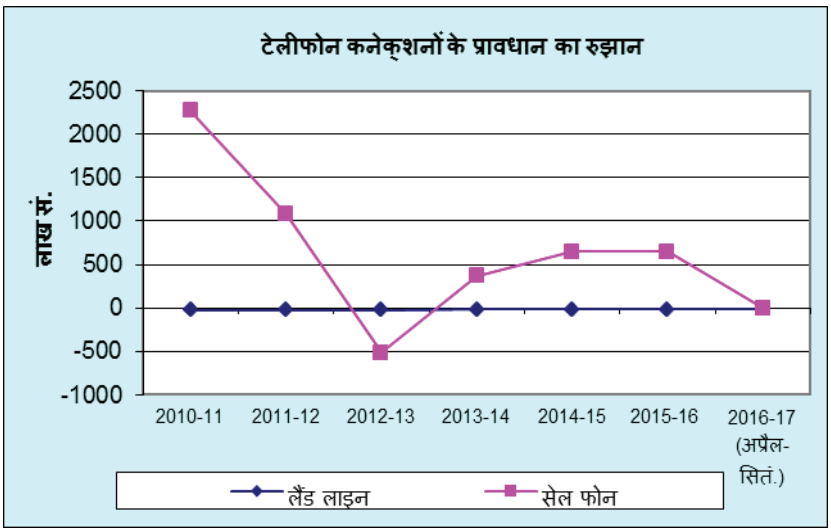

2015-16 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 100.07 लाख नए (नेट) सेलफोन (मोबाइल) कनेक्शन लगाई/प्रदान की जबकि वर्ष 2014-2015 के दौरान 176.45 लाख सेलफोन कनेक्शन लौटाई/हटाई गई थी जबकि निजी क्षेत्र में 545.66 लाख कनेक्शन जोड़े गए और 2014-15 के दौरान भी 826.65 लाख सेलफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे । वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 645.73 लाख कनेक्शन (फिक्सड+सेलफोन) प्रदान किए गए तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 650.2 लाख फोन कनेक्शन प्रदान किए गए । पिछले पांच वर्षों के दौरान लैंडलाइन तथा सेल फोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी वार्षिक रुझान उपर्युक्त चार्ट में दर्शाया गया है ।

9.45 वर्ष 2016-17 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में 20.4 लाख लाइनें जोड़ी गई जबकि यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्रदान किए गए स्वीचिंग क्षमता से 20.96% कम था । अप्रैल-सितंबर 2016-17 के दौरान, निजी क्षेत्रों ने 1.84 लाख नए नेट स्थिर (वायर्ड) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए, जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्रदान किए गए 1.48 लाख कनेक्शनों की तुलना में 23.98% अधिक था। इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 8.85 लाख कनेक्शन सरेंडर किए लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 7.89 लाख कनेक्शन भी सरेंडर किए गए थे ।

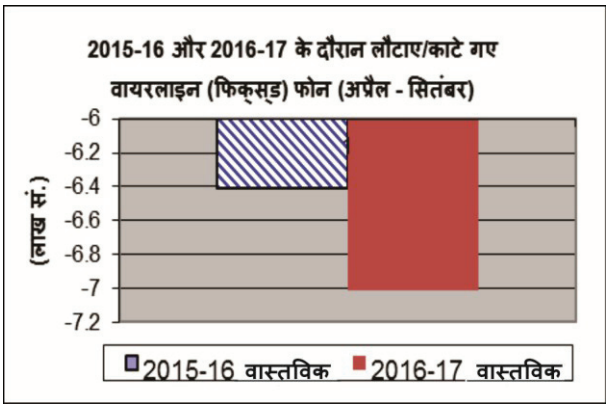

वर्ष (अप्रैल-सितंबर) 2016-17 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 73.4 लाख नए (नेट) सैलफोन कनेक्शन लौटाए लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 242.05 कनेक्शन प्रदान किए गए थे । इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने कुल 74.7 लाख सेल फोन प्रदान किए और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भी 33.56 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए थे ।

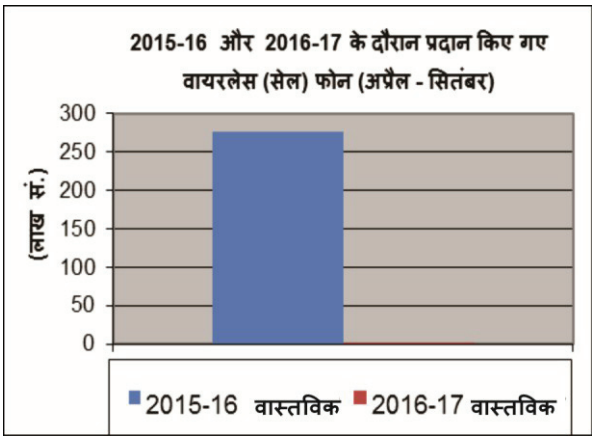

9.46 वर्ष (अप्रैल-सितंबर) 2016-17 के दौरान, कुल 1.3 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्रदान किए गए 275.6 लाख कनेक्शन की तुलना में 99.53% कम था ।

अध्याय X

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 1993 में शुरू की गई थी ताकि स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में शुरू किए जाने के लिए स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सहित बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके । शुरूआत में, एमपीलैड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी। एमपीलैड्स से संबंधित विषय को अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था । योजना दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जाती है जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है । वर्तमान दिशानिर्देश जून, 2016 में जारी किए गए थे ।

10.1 मुख्य विशेषताएं:

(क) एमपीलैड्स एक योजना स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित की जाती है जिसके अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं ।

(ख) स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं अर्थात किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों को पात्रता के अध्यधीन आगामी वर्षों में ले जाया जाता है । वर्तमान में, प्रति संसद सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक पात्रता ₹ 5 करोड़ है ।

(ग) एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्य की भूमिका कार्यों को सिफारिश करने तक सीमित है । तत्पश्चात, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृत, क्रियान्वित और पूर्ण करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है ।

(घ) निर्वाचित लोक सभा सदस्य कार्यों की सिफारिश अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं । राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देशभर में कहीं भी कार्यों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ङ) सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई सीमा नहीं है । तथापि, न्यासों/सोसाइटियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के मामले में प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹ 50 लाख की सीमा है । एक संसद सदस्य न्यासों/सोसाइटियों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों में से एक वित्तीय वर्ष में केवल ₹ 100 लाख तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है ।

(च) बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटने, कीटों के आक्रमण, भूस्खलन, रेतीले तूफान, भूकंप, अकाल, सुनामी, आग और जैविक, रासायनिक, विकिरणीय संकटों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के संसद सदस्य भी उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए ₹ 25 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(छ) देश के किसी भी भाग में गहन प्राकृतिक आपदा (जो भारत सरकार द्वारा निर्णीत और घोषित की गई है) के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक ₹ 1 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है । इस मामले में निधियां संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिले के प्राधिकारी को अनुमत्य कार्यों के निष्पादन के लिए जारी की जाएंगी ।

(ज) अनुसुचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बसावट वाले क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से एमपीलैड्स निधियों का 15% अनु.जाति आबादी वाले क्षेत्रों तथा 7.5% अनु. जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाना है ।

(झ) यदि एक निर्वाचित संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा दोनों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान देने के आवश्यकता महसूस करता है तो सांसद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में पात्र कार्यों के लिए अधिकाधिक ₹ 25 लाख तक की सिफारिश कर सकता है । संसद सदस्य का यह कृत्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को निचले स्तर तक बढ़ावा देगा ।

(ञ) संसद सदस्य तिपहिया साइकिल (मोटर चालित तिपहिया साइकिल सहित) बैटरी से चलने वाली मोटर चालित पहिएदार कुर्सी तथा कृत्रिम अंगों और दृष्टि एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 20 लाख तक सिफारिश कर सकता है ।

(ट) संसद सदस्य सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों । इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं । सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शिक्षण संस्थान का

संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों के तहत न्यासों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा की शर्त लागू होगी (पैरा 3.21) ।

(ठ) ऊर्जा किफायती सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों, शवदाहगृहों और कब्रिस्तानों/शवदाह भूमियों पर निर्माणों तथा सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को भी अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों के अनुबंध-IV (ड.) के खण्ड VI और VII में शामिल किया गया है ।

(ड) संसद सदस्य 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी स्कीम जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए निधियों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.17 और 3.18 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ढ) एमपीलैड स्कीम के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां जिला प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों (आईडीबीआई बैंकों सहित)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों) जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं, जमा कराई जाती हैं ।

(ण) एमपीलैड स्कीम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ।

10.2 **प्रभाव**

जब से योजना प्रारंभ हुई है, तब से इसने स्थानीय लोगों को उनकी विभिन्न विकासात्मक प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करके जैसे पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड/स्टाप, सड़कें, फुटपाथ और पुल, खेल इत्यादि से लाभान्वित किया है । इन कार्यों को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है ।

10.3 **योजना का निष्पादन**

10.3.1 **वास्तविक निष्पादन (30 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)**

योजना की शुरूआत से, जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के संकलन के अनुसार:-

- स्कीम की शुरूआत से लेकर **2055349** कार्य अनुशंसित किए गए ।
- स्कीम की शुरूआत से लेकर **1827933** कार्य स्वीकृत किए गए ।

- स्कीम की शुरूआत से लेकर **1623061** कार्य पूरे किए गए ।
- स्कीम की शुरूआत से स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत **88.79** है ।
- वर्तमान वित्त वर्ष में (30 नवंबर 2016 तक) **83981** कार्यों की अनुशंसा की गई, **81761** कार्य स्वीकृत किए गए (पिछले वर्षों के दौरान अनुशंसित किए गए कार्यों सहित) और **58931** कार्य पूरे किए गए (पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए कार्यों सहित) ।

10.3.2 वित्तीय निष्पादन **(30** नवंबर **2016** की स्थिति के अनुसार)

- योजना की शुरूआत से ₹ **41804.25 करोड़** जारी किए जा चुके हैं ।
- योजना की शुरूआत से ₹ **38587.04 करोड़** का व्यय हुआ है । स्कीम की शुरूआत से जारी निधि की तुलना में व्यय का प्रतिशत **92.30% है ।**
- वर्ष 2016-17 (30 नवंबर 2016 तक) में ₹ **2295.00 करोड़** जारी किए गए हैं और इस अवधि के दौरान ₹ **2585.91 करोड़** (**इसमें पिछले वर्षों में खर्च न की जा सकी अग्रेनीत राशि शामिल है**) का व्यय हुआ ।

10.3.3 **योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई निधि नीचे दी गई है:-**

वर्ष	**जारी की गई निधियां (₹ करोड़ में)**	**जारी संचयी निधि (₹ करोड़ में)**
1993-1994	37.80	37.80
1994-1995	771.00	808.80
1995-1996	763.00	1571.80
1996-1997	778.00	2349.80
1997-1998	488.00	2837.80
1998-1999	789.50	3627.30
1999-2000	1390.50	5017.80
2000-2001	2080.00	7097.80
2001-2002	1800.00	8897.80
2002-2003	1600.00	10497.80
2003-2004	1682.00	12179.80
2004-2005	1310.00	13489.80
2005-2006	1433.90	14923.70
2006-2007	1451.50	16375.20
2007-2008	1470.55	17845.75
2008-2009	1580.00	19425.75
2009-2010	1531.50	20957.25

2010-2011	1533.32	22490.57
2011-2012	2507.68	24998.25
2012-2013	3722.00	28720.25
2013-2014	3937.00	32657.25
2014-2015	3350.00	36007.25
2015-2016	3502.00	39509.25
2016-17 (30 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)	2295.00	**41804.25**
कुल	**41804.25**	

10.4 **उपलब्धियां**

10.4.1 **योजना का तुलनात्मक निष्पादन:**

विभिन्न समयावधियों पर तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2015-16**	**2016-17 (30 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)**
अवधि के दौरान जारी निधि (₹ करोड़ में)	3502.00	2295.00
अवधि के दौरान निधि का व्यय (₹ करोड़ में)	3628.01	2585.91
जारी निधि की तुलना में निधि का उपयोग (% में)	103.60	112.67
कार्यों की स्वीकृति (संख्या में)	102512	81761
कार्यों का समापन (संख्या में)	91368	58931

10.4.2 **एकीकृत वेबसाइट**

जिला प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार व्यय सहित एमपीलैड स्कीम संबंधी दिशानिर्देशों और निर्देशों में संशोधनों से संबंधित सभी नीति-निर्णय और जारी किए गए आंकड़े सार्वजनिक पहुंच के उद्देश्य से एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं ।

एक नई एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइट पूर्ण रूप से चालू है । यह वेबसाइट अंत:निर्मित सुरक्षा उपायों के साथ आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर विकसित की गई है तथा भारत सरकार के डाटा सेंटर ऐन्वायरमेंट में यूआरएल http://164.100.129.134/mplads पर उपलब्ध है । इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- संसद सदस्यों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित डैशबोर्ड सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए एकल बिंदु संदर्भ प्रदान करवाने के लिए एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस सहित सीएमएस चालित पोर्टल और एकीकृत वेब अनुप्रयोग ।

- अंत: सरकारी जी2जी समाधान लोक सभा और राज्य सभा पोर्टल से सदस्यों के विवरण को स्वत: शामिल करने सहित जिला स्तर पर निधियों के यथासमय उपयोग के लिए लघु/बृहत (कार्यों, निर्मुक्ति और व्यय) स्तर पर रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करेगा ।

- नागरिक केन्द्रित सी2जी समाधान लोक सुझावों का संसद सदस्यों की ऑनलाइन सिफारिशों में रुपांतरण उपलब्ध कराएगा तथा सदस्यों और जिला प्राधिकारियों के बीच मैसेजिंग/ब्लॉग, ऑफलाइन संचार भी प्रदान करवाएगा ।

यूआरएल **http://164.100.129.134/mplads** पर उपलब्ध नया एमपीलैड्स पोर्टल पूर्ण रूप से चालू हो जाने के पश्चात उचित समय पर www.mplads.nic.in में सम्मिलित हो जाएगा ।

10.5 **निगरानी**

- राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई गहन समीक्षा तथा दौरों के कारण एमपीलैड्स के कार्यान्वयन में सुधार हुआ है ।

- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जारी निधि की निगरानी करने और योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से राज्य के नोडल विभागों के सचिवों के साथ 19 बार समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 प्रत्येक में दो बार तथा 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में प्रत्येक में एक बार) ।

- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें । मंत्रालय नई विकसित एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइटों को क्रियाशील बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । यह वेबसाइट स्वत: सुरक्षित विशेषताओं के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर विकसित की गई है । यह नई वेबसाइट राज्य और जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स स्कीम की प्रभावी और कुशल निगरानी करने तथा पर्यवेक्षण करने में सहायता करेगी ।

अध्याय-XI

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.1 संघ की राजभाषा नीति के अनुसार और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मंत्रालय और उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रुप में हिन्दी का प्रचार और विकास करने के लिए और ठोस प्रयास कर रहा है । मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियमावली, 1976 में यथा निर्धारित सांविधिक उपबंधों एवं नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए उत्तरदायी है । प्रशासन अनुभाग से प्राप्त 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं या हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और सभी 30 आशुलिपिक प्रशिक्षित हैं । एमटीएस कर्मचारियों को भी हिंदी टंकण के प्रशिक्षण हेतु क्रमवार नामित किया जाता है ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.2 संयुक्त सचिव (प्रशा.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुपालन और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा करती है । प्रत्येक तिमाही में इस समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं । मंत्रालय की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टें व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं ।

निरीक्षण

11.3 मंत्रालय के अधिकारी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण करते हैं और उसमें पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश देते हैं ।

मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण इस वर्ष किया गया:

1. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, त्रिशूर
2. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, कोझिकोड
3. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, पालक्कड

4. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, कोच्चि
5. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, दुमका

मंत्रालय के निम्नलिखित अनुभागों का निरीक्षण इस वर्ष किया गया:

1. सामान्य अनुभाग
2. समन्वय अनुभाग
3. बजट एवं वित्त अनुभाग
4. पीसीएल अनुभाग
5. बीसूका अनुभाग
6. समन्वय एवं प्रकाशन अनुभाग

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

11.4 पिछले वर्षों की तरह हिन्दी में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए **प्रोत्साहन योजना** इस वर्ष भी जारी रही । सितम्बर, 2016 के दौरान मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में **हिन्दी पखवाड़ा** मनाया गया । मंत्रालय में भी दिनांक 14.09.2016 से 28.09.2016 की अवधि को **"हिन्दी पखवाड़ा"** के रुप में मनाया गया ।

इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा मंत्रालय के कुल 63 विजेता/प्रतिभागी अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।

मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा 15 विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए गए ।

हिंदी सलाहकार समिति

11.5 मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन दिनांक 19.03.2015 को किया गया । तत्पश्चात माननीय जनरल डॉ. वी.के. सिंह (से.नि.), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जी की अध्यक्षता में दिनांक 25 अगस्त 2015 को नवगठित समिति की प्रथम (मंत्रालय की छठी बैठक) का आयोजन किया गया । तदन्तर, दिनांक 9 अगस्त 2016 को हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक माननीय श्री डी.वी.सदानंद गौड़ा, मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक – 09.08.2016

हिन्दी प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं

11.6 चूंकि मंत्रालय में सभी आशुलिपिक/टंकक हिंदी आशलिपि/टंकण में प्रशिक्षित हैं अत: वर्ष 2015-16 के दौरान प्रशिक्षण हेतु किसी को भी राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत नामित नहीं किया गया । तथापि यूनिकोड की व हिंदी टंकण की उपयोगिता के मद्देनजर मंत्रालय में टंकण कार्य करने वालों को हिंदी टंकण के नियमित अभ्यास के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके तहत दो कार्यशालाएं क्रमश: 15 जुलाई व 28 नवंबर 2016 को करवाई गईं । इन में कुल 23 कार्मिक लाभान्वित हुए । आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखना प्रस्तावित है ताकि अधिकाधिक कार्मिक यूनिकोड में काम करने में पारंगत हो सकें । दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सीखने के लिए मंत्रालय के 23 अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया । जिन अधिकारियों को हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी प्रशिक्षण में नामित किया जाता है ।

संसदीय राजभाषा निरीक्षण

11.7 मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का इस वर्ष संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषायी निरीक्षण किया गया:

1. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, एनएसएसओ, अलवर, दिनांक 13.04.2016
2. क्षेत्र संकार्य प्रभाग, एनएसएसओ, औरंगाबाद, दिनांक 07.07.2016

गृह-पत्रिका "परिदृश्य" का प्रकाशन

11.8 रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, गृह-पत्रिका "**परिदृश्य**" के 9वें अंक की सामग्री संकलित की जा चुकी है । उसे अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा शीघ्र ही प्रकाशन हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

****

अध्याय-XII

अन्य कार्यकलाप

12.1 मंत्रालय का सतर्कता प्रकोष्ठ प्रभागीय प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ निम्नलिखित कार्यों को संभालते हैं:-

- ग्रुप 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मामले जैसे भ्रष्टाचार, कदाचार तथा सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले;

- विविध कारणों से विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को सतर्कता संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करना/कार्यवाही करना;

- आचरण नियमावली का कार्यान्वयन;

- लंबित सतर्कता मामलों की स्थिति की जानकारी देते हुए मासिक सांख्यिकी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को देना;

- आचरण नियमावली के उपबंधों के तहत अनुमति देने से संबंधित कार्य;

12.2 सतर्कता प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यकलापों को भी देखता है:-

- प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इसे सुप्रवाही बनाना जिसमें भ्रष्टाचार या कदाचार के मामले शामिल किए जाएं और भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए अन्य उपाय खोजना एवं मंत्रालय तथा इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के भ्रष्ट पदाधिकारियों को दण्डित करना;
- "संदिग्ध सत्यनिष्ठा" वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना/सहमति सूची तैयार करना तथा असंवेदनशील क्षेत्रों में इनकी तैनाती करना;
- सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह देना।

12.3 व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों यथा सीबीआई/सीवीसी/मंत्रिमंडल सचिवालय/यूपीएससी आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से

प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है । आरंभिक जांच-पड़ताल शिकायतों के गुण-दोष का पता लगाने के लिए की जाती है। शिकायतों का यदि कोई आधार पाया जाता है तो उन पर नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है । अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 के दौरान सीवीसी द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रत्यावेदनों पर की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय द्वारा पांच (5) रिपोर्टें भेजी गईं ।

12.4 वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016-दिसम्बर 2016) के दौरान मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से चौदह (14) नए मामले/शिकायतें प्राप्त हुईं और तैंतालीस (43) अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी मामलों पर कार्यवाही की गई जो जांच/छानबीन के विभिन्न स्तरों पर है ।

12.5 अवधि (अप्रैल 2016 - दिसंबर 2016) के दौरान, दो (2) छोटी तथा छह (6) बड़ी शास्तियां लगाई गई हैं ।

12.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, संघ लोक सेवा आयोग/सीवीसी से परामर्श कर 8 अनुशासनात्मक मामलों में बड़ी/छोटी सजाएं दी गई हैं ।

12.7 अवधि (अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016) के दौरान, 900 से अधिक सतर्कता निकासी मामलों पर कार्यवाही की गई/जारी किए गए ।

12.8 31 अक्तूबर 2016 से 05 नवंबर 2016 के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । यह शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ । इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम ***"पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोमोटिंग इंटिग्रिटी एंड इरेडिकेटिंग करप्शन"*** था । सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने से संबंधित बैनर बिल्डिंग में प्रमुख जगहों पर लगाए गए ।

लोक शिकायत निवारण

12.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का जनसाधारण से संपर्क नगण्य है । तथापि, इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी (लोक शिकायत) के पर्यवेक्षण में शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है । आम लोगों तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों की सहूलियत के लिए नोडल अधिकारी का विवरण सरदार पटेल भवन के स्वागत कक्ष में प्रदर्शित किया गया है ताकि ये लोग बिना किसी परेशानी के नोडल अधिकारी से मिल सकें । शिकायतें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

मंत्रालय के जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से या प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से प्राप्त होती है । 1 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार 63 शिकायतें लंबित हैं । वर्ष 2016 के दौरान (31 दिसम्बर तक) कुल 401 शिकायतें प्राप्त हुई, 424 शिकायतों का निपटारा किया गया । उपरोक्त सभी मामलों पर प्राथमिकता आधार से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों/प्रभागों को मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं ।

अदालती मामले

12.10 वर्ष 2016 के दौरान विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

माह	**जनवरी 2016**	**फरवरी 2016**	**मार्च 2016**	**अप्रैल 2016**	**मई 2016**	**जून 2016**	**जुलाई 2016**	**अगस्त 2016**	**सितंबर 2016**	**अक्तूबर 2016**	**नवंबर 2016**
संख्या	**216**	**206**	**206**	**205**	**201**	**204**	**204**	**208**	**213**	**214**	**215**

सूचना का अधिकार संबंधी मामले

12.11 सूचना का अधिकार संबंधी सभी आवेदन/अपील सामान्यत: पीआईजीआर अनुभाग में प्राप्त किए जाते हैं और तब इन्हें निपटाने हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को भेजा जाता है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 13 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में तथा एक निदेशक/उपसचिव स्तर के एक अधिकारी को आरटीआई नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है । मंत्रालय ने 28 अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी **(**सीपीआईओ**)** के रूप में तथा मुख्यतया मंत्रालय के लिए 25 अधिकारियों को सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी मुख्य मंत्रालय के रूप में नामित किया है तथा इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक सीपीआईओ नामित किया है । आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2016 में प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की संख्या इस प्रकार हैं:

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त अनुरोध/अपील/सीआईसी के नोटिसों की संख्या

क्र.सं.	माह का नाम	अनुरोध/आवेदन				अपील				सीआईसी से प्राप्त नोटिसों की संख्या
		सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	
1	जनवरी- 16	64	117	119	62	12	24	22	14	-
2	फरवरी- 16	62	118	123	57	14	6	11	9	-
3	मार्च- 16	57	98	118	37	9	8	12	5	1
4	अप्रैल- 16	37	67	72	32	5	3	1	7	2
5	मई- 16	32	90	65	57	7	7	7	7	2
6	जून- 16	57	95	86	66	7	5	8	4	1
7	जुलाई- 16	66	54	92	28	4	11	1	14	1
8	अगस्त- 16	28	95	44	79	14	8	3	19	5
9	सितम्बर-16	79	72	93	58	19	11	4	26	1
10	अक्तूबर- 16	58	65	64	59	26	8	4	30	4
11	नवम्बर- 16	59	46	65	40	30	4	-	34	-
	कुल	**64***	**917**	**941**	**40****	**12***	**78**	**73**	**34****	**17**

सीएफ= पिछले माह के लंबित से अग्रेणित (कैरी फारवार्ड)

प्राप्त=माह के दौरान प्राप्त

निपटान=माह के दौरान निपटाए गए

* = 01 जनवरी, 2016 का अथशेष

** = 01 दिसंबर, 2016 को लंबित

सूचना एवं सुविधा काउंटर

12.12 मंत्रालय में एक सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) है जो सरदार पटेल भवन के मुख्य द्वार पर स्थित है । मंत्रालय के कार्यकलापों से संबंधित सूचना काउंटर पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त सूचना एवं सुविधा केन्द्र पर अनुसंधान-विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आदि द्वारा उपयोग किए जाने हेतु सांख्यिकीय आंकड़ों के अलावा मंत्रालय के कार्यों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध है । काउंटर पर भी इस मंत्रालय का नागरिक चार्टर प्रदर्शित किया गया है और उपलब्ध है । आगन्तुकों के प्रश्नों के

समाधान हेतु सूचना एवं सुविधा काउंटर (आइएफसी) पर एक जानकार व्यक्ति को तैनात किया गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और प्रशिक्षण

12.13 अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और प्रशिक्षण एकक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक (एडीबी), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) के साथ विभिन्न सांख्यिकीय मामलों में संपर्क बनाए रखता है, जिसमें सांख्यिकीय आसूचना का आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, सेमिनारों, सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता के विकास और सांख्यिकीय मामलों में आई रुकावटों को दूर करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों का आयोजन शामिल है और सांख्यिकी मामलों के लिए क्लीयरिंग हाउस के तौर पर कार्य कर रहा है । भारत अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, वूरबर्ग, नीदरलैंड का पदेन सदस्य भी है ।

12.14 इस मंत्रालय के अधिकारियों ने, 1 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर 2016 की अवधि के दौरान, 16 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा 16 बैठकों/सम्मेलनों में भाग लिया ।

12.15 **स्वच्छ भारत मिशन:**-

(क) 16-31 मई 2016 तक स्वच्छता अभियान पखवाड़ा: मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में 16-31 मई 2016 तक स्वच्छता अभियान पखवाड़े का आयोजन किया ।

(ख) मंत्रालय ने अपने सभी कार्यालयों में संपूर्ण स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए अधिकारियों को नामित किया । मंत्रालय ने इसी प्रकार कार्य करने के लिए अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को भी निदेश जारी किए ।

(ग) वर्तमान सरकार की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 26 मई 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्रालय के पदेन अधिकारियों द्वारा एक शपथ (स्वच्छता शपथ) दिलाई गई ।

(घ) देश को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में मंत्रालय के प्रत्येक भवन में 6-14 अगस्त 2016 तक मंत्रालय द्वारा एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया ।

इस अभियान के उल्लेखनीय प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:-

- शौचालय, गलियारे, सीढ़ियां, लिफ्ट इत्यादि जैसे आम क्षेत्रों सहित कार्यालय परिसर का रखरखाव एवं साफ-सफाई ।
- कार्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र या पार्किंग व पैदल रास्ते आदि सहित कार्यालय भवन का रखरखाव एवं साफ-सफाई ।
- मंत्रालय कार्यस्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नियमित और निरंतर स्वच्छता कार्यकलापों में संलग्न है ।
- मंत्रालय ने सभी कार्यालयों में संपूर्ण स्वच्छता कार्यकलापों की निगरानी के लिए अधिकारियों को नामित किया है ।
- इस स्वच्छता अभियान के हिस्से के रूप में सभी कार्यालयों में चल रही गतिविधियों के संबंध में मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समय समय पर सुझाए गए निदेशों को भी जारी कर रहा है ।
- सभी पुराने रिकार्डों की छंटाई करने तथा कॉरिडोरों और सार्वजनिक स्थलों से अलमारियां और फर्नीचर हटाने के कदम उठाए गए हैं, सीढ़ियों से सभी अवरोधों को दूर किया गया है । अधिकारियों को अपने कमरों में अपनी फाइलों और रिकार्डों को साफ-सुथरे तथा सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा माहौल को दुरूस्त रखने के लिए कहा गया है । इन उपायों को सतत आधार पर जारी रखा जा रहा है ।
- मंत्रालय के सरदार पटेल भवन, जे.पी. बिल्डिंग और आर.के. पुरम स्थित सभी कार्यालयों की साफ सफाई के लिए नामित अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार सामान्य प्रशासन द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

(ड.) शाहदरा स्थित जीपीओए भवन का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्वामित्व–मंत्रालय ने शाहदरा स्थित जीपीओए भवन का स्वामित्व सीपीडब्ल्यूडी से ग्रहण करने के पश्चात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के दिल्ली स्थित सभी कार्यालयों को सीबीडी शाहदरा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है । प्रथम चरण में एनएसएसओ के डीपीसी और क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा चुका है और एनएसएसओ मुख्यालय का स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है ।

12.16 **ई-अधिप्रापण**: वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, मंत्रालय ने ई-अधिप्रापण पोर्टल के माध्यम से ई-अधिप्रापण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन कर लिया है । 20 से अधिक उपयोगकर्ताओं को इस परियोजना की पूर्णता के लिए निविदा निर्माता, निविदा प्रकाशक, बोली खोलने वाला, बोली आकलनकर्ता के कार्यों में भूमिका दी गई है ।

12.17 **ई-ऑफिस परियोजना**: मंत्रालय ने ई-ऑफिस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 31.3.2017 तक लक्ष्य निर्धारित किया है । भारत सरकार का नोडल मंत्रालय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा सुझाए अनुसार ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है । (क) अवसंरचना अंतराल मूल्यांकन; (ख) तीव्र गति के स्कैनरों की प्राप्ति; (ग) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति (डीएससी); (घ) कार्यालय के कर्मचारियों के एनआईसी ई-मेल बनाना; (ड.) कर्मचारी मास्टर डाटा बेस (ईएमडी); (च) निर्गम एवं प्राप्ति/सीआरयू क्षमता निर्माण और उन्नयन (प्राप्ति के डिजिटलीकरण के लिए); (छ) कार्यालय में एक ई-ऑफिस हैल्प-डैस्क बनाना; (ज) प्रशिक्षण ।

12.18 उपर्युक्त कार्य बिंदु मंत्रालय द्वारा आरंभ किए जा चुके हैं और ई-आफिस परियोजना के सामयिक कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रगति पर है ।

***

अनुबंध–I क

संगठन चार्ट

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

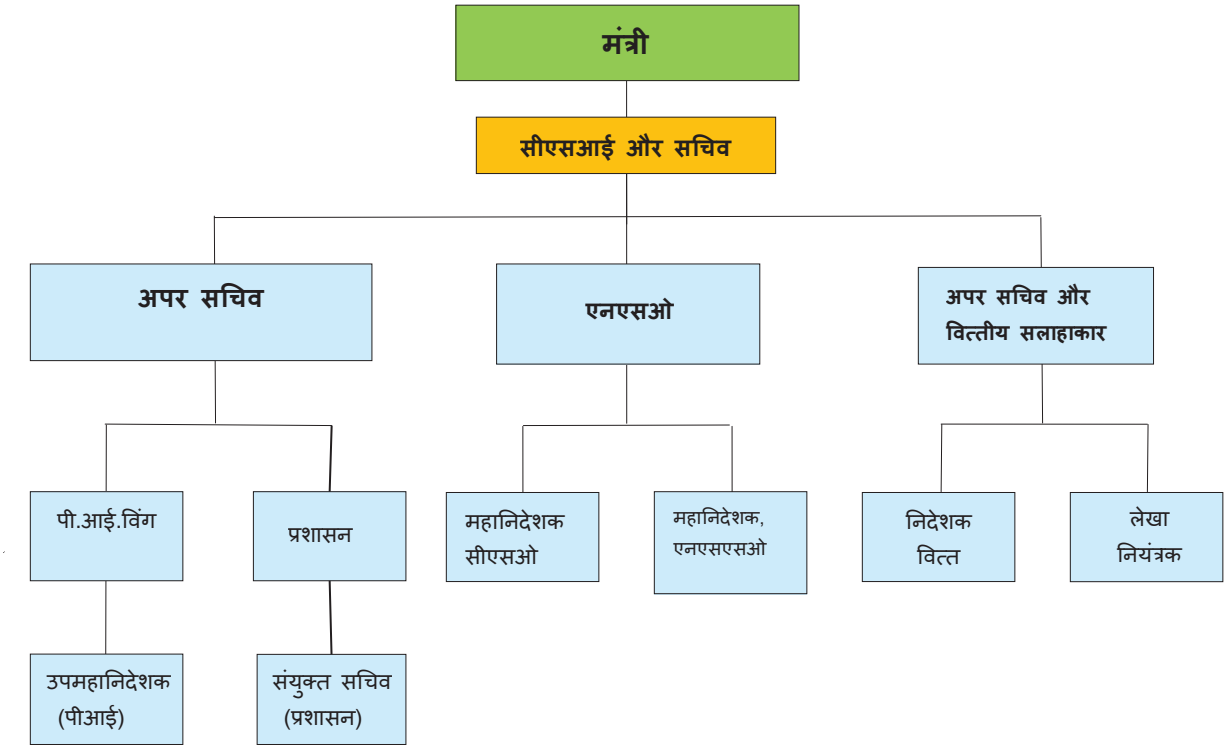

अनुबंध-ख

संगठन चार्ट
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

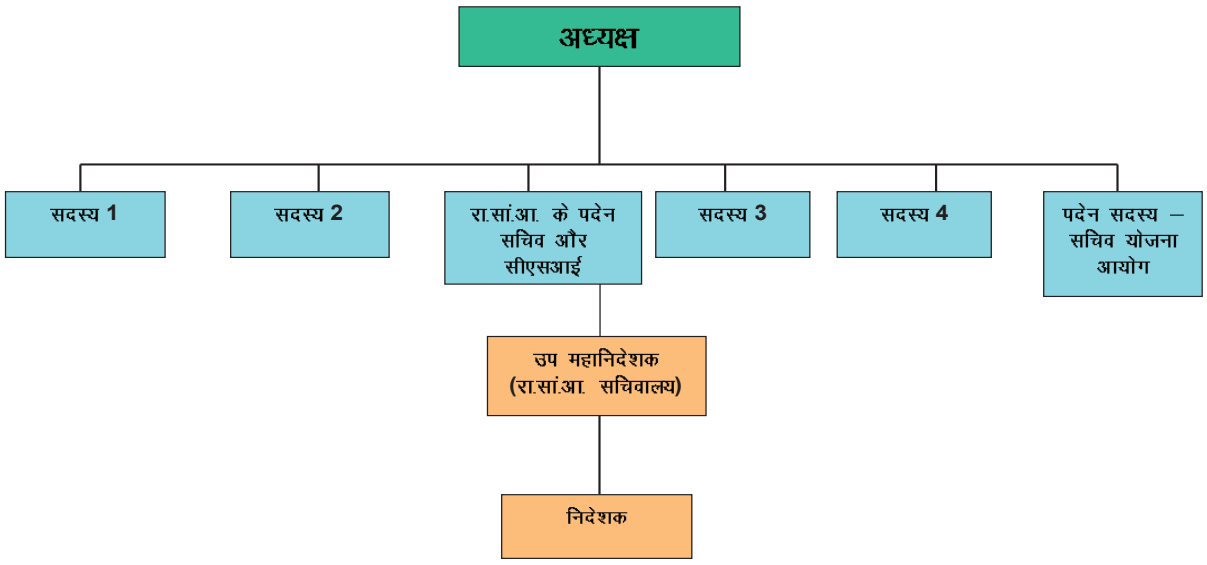

रा.सां.आ. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
सीएसआई भारत के मुख्य सांख्यिकीविद

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

एसएस व एफए	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
एएसआई	औदयोगिक वार्षिक सर्वेक्षण
स.नि.	सहायक निदेशक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद
के.सां.का.	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
स.प्र.प्र.	समन्वय और प्रकाशन डिविजन
स.एवं प्र.	समन्वय एवं प्रकाशन
सम.	समन्वय
महा.एवं सीईओ	महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नि.	निदेशक
उ.महा	उप महानिदेशक
डे.अ.	डेस्क अधिकारी
स.वि.प्र.	समंक विधायन प्रभाग
अ..स.	अवर सचिव
उ.स..	उप सचिव
उ.स.	उप सलाहकार
उ.ले..नि.	उप लेखा नियंत्रक
उ.नि.	उप निदेशक
उ.वि.स.	उप वित्त सलाहकार
प.सां.प्र.	पर्यावरण सांख्यिकी प्रभाग
क्षे.सं..प्र.	क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग
वि.	विभागाध्यक्ष
का.प्र.	कार्यालय प्रमुख
सं. सलाहाकार	संयुक्त सलाहाकार
स.नि.	संयुक्त निदेशक
सं.प.तं.	संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र
स.नि.	संयुक्त निदेशक
अ.स.एवं प्र.	अंतर्राष्ट्रीय समन्वय एवं प्रशिक्षण
आ.पी.एम.डी.	आधारी संरचना प्रबोधन प्रभाग
औ.सां.प्र.	औदयोगिक सांख्यिकी प्रभाग
भा.सां.सं.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
भा.सां.से.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा
भा.सां.विं	भारतीय सांख्यिकीय विंग
आं.का.अ.यु.	आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट
स.वि.ल.	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
एमपीलैडस	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम
रा.ले.प्र.	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीएमपी	राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम
रा.सां.आ.	राष्ट्रीय साख्यिकीय आयोग
रा.प्र.स.का.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
रा.भा.	राजभाषा
सं. एवं प.	संगठन और पद्धति
वे.एवं ले.का.	वेतन एवं लेखा कार्यालय
मू.एवं जी. ला.	मूल्य एवं जीवनयापन लागत
लो.शि.	लोक शिकायत
अ. एवं प्र.	अनुसंधान एवं प्रकाशन
सू.काअ.	सूचना का अधिकार
अ.जा./ज.जा.	अनुसूचित जाति/जनजाति
स.अ.अ.प्र.	सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग
सा.सां.प्र.	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
बी.सू.का.	बीस सूत्री कार्यक्रम
प्रशि..	प्रशिक्षण
अ.स.	अवर सचिव
अ.सां.का.	अधीनस्थ सांख्यिकीय कार्यालय

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य

I. सांख्यिकी स्कंध

1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास की योजना बनाने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है ।

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वयन करना ताकि आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तरालों तथा सांख्यिकीय कार्य में दोहरीकरण की पहचान की जा सके और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाना ।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदण्ड और मानक बनाना और उनका अनुरक्षण, आंकड़ा संग्रहण की अवधारणाएं, परिभाषाएं और कार्यप्रणाली विकसित करना, आंकड़ों का संसाधन और परिणामों का प्रचार-प्रसार ।

4. सांख्यिकीय कार्यप्रणाली तथा आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना ।

5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अन्तिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा उपभोग स्थाई पूंजी के वार्षिक अनुमान, सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान तैयार करना एवं उन्हें प्रकाशित करना, राष्ट्रीय इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिका, घरेलू उत्पाद एवं अधि-क्षेत्रीय क्षेत्रों के स्थाई पूंजी निर्माण के राज्य स्तरीय अनुमान तैयार करना, प्रचलित मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमान तैयार करना ।

6. त्वरित अनुमानों के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) का संकलन एवं प्रकाशन, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए एस आई) का आयोजन तथा सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना ताकि संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) क्षेत्र के विकास, गठन एवं संरचना में परिवर्तनों का आंकलन और मूल्यांकन हो सके ।

7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्यप्रणाली और अवधारणाओं का विकास तथा भारत का राष्ट्रीय संसाधन लेखा तैयार करना ।

8. अखिल भारतीय आर्थिक गणना का आयोजन तथा अनुवर्ती प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आवधिक आयोजन व संचालन ।

9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति, ऋण एवं निवेश, भूमि एवं पशुधन होल्डिंग, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माणकारी एवं सेवाओं आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन ताकि विकास, अनुसंधान, नीति-निर्माण एवं आर्थिक आयोजना हेतु अपेक्षित आंकड़ा आधार प्रदान किया जा सके ।

10. तकनीकी जांच एवं नमूना जांचों के माध्यम से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की गुणवत्ता जांच एवं लेखा परीक्षा का आयोजन तथा यदि आवश्यक हो तो, शुद्धि कारक और वैकल्पिक अनुमान तैयार करना ।

11. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षणों और आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत सर्वेक्षण-आंकड़ों का संसाधन करना ।

12. अनेक नियमित अथवा तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/अभिकरणों को सांख्यिकीय सूचना का प्रचार-प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, एशिया एवं प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अनुरोध पर आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना ।

13. पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान देना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्तपोषण करना ।

14. प्रशिक्षण, कैरियर नियोजन तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित सभी मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर कार्य करना और संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ।

15. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959(1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का कार्यपालन सुनिश्चित करना ।

16. शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और प्रकाशन करना ।

17. लघु क्षेत्र-अनुमानों सहित बेहतर प्रतिचयन तकनीकें और आंकलन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए कार्यप्रणालीगत अध्ययन और प्रायोगिक सर्वेक्षण करना ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध

18. बीस सूत्री कार्यक्रम पर निगरानी रखना ।
19. ₹150 करोड़ अथवा उससे अधिक धनराशि की परियोजनाओं पर निगरानी रखना।
20. आधारी संरचना क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना ।
21. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) ।
22. अन्य मंत्रालयों/विभागों को आबंटित क्षेत्रक नीतियों को छोड़कर राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से संबद्ध नीतिगत मुद्दे और समन्वय करना ।

*****

अनुबंध-III

वर्ष 2015-16 के दौरान परियोजनाओं, सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं तथा यात्रा अनुदान सहायता की स्वीकृति

क्र. सं.	संगठन/लाभार्थी का नाम	प्रयोजन	संस्वीकृत राशि (₹ में)
1.	इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रोडक्टिविटी क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, एडी-276, सैक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता.	9-10 अक्तूबर 2015 के दौरान 'राष्ट्रीय विकास और भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए सांख्यिकी' पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
2.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बीआईटी कैम्पस, पो.ऑ. _ बी.वी. कॉलेज, पटना, बिहार	29-31 मई 2015 के दौरान गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर विज्ञान में नवीनतम उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीआरएएमएससीएस)	₹ 500000/-
3.	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	28-30 नवंबर 2015 के दौरान समानता, स्थायित्व और विकास के लिए सांख्यिकी और संबंधित क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	₹ 5,00,000/-
4.	इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक चेंज, नागरभावी, बंगलौर.	20-21 मई 2015 के दौरान पर्यावरण परिवर्तन और सामाजिक पारिस्थितिक-आर्थिक इंटरफेस–निर्माण: जैव संसाधन संरक्षण और आजीविका विकास के लिए क्षमता अनुकूलन पद्धतियों के अन्वेषण का आदर्श दृष्टिकोण	₹ 5,00,000/-
5.	सी आर राव एडवांस्ड इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साईंस (सी आर राव एआईएमएससीएस),हैदराबाद	31 मई 2015 को सातवां सांख्यिकी ओलंपियाड	₹ 2,00,000/-

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अभी तक कोई निधि संस्वीकृत नहीं किया गया ।

बजट अनुमान (एसबीई) का विवरण-वार्षिक योजना 2016-17
मंत्रालय/विभाग: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	वार्षिक योजना 2016-17 (ब.अ.)			पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित परिव्यय 2016-17, ब.अ.
		सकल बजट सहायता	आंतरिक एवं बाह्य बजट संचालन	कुल	
1	2	3	4	5	6
(क) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (सीएस)					
1	क्षमता विकास	170.00	0.00	170.00	14.00
2	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	80.00	0.00	80.00	16.00
कुल (क)		**250.00**	**0.00**	**250.00**	**30.00**
(ख) ब्लॉक अनुदान					
1	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	**3950.00**		**3950.00**	**0.00**

क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2015-16 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ लाख में)

योजना स्कीम का नाम		2015-16 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान			उत्तर पूर्वी राज्य	व्यय
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय		
1		2	3	4	5	6
1	सांख्यिकीय सुदृीकरण के लिए सहायता	600.00	1000.00	948.55	मणिपुर	359.07
					सिक्किम	589.48
					मेघालय	-
					मिजोरम	-
					नागालैंड	-
2	क्षमता विकास (कुल)	1025.00	900.00	682.30	-	-
	2(क). क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास एवं संस्थागत विकास व क्षमता निर्माण)	0.00	0.00	-		-
	2(ख) क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - उत्तर पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अनुदान	1025.00	900.00	682.30	अरूणाचल प्रदेश	226.01
					मणिपुर	201.91
					मिजोरम	42.57
					सिक्किम	40.13
					त्रिपुरा	171.68
3	छठी आर्थिक जनगणना	1000.00	0.00	0.00		
4	आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान(*)	1400.00	250.00	250.00		
	कुल योग	4025.00	2150.00	1880.85		

(*) राज्यवार ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 2016-17 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ लाख में)

योजना स्कीम का नाम	2016-17 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान			उत्तर पूर्वी राज्य	व्यय
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय		
1	2	3	4	5	6
1. क्षमता विकास (कुल)	1400.00	1400.00	1014.44	-	-
(क) क्षमता विकास (एनएसएसओ की क्षमता का विकास - उत्तर पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अनुदान	900.00	900.00	514.44	अरूणाचल प्रदेश	188.60
				मणिपुर	129.95
				मिजोरम	39.60
				सिक्किम	23.17
				त्रिपुरा	133.12
(ख) सांख्यिकीय सुदृढ़ता हेतु सहायता	900.00	900.00	514.44	मणिपुर	--
				सिक्किम	100.00
				मेघालय	--
				मिजोरम	400.00
				नगालैंड	--
आईएसआई कोलकाता को सहायता अनुदान(*)	1600.00	1600.00	150.00		
कुल योग	3000.00	3000.00	1164.44		

(*) राज्यवार ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए ।

अनुबंध-V

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अधीन मासिक प्रबोधित मदों का निष्पादन

क्र.सं.	मद का नाम	ईकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य के संदर्भ में प्रतिशत उपलब्धियां
			अप्रैल, 2015-मार्च, 2016	अप्रैल, 2015-मार्च, 2016	
1	2	3	4	5	6
एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत सृजित रोजगार					
1	जारी जॉब कार्डों की सं.	000 संख्या	@	3224	-
2	सृजित रोजगार	000 श्रमदिवस	@	1957857	-
3	दी गई मजदूरी	लाख रूपए	@	2644521	-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)					
4	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोट किए गए एसएचजी की संख्या (नए तथा पुनर्जीवित*)	संख्या	303086	226536	75
5	वित्तीय वर्ष के दौरान उन एसएचजी की संख्या जिन्हें चक्रीय निधि (आरएफ) उपलब्ध कराई गई	संख्या	157874	188426	119
6	वित्तीय वर्ष के दौरान उन एसएचजी की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराई गई	संख्या	188818	101076	54
भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण					
7	वितरित भूमि	हेक्टेयर	@	3868	-
न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिकों सहित)					
8	किए गए निरीक्षणों की संख्या	संख्या	@	190063	-
9	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	संख्या	@	23357	-
10	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	संख्या	@	22531	-
11	फाइल किए गए दावों की संख्या	संख्या	@	7052	-
12	निपटाए गए दावों की संख्या	संख्या	@	6770	-
13	लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	19369	-
14	फाइल किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	1624	-

15	निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या	**संख्या**	@	707	-
खाद्य सुरक्षा : लक्षित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)					
16	**खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (एपीएल+बीपीएल+एएवाई)**	**टन**	52340432	49594204	95
17	**खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (बीपीएल)**	**टन**	8313303	8759257	105
18	**खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (एएवाई)**	**टन**	4615715	4772078	103
खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)					
19	**एनएएफएस के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा-सामान्य**	**टन**	28354345	25462781	90
20	**एनएएफएस के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा-टाइड ओवर**	**टन**	591308	508580	86
ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)					
21	निर्मित आवास की संख्या	**संख्या**	2079146	2080530	100
शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास					
22	निर्मित आवास की संख्या	**संख्या**	149999	109518	73
ग्रामीण क्षेत्र - राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)					
23	**आंशिक रूप से शामिल बसावटें**	**संख्या**	47080	54979	117
24	**जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज**	**संख्या**	10117	7621	75
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम					
25	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की संख्या	**000 संख्या**	@	12741	-
सांस्थानिक प्रसव					
26	संस्थानों में प्रसवों की संख्या	**000 संख्या**	@	16117	-
सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार					
27	एससीए के अंतर्गत एससीएसपी व एनएसएफडीसी वाले सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार*	**संख्या**	177699	388006	218
28	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र	**संख्या**	@	4914716	-
आईसीडीएस योजना को सभी जगह लागू करना					
29	चालू किए गए आईसीडीसी ब्लॉकों(संचयी)*	**संख्या**	7075	7029	99
क्रियाशील आंगनवाड़ियां					
30	क्रियाशील आंगनवाड़ियों (संचयी)*	**संख्या**	1400000	1347312	96
सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर आवास, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या					
31	सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार*	**संख्या**	@	2577045	-

वनीकरण					
32	वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)*	000 **हेक्टेयर**	1166	1381	118
33	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)*	**लाख संख्या**	7583	9738	128
ग्रामीण सड़कें - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)					
34	निर्मित सड़क की लंबाई*	**किमी.**	26000	30187	116
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)					
35	**विद्युतीकृत गांव**	**संख्या**	3501	7108	203
पंपसेटों को बिजली					
36	बिजली प्रदान किए गए पंपसेटों की संख्या*	**संख्या**	349954	687248	196
विद्युत आपूर्ति					
37	आपूर्ति विद्युत	**मिलियन टन**	1096258	1072848	98

@ कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था

अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अधीन तिमाही आधार पर प्रबोधित मदों का निष्पादन

क्र.स्.	मद का नाम	ईकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य के संदर्भ में प्रतिशत उपलब्धियां
			अप्रैल 2016 - जून 2016	अप्रैल 2016 - जून 2016	
1	2	3	4	5	6
एमजीएनआरईजीएस के अतर्गत सृजित रोजगार					
1	जारी जॉब कार्डों की सं.	000 संख्या	@	1067	-
2	सृजित रोजगार	000 श्रमदिवस	@	908533	-
3	दी गई मजदूरी	लाख रूपए	@	1655958	-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)					
4	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोट किए गए एसएचजी की संख्या (नए तथा पुनर्जीवित•)	संख्या	107525	84509	79
5	वित्तीय वर्ष के दौरान उन एसएचजी की संख्या जिन्हें चक्रीय निधि (आरएफ) उपलब्ध कराई गई	संख्या	59762	22376	37
6	वित्तीय वर्ष के दौरान उन एसएचजी की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराई गई	संख्या	31455	18243	58
भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण					
7	वितरित भूमि	हेक्टेयर	@	841	-
न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिको सहित)					
8	किए गए निरीक्षणों की संख्या	संख्या	@	28459	-
9	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	संख्या	@	1320	-
10	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	संख्या	@	929	-
11	फाइल किए गए दावों की संख्या	संख्या	@	304	-
12	निपटाए गए दावों की संख्या	संख्या	@	194	-
13	लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	4677	-
14	फाइल किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	705	-
15	निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	303	-
खाद्य सुरक्षा : लक्षित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)					
16	खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (एपीएल+बीपीएल+एएवाई)	टन	13375297	12350669	92
17	खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (बीपीएल)	टन	423423	369272	87
18	खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (एएवाई)	टन	263343	276238	105
खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)					
19	एनएएफएस के अंतर्गत खादय सुरक्षा-सामान्य	टन	11821899	10933203	92
20	एनएएफएस के अंतर्गत खादय सुरक्षा-सामान्य	टन	284321	280625	99
ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)					
21	निर्मित आवास की संख्या	संख्या	815251	283963	35
शहरी क्षेत्रों मे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास					
22	निर्मित आवास की संख्या	संख्या	59512	26012	44
ग्रामीण क्षेत्र - राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)					
23	आंशिक रूप से शामिल बसावटें	संख्या	11008	1813	16
24	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज	संख्या	3203	300	9
ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छता कार्यक्रम					
25	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की संख्या	000 संख्या	@	2331	-

सास्थानिक प्रसव					
26	संस्थानों में प्रसवों की संख्या	000 संख्या	@	3020	-
सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार					
27	एससीए के अंतर्गत एससीएसपी व एनएसएफडीसी वाले सहायता प्राप्त अनसचित जाति परिवार*	संख्या	36196	25905	72
28	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र	संख्या	@	789317	-
आईसीडीएस योजना को सभी जगह लागू करना					
29	चालू किए गए आईसीडीसी ब्लॉकों(संचयी)*	संख्या	7075	6947	98
क्रियाशील आगनवाड़िया					
30	क्रियाशील आंगनवाड़ियों (संचयी)*	संख्या	1400000	1331812	95
सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर आवास, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या					
31	सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार*	संख्या	@	420855	-
वनीकरण					
32	वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)*	000 हेक्टेयर	272	116	42
33	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)*	लाख संख्या	1770	1141	65
ग्रामीण सड़कें - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)					
34	निर्मित सड़क की लंबाई*	किमी.	12203	8755	72
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)					
35	विदयुतीकृत गांव	संख्या	2092	1504	72
पपसेटों को बिजली					
36	बिजली प्रदान किए गए पंपसेटों की संख्या*	संख्या	107262	121750	114
विदयुत आपूर्ति					
37	आपूर्ति विदयुत	मिलियन यूनिट	290603	288069	99

@@ कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था

अवसंरचना क्षेत्र निष्पादन

मुख्य-मुख्य बातें

अप्रैल-सितंबर 2016 तथा पिछले तीन वर्षों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान प्राप्त विकास

क्र. सं.	क्षेत्र	उपलब्धियां					विकास का प्रतिशत			
		अप्रैल-सितंबर 2012	अप्रैल-सितंबर 2013	अप्रैल-सितंबर 2014	अप्रैल-सितंबर 2015	अप्रैल-सितंबर 2016	अप्रैल-सितंबर 2013	अप्रैल-सितंबर 2014	अप्रैल-सितंबर 2015	अप्रैल-सितंबर 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**विद्युत (बीयू)**	455.735	482.026	567.098	593.677	632.121	5.77	17.65	4.69	6.48
2	**कोयला (एमटी)**	240.280	246.350	264.484	275.804	278.736	2.53	7.36	4.28	1.06
3	**इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी)**	42.687	46.253	50.025	50.933	54.175	8.35	8.16	1.82	6.37
4	**सीमेंट (एमटी)**	121.15	123.35	136.51	137.64	143.79	1.82	10.67	0.83	4.47
5	**उर्वरक (एमटी)**	7.630	7.829	7.926	8.592	8.897	2.61	1.24	8.41	3.54
6	**पेट्रोलियम :-**									
	i) कच्चा तेल (एमटी)	19.080	18.835	18.601	18.680	18.064	-1.28	-1.24	0.42	-3.30
	ii) रिफाइनरी (एमटी)	105.683	111.657	108.637	112.601	121.500	5.65	-2.70	3.65	7.90
	iii) प्राकृतिक गैस (एमसीडब्ल्यू)	21361	17838	16809	16449	15724	-16.49	-5.77	-2.14	-4.41
7	**सड़क #**									
	राजमार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण									
	i) एनएचएआई (किमी.)	958.00	786.93	595.00	899.00	985.00	-17.86	-24.39	51.09	9.57
	ii) राज्य पौडब्ल्यूडी तथा बीआरओ (किमी.)	592.86	559.20	549.39	545.52	1012.79	-5.68	-1.75	-0.70	85.66
8	**रेलवे राजस्व प्राप्ति**									
	फ्रेट ट्रैफिक (एमटी)	481.35	511.00	532.44	540.99	532.32	6.16	4.20	1.61	-1.60
9	**पोत परिवहन एवं पत्तन**									
	i) प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो (एमटी)	270.561	276.858	287.735	299.954	315.428	2.33	3.93	4.25	5.16
	ii) प्रमुख पत्तन पर संचालित कोयला (एमटी)	40.786	52.595	56.475	75.920	73.660	28.95	7.38	34.43	-2.98
10	**नागर विमानन :-**									
	i) संचालित निर्यात कारगों (टन)	418375	433452	478513	493220	541936	3.60	10.40	3.07	9.88
	ii) संचालित आयात कारगो (टन)	304193	287437	306468	338887	358180	-5.51	6.62	10.58	5.69
	iii) अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्री (लाख)	200.254	224.282	243.970	262.492	287.365	12.00	8.78	7.59	9.48
	iv) घरेलू टर्मिनल पर यात्री (लाख)	570.542	605.439	668.410	797.001	981.117	6.12	10.40	19.24	23.10
11	**दूरसंचार :-**									
	i) स्विचिंग क्षमता में वृद्धि (फिक्स्ड+वायरलेस=जीएसएम) ('000 लाइन)	849.397	420.364	2597.354	2580.645	2039.822	-	517.88	-0.64	-20.96
	ii) न्यू नेट फिक्स्ड/तार टेलीफोन कनेक्शन ('000 सं.)	-1088.148	-931.344	-1095.353	-640.498	-701.304	-	-	-	-
	iii) न्यू नेट सेल फोन (वायरलेस+जीएसएम) कनेक्शन्स ('000 सं.)	-12556.535	2783.444	26026.856	27560.257	129.591	-	835.06	5.89	-99.53

बीयू: बिलियन यूनिट *एमसीएम: मिलियन क्यूबिक मीटर*
एमटी: मिलियन टन *केएम : किलोमीटर*

 # : इसमें केवल चार/छह/आठ लेन और दो लेन बनाकर चौड़ा करना तथा मौजूदा कमजोर मार्गों का सुदृढ़ीकरण शामिल है ।

अनुबंध - VIII

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
	अप्रैल,**2016**			
	<u>कोयला</u>			
1	कृष्णाशिला (एनसीएल) (4एमटीवाई) (उत्तरी कोल फील्ड्स लिमिटेड) - [एन06000007]	789.88	03/2013	511.19
2	अमलोहरी ईपीआर (एनसीएल) (6 एमटीवाई, आईएनसीआरएल) (उत्तरी कोल फील्ड्स लिमिटेड) - [एन06000010]	1,352.04	03/2016	848.99
	<u>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग</u>			
3	सिलचर-उदरबंद (चरण.II) हेमवती-54, 309 किमी. से 275 किमी. (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [240100207]	157.47	09/2007	238.50
4	कोटा बाईपास, आरजे-4, एनएच 76 (एनएचएआई) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [240106297]	275.00	10/2008	184.63
5	लकनंदन, 297 किमी. के राजमार्ग चौराहा 351 किमी., एनएच 26 (एनएचएआई) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [240106304]	251.03	10/2008	326.30
6	सिलिगुड़ी इस्लामपुर (पश्चिम बंगाल-7) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000028]	225.00	07/2008	191.00
7	बिजनी के नलबाड़ी (एएस 8) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000035]	200.00	06/2008	281.60

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
8	गुवाहाटी नलबाड़ी (एएस 5) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000046]	198.16	04/2008	242.40
9	धरमतुल से सोनापुर (एएस 19) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000051]	200.00	06/2008	289.50
10	आईसीटीटी वल्लापाड़म राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कनेक्टिविटी - एसएच (राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया) - [एन24000107]	557.00	02/2010	932.30
11	किशनगढ़-अजमेर-बीवर पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000128]	795.00	05/2012	1,512.11
12	चिलकलूरीपेट-विजयवाड़ा 6 लेन (355 किमी. से 434.15 किमी. के लिए) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000132]	572.30	10/2011	761.40
13	जयपुर-टोंक-देवली पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000135]	792.06	12/2012	1,983.00
14	हजारीबाग-रांची (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000141]	625.07	01/2013	995.90
15	अर्मूर को कदलूर येल्लारेड्डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000143]	390.56	02/2012	631.60
16	पानीपत-रोहतक (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000151]	807.00	10/2014	1,209.43
17	देवीहल्ली-हसन (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000152]	453.00	-	487.90
18	बेलगाम-धारवाड़ (एनएच 4) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000158]	480.00	-	438.00

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
19	हैदराबाद-बेंगलुरू अनुभाग के उन्नयन (राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया) - [एन24000160]	680.00	-	188.40
20	शिलांग बाईपास के 2-लेनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000181]	226.00	02/2014	282.30
21	भोपाल-सांची (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000192]	209.00	01/2013	11.28
22	पुणे-शोलापुर, पैकेज-II पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000193]	835.00	01/2014	1,684.00
23	संबलपुर-बारगढ़-छत्तीसगढ़ / उड़ीसा सीमा (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000196]	909.00	05/2014	844.10
24	लखनऊ-रायबरेली (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000207]	635.90	07/2012	616.50
25	नागपुर वैनगंगा पुल पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000210]	484.19	10/2014	458.86
26	वालायार-वदक्कनचेरी खंड की चार लेनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000214]	682.00	10/2013	34.81
27	पुनश्च आगरा अलीगढ़ (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ 2 लेन का - [एन24000220]	250.50	10/2014	65.30
28	पुनश्च कानपुर कवरई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ 2 लेन का - [एन24000221]	373.47	07/2014	358.30
29	झालावाड़-राजस्थान-सांसद के साथ पीएस 2 लेन की सीमा (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000237]	177.32	01/2016	86.50

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
30	मिजोरम में 38/00 किमी. से 71/00 किमी. के लिए एक नया 2 लेन राजमार्ग के निर्माण कलादान मल्टी रक्षा मंत्रालय मद दर (राज्य के लोक निर्माण विभाग) का समर्थन करना - [एन24000304]	186.96	-	132.80
31	जौनपुर पीपीपी (वार्षिकी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के लिए रायबरेली के प्रशस्त कंधे के साथ 2 लेन - [एन24000428]	569.38	06/2016	737.59
32	एनएच 66 के टिंडीवनम अनुभाग के लिए पांडिचेरी (राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया) - [एन24000466]	285.00	01/2008	285.00
	मई,**2016**			
	<u>इस्पात</u>			
33	1.2 एमटीपीए पेलेट संयंत्र परियोजना, डोनीमलई (एनएमडीसी) (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)) - [एन12000072]	572.00	04/2013	451.58
34	7.0 एमटीपीए कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान परियोजना (एनएमडीसी) (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)) - [एन12000073]	898.55	05/2013	379.57
	<u>पेट्रोलियम</u>			
35	माउंडेड गोली परियोजना सीपीसीएल (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000154	279.00	12/2014	190.86
	<u>शहरी विकास</u>			

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
36	एटी आईआईएसईआर कोलकाता के लिए हरिनघंटा कल्याणी पश्चिम बंगाल (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) शैक्षणिक वीर्य आवासीय परिसर - [एन28000061]	225.81	06/2012	143.72
37	बिहटा (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) में आईआईटी पटना के परिसर के लिए आवासीय और अन्य परिसरों - [एन28000063]	171.10	09/2014	192.24
	जून,**2016**			
	<u>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग</u>			
38	धौलपुर - मुरैना धारा (सहित तंबोल पुल) एनएच 3 (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000108]	232.45	09/2010	343.71
	जुलाई,**2016**			
	<u>पेट्रोलियम</u>			
39	वसई पूर्व फील्ड (तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड) के अतिरिक्त विकास - [एन16000183]	2,476.82	12/2018	982.92
	<u>विद्युत</u>			
40	उत्तर क्षेत्र प्रणाली को मजबूत बनाने स्कीम-उन्नीसवीं (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) - [एन18000056]	410.29	02/2012	390.87
41	उत्तर क्षेत्र पारेषण सुदृढ़ीकरण योजना (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) - [एन18000083]	965.58	11/2012	791.84

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
42	उत्तर क्षेत्र प्रणाली को मजबूत बनाने स्कीम-XXI (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) - [एन18000095]	1,677.57	04/2013	1,487.22
43	झारखंड और पश्चिम बंगाल-भाग-ए1 (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) में चरण -1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रसारण प्रणाली - [एन18000104]	558.26	11/2013	629.41
44	झारखंड और पश्चिम बंगाल-भाग ए 2 (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) में चरण-मैं उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली - [एन18000113]	2,422.66	08/2014	2,497.86
45	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी-भाग ख (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) के साथ जुड़े पारेषण प्रणाली - [एन18000122]	1,927.16	10/2014	1,642.57
46	अनन्तपुर जिला में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क, आंध्र प्रदेश भाग एक (प्रथम चरण) (इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन) के लिए पारेषण प्रणाली - [एन18000198]	312.94	05/2016	109.00
	<u>रेलवे</u>			
47	मुंगेर पर रेल-सह-सड़क पुल (एनएल), ईसीआर (पूर्व मध्य रेलवे) - [220100307]	921.00	03/2009	1,649.05
48	पटना गंगा पुल (एनएल), ईसीआर (पूर्व मध्य रेलवे) - [220100308]	624.47	10/2007	3,104.92
49	इस्पात अधिरचना और रेल वीर्य सड़क पुल की अन्य सहायक कार्यों के निर्माण (पूर्वी-मध्य रेलवे) - [एन22000342]	1,191.31	06/2012	1,296.95
	<u>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग</u>			

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
50	गंगा पुल को पार रामदेवी चरण ॥ एनएच 25,75-80.06 किमी. (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [240106221]	155.00	09/2008	248.73
51	गुजरात में गोधरा की 4 लेनिंग/सांसद सीमा पीपीपी (बीओटी) (राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया) - [एन24000168]	785.50	08/2013	923.28
52	जयपुर-रींगस (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000198]	267.81	02/2013	699.60
53	ब्यावर पाली पिंडवारा पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000199]	2,388.51	06/2014	2,490.61
54	रींगस सीकर पीपीपी (वार्षिकी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000227]	333.51	09/2014	226.96
55	2 लेन का बनाने के लिए साथ पी एस लंबिया-जैतरन-रायपुर (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000238]	158.04	12/2015	129.37
56	गोमती चौराहा के 4 लेन - उदयपुर ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया) - [एन24000455]	914.50	10/2015	1,128.25
57	रोहतक के 4 लेन - हिसार खंड पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000456]	959.25	06/2016	1,229.40
	अगस्त,**2016**			
	<u>विद्युत</u>			

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
58	तीस्ता लो डैम एचईपी, स्टेज चतुर्थ (4X40 मेगावाट) (एनएचपीसी) (नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन) - [180100243]	1,061.38	09/2009	2,048.42
	रेलवे			
59	कटक - बैरंग (एलडी) (रेल विकास निगम लि।) - [220100326]	127.13	-	237.96
	सडक परिवहन एवं राजमार्ग			
60	गुवाहाटी के नलबाड़ी (एएस 4) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000038]	175.96	04/2008	309.01
61	होसर-कृष्णागिरी में छह लेनिंग एनएच 733.130 किमी. से 93.00 किमी. पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के लिए - [एन24000171]	535.00	12/2013	924.70
	सितंबर,**2016**			
	कोयला			
62	अशोक विस्तार ओसीपी सीसीएल (10 एमटीवाई) (केन्द्रीय कोयला क्षेत्रों लिमिटेड) - [060100096]	341.63	03/2011	241.62
	पेट्रोलियम			
63	2 ओपन स्कूल की खरीद 2000 अश्वशक्ति ड्रिलिंग रिग के (ऑयल इंडिया लिमिटेड) - [एन16000165]	270.00	06/2012	172.53
	रेलवे			

2016-2017 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	*परियोजना नाम*	*मूल लागत (₹. करोड़)*	*शुरू करने की मूल तारीख*	*संचयी व्यय (₹. करोड़)*
64	बांकुड़ा - दामोदर (जीसी) (एसईआर) (दक्षिण पूर्व रेलवे) - [220100277]	111.90	03/2005	195.00
	<u>सड़क परिवहन एवं राजनमार्ग</u>			
65	असम पश्चिम बंगाल सीमा (एनएच 31.सी) (1) (एनएचएआई) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के लिए बिजनी - [240106290]	195.00	06/2008	294.65
66	फोर्बेस्गंज से सिमराही (एनएच 57) (एनएचएआई) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [240106294]	332.94	09/2008	518.85
67	नगांव से धरमतुल (एएस 2) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000042]	264.72	06/2008	322.50

सीएसओ/एनएसएसओ तथा पीआई स्कंध के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी किए जा रहे प्रकाशनों की सूची

क. बीस सूत्री कार्यक्रम प्रभाग

क्र.सं.	प्रकाशन	अवधि	महीना/वर्ष
1	बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट	वार्षिक	2014-15
2	बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट	तिमाही	चार प्रगति रिपोर्टें

ख. I. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

एनएसएस रिपोर्ट सं. 574	भारत में स्वास्थ्य
एनएसएस रिपोर्ट सं. 575	भारत में शिक्षा
एनएसएस रिपोर्ट सं. 576	भारत में कृषक परिवारों की आय, व्यय, उत्पाद परिसंपत्तियां और ऋण की स्थिति
एनएसएस रिपोर्ट सं. 577	भारत में परिवारों की ऋण स्थिति
एनएसएस रिपोर्ट सं. 578	सामाजिक वर्गों में घरेलू परिसंपत्तियां और ऋण
एनएसएस केआई (72/21.1)	भारत में घरेलू पर्यटन के महत्वपूर्ण सूचकांक
एनएसएस केआई (72/1.5)	घरेलू व्यय के महत्वपूर्ण सूचकांक

II. सर्वेक्षण

1. 'सर्वेक्षण' का 101वां अंक मुद्रित हो चुका है और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

III. केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों के संग्रह संबंधी सभी पद्धति पहलुओं सहित एक मैनुअल जारी किया गया है ।

ग. वर्ष 2016-17 में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के प्रकाशनों की सूची (30 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. सार्क सोशल चार्टर–इंडिया कंट्री रिपोर्ट -2016
2. एल्डरली इन इंडिया -2016
3. डिसेबल्ड पर्सन्स इन इंडिया-ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2016

घ. अनुसंधान एवं प्रकाशन इकाई

अनुसंधान एवं प्रकाशन इकाई निम्नलिखित प्रकाशन नियमित तौर पर जारी करती है:

(i) सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका, भारत– वार्षिक

(ii) भारत आंकड़ों में- एक सुलभ संदर्भ–वार्षिक

ड. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग

क्र.सं.	प्रकाशन	अवधि	जारी करने का महीना
1.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी -2016	जुलाई 2016	ई-पब्लिकेशन, हार्ड कॉपी
2.	नया आधार वर्ष 2011-12 (2011-12 से 2013-14) 2016 के अनुसार कृषि उत्पाद और संबद्ध क्षेत्रों के मूल्यों का राज्यवार और मदवार अनुमान	जुलाई 2016	ई-पब्लिकेशन
3.	आपूर्ति और उपयोग सारणी 2011-12	सितंबर 2016	ई-पब्लिकेशन
4.	आपूर्ति और उपयोग सारणी 2012-13	सितंबर 2016	ई-पब्लिकेशन

अनुबंध-X

वर्ष **2015-16** के दौरान की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति

क्र.स.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्टों की सं. जिन पर एटीएन को लेखा परीक्षक की जांच के बाद लोक लेखा समिति (पीएसी) को भेजा गया है	पैरा/पीए रिपोर्टों के ब्यौरे जिन पर एटीएन लंबित है		
			एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं	उन एटीएन की संख्या जो भेजे गए थे किन्तु टिप्पणियों के साथ लौटाए दिए गए तथा जिनकी मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत करने के बाद लेखा परीक्षा होनी है	उन एटीएन की संख्या जिनकी लेखा परीक्षक द्वारा अंतिम रूप से जांच कर ली गई है किंतु मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति (पीएसी) को नहीं भेजे गए हैं
1.	एमपीलैड्स की निष्पादन लेखा परीक्षा संघ सरकार वर्ष 2010-11 (सिविल) सं.-31	कोई नहीं	पहला एटीएन 20 दिसंबर 2011 तथा दूसरा एटीएन 16 मई, 2012 को प्रस्तुत किया तथा तीसरा एटीएन 24 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत किया गया । (सभी एटीएन में, 46 पैरा पर पूरा उत्तर तथा 13 पैरा पर अंशतः उत्तर प्रस्तुत किया गया है ।)	शून्य	शून्य
2	एमपीलैड्स संबंधी लोक लेखा समिति की 55वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा)	सभी 33 पैराओं के विरूद्ध पुनरीक्षित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं	सभी 33 पैराओं पर एटीएन 13 सितंबर 2013 को प्रस्तुत किया गया था ।	सभी 33 पैराओं पर एटीएन को पीएसी को प्रस्तुत किया गया । मंत्रालय से 03 अतिरिक्त बिंदुओं पर एटीएन प्रस्तुत करने को कहा गया था ।	सभी 33 पैराओं के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियों के साथ महानिदेशक (लेखा परीक्षा) द्वारा पुनरीक्षित टिप्पणियां लोक लेखा समिति को 13 सितंबर को तथा अतिरिक्त बिंदुओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां भी लोक लेखा समिति को 20 अप्रैल 2015 को भेजी गई थी ।

3	सभी दो पैराओं पर 2015 के एटीएन से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सं. 18 अभी तक प्रस्तुत की जानी हैं ।	शून्य	शून्य	2	शून्य